15 जुलाई 2006
दिनांक को
विधान सभा में प्रस्तुत की गई।

भारत के नियन्त्रक–महालेखापरीक्षक

का

प्रतिवेदन

31 मार्च 2003 को समाप्त वर्ष के लिये

(राजस्व प्राप्तियाँ)

राजस्थान सरकार

विषय सूची

	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्रस्तावना		v
विहंगावलोकन		vii

अध्याय-I
सामान्य

राजस्व प्राप्तियों की प्रवृति	1.1	1
संशोधित अनुमानों और वास्तविक आंकडों में अन्तर	1.2	4
संग्रहण की लागत	1.3	5
बिक्री कर का प्रति करदाता संग्रहण	1.4	5
राजस्व की बकाया का विश्लेषण	1.5	6
कर निर्धारणों में बकाया	1.6	8
कर अपवंचन	1.7	8
राजस्व का अपलेखन एवं अधित्याग	1.8	9
प्रतिदाय	1.9	9
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.10	9
विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें	1.11	9
ड्राफ्ट लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागों के उत्तर	1.12	10
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही-संक्षिप्त स्थिति	1.13	11

अध्याय-II
बिक्री कर

लेखापरीक्षा के परिणाम	2.1	12
बिक्री कर की राजस्व हानि	2.2	13
शर्त के उल्लंघन पर लाभ वापस नहीं लेना	2.3	13
कर की गलत दर लगाने के कारण कर का कम आरोपण	2.4	14
लघु/मध्यम श्रेणी की इकाइयों को अधिक छूट प्रदान करना	2.5	17
गणना में त्रुटि के कारण अवनिर्धारण	2.6	18
सीमेन्ट प्लान्टों को कर से अधिक छूट प्रदान करना	2.7	19
कर योग्य व्यापारावर्त का गलत निर्धारण	2.8	19
अवधि पार एस टी 17 घोषणापत्रों से सम्बन्धित कर योग्य व्यापारावर्त पर कर की रियायती दर से गलत आरोपण	2.9	20
अनियमित छूट प्रदान करना	2.10	21

	अनुच्छेद	पृष्ठ
चूक पर आस्थगित कर की अवसूली	2.11	22
ब्याज की कम वसूली	2.12	22
शास्ति की कम वसूली	2.13	23
अधिभार का कम आरोपण/अनारोपण	2.14	23
ब्याज एवं शास्ति का अनियमित अधित्याग	2.15	24
केन्द्रीय बिक्री कर के अन्तर्गत ब्याज का अनियमित प्रत्यर्पण	2.16	25

अध्याय-III
मोटर वाहनों पर कर

लेखापरीक्षा के परिणाम	3.1	26
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (रा.रा.प.प.नि.) के मंजिली वाहनों के संबंध में विशेष पथ कर की कम वसूली	3.2	26
मोटर वाहन कर एवं विशेष पथ कर की अवसूली/कम वसूली	3.3	27
एक्सकेवेटरों/लोडरों के संबंध में मोटर वाहन कर की अवसूली	3.4	28
परिवहन वाहनों के संबंध में उपयुक्तता शुल्क की कम वसूली	3.5	29
डम्परों/टिपरों के संबंध में मोटर वाहन कर की अवसूली/कम वसूली	3.6	29
गैर-अस्थाई अनुज्ञापत्रों के बिना रखे गये यात्री वाहनों से मोटर वाहन कर की अवसूली	3.7	30
भार वाहनों के संबंध में मोटर वाहन कर एवं विशेष पथ कर की अवसूली	3.8	30

अध्याय-IV
मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

लेखापरीक्षा के परिणाम	4.1	31
समीक्षाः मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की अपवंचना	4.2	32

अध्याय-V
राज्य उत्पाद शुल्क

लेखापरीक्षा के परिणाम	5.1	43
दोषी अनुज्ञाधारयों के विरुद्ध कम मांग कायम करना	5.2	43

	अनुच्छेद	पृष्ठ
उत्पाद शुल्क अधिभार की अवसूली	5.3	44
बीयर के अपेय होने के कारण उत्पाद शुल्क की अवसूली	5.4	45
अतिरिक्त शुल्क की अवसूली	5.5	45
परिवहन में प्रासव के अधिक क्षय पर उत्पाद शुल्क की अवसूली	5.6	46

अध्याय-VI
अन्य कर प्राप्तियाँ

लेखापरीक्षा के परिणाम	6.1	47
भू-राजस्व		
प्रीमियम की कम वसूली	6.2	48
प्रीमियम एवं पट्टा किराया की कम वसूली	6.3	48
भूमि एवं भवन कर		
भूमि का अवमूल्यांकन	6.4	49
भूमि के अवमूल्यांकन के कारण कर का कम आरोपण	6.5	49
गलत आधार वर्ष चुनने से कर की कम वसूली	6.6	51
विलासिता कर		
विलासिता कर का अनारोपण	6.7	51

अध्याय-VII
कर-इतर प्राप्तियाँ

लेखापरीक्षा के परिणाम	7.1	53
गृह (पुलिस) विभाग		
समीक्षाः पुलिस विभाग की प्राप्तियाँ	7.2	54
समीक्षाः भू-राजस्व की बकाया के रूप में बकाया की वसूली	7.3	61

	अनुच्छेद	पृष्ठ
सामान्य प्रशासन विभाग		
सरकार सम्पत्तियों में काबिज वाणिज्यिक उपक्रमों से किराये की अवसूली	7.4	79
खान एवं पैट्रोलियम विभाग		
पैट्रोलियम अन्वेषण अनुज्ञाशुल्क व बढ़ी हुई राशि की मांग कायम न करना	7.5	80
डी.सी.आर. में अधिक अधिशुल्क/विकास प्रभार की मांग की प्रविष्टि न करना	7.6	82
खनिज कैडमियम के अनाधिकृत प्रेषण के कारण राजस्व हानि	7.7	83
खनिज की कीमत की अवसूली	7.8	84
अधिशुल्क की कम वसूली	7.9	85
शास्ति के अनारोपण के कारण राजस्व हानि	7.10	85
ठेके की राशि में संशोधन नहीं करने के कारण राजस्व की कम वसूली	7.11	86
खनिज की कीमत की अवसूली के कारण राजस्व हानि	7.12	87

प्रस्तावना

31 मार्च 2003 को समाप्त हुए वर्ष का यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों की लेखापरीक्षा, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (दायित्व, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत की जाती है। यह प्रतिवेदन प्राप्तियों की लेखापरीक्षा के परिणाम प्रस्तुत करता है, जिसमें राज्य की बिक्री कर, मोटर वाहनों पर कर, भू-राजस्व, मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क, राज्य उत्पाद शुल्क तथा अन्य कर एवं कर-इतर प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लेखित मामले उनमें से हैं जो वर्ष 2002-03 के दौरान अभिलेखों की मापक लेखापरीक्षा के अनुक्रम में ध्यान में आए तथा उनमें से भी है जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में आए थे, किन्तु विगत प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किये जा सके।

विंहगावलोकन

इस प्रतिवेदन में कर, ब्याज शास्ति इत्यादि के अनारोपण/कम आरोपण से संबंधित 3 समीक्षाओं सहित 46 अनुच्छेद है, जिसमें 382.52 करोड़ रुपये अन्तर्निहित है। प्रमुख निष्कर्षों में से कुछ का उल्लेख नीचे दिया गया है:-

I. सामान्य

वर्ष 2001-02 में 12,153.29 करोड़ रुपये के विरूद्ध वर्ष 2002-03 की राज्य सरकार की प्राप्तियाँ 13,081.86 करोड़ रुपये थी। सरकार द्वारा एकत्रित राजस्व 7,822.34 करोड़ रुपये था (कर राजस्वः 6,253.34 करोड़ रुपये तथा कर-इतर राजस्वः 1,569.00 करोड़ रुपये), जबकि शेष 5,259.52 करोड़ रुपये संघ के विभाज्य करों में से राज्य का भाग (3,063.10 करोड़ रुपये) तथा सहायतार्थ अनुदान (2,196.42 करोड़ रुपये) के रूप में भारत सरकार से प्राप्त हुआ।

(अनुच्छेद 1.1)

2002-03 के अन्त में राजस्व के मुख्य शीर्षों के अंतर्गत कुल 2,249.01 करोड़ रुपये की बकाया अवसूल रही। ये बकाया प्रमुख रुप से बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य उत्पाद शुल्क, कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्तियों पर कर, भू-राजस्व, भूमि एवं सम्पत्ति के विक्रय तथा अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योगों से संबंधित थी।

(अनुच्छेद 1.5)

वर्ष 2002-03 के दौरान बिक्री कर, भू-राजस्व, आबकारी, मोटर वाहन कर, मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क, विद्युत शुल्क, अन्य कर प्राप्तियों, वन प्राप्तियों तथा अन्य कर-इतर प्राप्तियों के अभिलेखों की गई मापक से 43,907 मामलों में 1,316.87 करोड़ रुपये के राजस्व के अवनिर्धारण/कम आरोपण/हानि का पता चला। वर्ष के दौरान विभागों ने 14,910 मामलों में 131.25 करोड़ रुपये के अवनिर्धारण स्वीकार किये। शेष मामलों के संबंध में उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

(अनुच्छेद 1.10)

II. बिक्री कर

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा बिक्री कर विभाग के मध्य सूचना के आदान-प्रदान की उपयुक्त पद्धति के अभाव में वस्तुओं के अवमूल्यांकन के कारण बिक्री कर के 16.16 करोड़ रुपये की हानि हुई।

(अनुच्छेद 2.2)

40 औद्योगिक इकाइयों द्वारा शर्त के उल्लंघन पर लाभ वापस नहीं लेने के परिणामस्वरूप कर एवं ब्याज के 11.87 करोड़ रुपये की वसूली नहीं हुई।

(अनुच्छेद 2.3)

कर की गलत दर लगाने के परिणामस्वरूप 1.71 करोड़ रुपये के कर एव ब्याज का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 2.4.1)

लघु/मध्यम श्रेणी के उद्योगों को 1.41 करोड़ रुपये के कर की अधिक छूट प्रदान कर दी गई।

(अनुच्छेद 2.5)

कर की गणना में त्रुटि के कारण 1.33 करोड़ रुपये का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 2.6)

कर योग्य व्यापारावर्त के गलत निर्धारण के परिणामस्वरूप ब्याज एवं शास्ति सहित 1.12 करोड़ रुपये के कर का आरोपण नहीं हुआ।

(अनुच्छेद 2.8)

III. मोटर वाहनों पर कर

यात्री वाहनों के मूल्य के अवमूल्यांकन के परिणामस्वरूप विशेष पथ कर के 3.64 करोड़ रुपये की राशि की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 3.2)

संविदा वाहनों/मंजिली वाहनों के संबंध में विशेष पथ कर/मोटर वाहन कर के 1.21 करोड़ रुपये की राशि की अवसूली/कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 3.3)

IV. मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

'मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क के अपवंचन' पर समीक्षा में निम्न बिन्दु प्रकट हुएः-

- 31 मार्च 2002 को मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क के 29.80 करोड़ रुपये वसूली हेतु बकाया थे।

(अनुच्छेद 4.2.5)

- आर.आर.वी.पी.एन.एल. द्वारा निष्पादित विक्रय/पट्टा विलेखों के अपंजीयन के परिणामस्वरूप 142.40 करोड़ रुपये के राजस्व का अपवंचन हुआ।

(अनुच्छेद 4.2.7 एवं 4.2.10)

- 40 मामलों में सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन के परिणामस्वरूप मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क के 91.08 लाख रुपये की राशि का कम आरोपण हुआ।

(अनुच्छेद 4.2.11)

- उप पंजीयकों एवं लोक कार्यालयों का पदनामित प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित निरीक्षणों का अभाव तथा अनुश्रवण कमजोर एवं अनियमित था।

(अनुच्छेद 4.2.18)

V. राज्य उत्पाद शुल्क

दो चूककर्ता अनुज्ञाधारियों के विरूद्ध 52.94 लाख रुपये की मांग कम कायम की गई थी।

(अनुच्छेद 5.2)

एक निगम से उत्पाद शुल्क अधिभार की 44.02 लाख रुपये की राशि की वसूली नहीं हुई।

(अनुच्छेद 5.3)

VI. अन्य कर प्राप्तियाँ

समग्र भूमि का मूल्यांकन नहीं करने के परिणामस्वरूप कर की 3.65 लाख रुपये की राशि की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 6.4)

विलासिता कर, ब्याज एवं शास्ति के कुल 1.11 करोड़ रुपये का आरोपण नहीं हुआ।

(अनुच्छेद 6.7)

VII. कर-इतर प्राप्तियाँ

अः गृह (पुलिस) विभाग

'पुलिस विभाग की प्राप्तियाँ' पर समीक्षा में निम्न बिन्दु प्रकट हुएः-

- केन्द्र सरकार एवं केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के विरूद्ध बकाया, 14.06 करोड़ रुपये की कुल बकाया का 90 प्रतिशत थी।

(अनुच्छेद 7.2.5)

- दरों में समय समय पर निर्धारित दस प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि किये बिना आरंभिक दरों पर मांग कायम करने के परिणामस्वरूप 73.83 लाख रुपये के बिल कम जारी हुये।

(अनुच्छेद 7.2.6 एवं 7.2.7)

- पुलिस लागत के निर्धारण में पेंशन अंशदान के घटक को सम्मिलित नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप 10.20 करोड़ रुपये की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 7.2.9)

- रेलवे के अनुमोदन के बिना राजकीय रेलवे पुलिस में पुलिस कार्मिकों को लगाने के परिणामस्वरूप 2.15 करोड़ रुपये का कम पुनर्भरण हुआ।

(अनुच्छेद 7.2.10)

ब. भू-राजस्व

'भू-राजस्व की बकाया के रूप में बकाया की वसूली' पर समीक्षा में निम्न बिन्दु प्रकट हुएः-

भू-राजस्व विभाग

- 31 मार्च 2002 को वसूली हेतु 68.17 करोड़ रुपये की राशि के 5,730 मामले बकाया थे। 31 मार्च 2002 को समाप्त होने वाले पांच वर्षों के दौरान बकाया की वार्षिक वसूली मात्र 5.51 एवं 12.09 प्रतिशत के मध्य रही, जबकि इसी अवधि में कलेक्टरों द्वारा बिना वसूली के लौटाये गये मामलों में वसूली योग्य राशि का प्रतिशत 12.36 एवं 23.22 के मध्य रहा।

(अनुच्छेद 7.3.5)

- सम्पत्तियों की कुर्की हेतू 61 मामले जिनमें 77.90 लाख रुपये की राशि अन्तर्निहित थी में कोई कार्यवाही नहीं की गई। 23 अन्य मामले अन्तर्निहित राशि 28.38 लाख रुपये में कुर्क की गई सम्पत्तियों का 12 से 61 माह व्यतीत हो जाने पर भी निस्तारण नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 7.3.9 एवं 7.3.10)

राज्य आबकारी विभाग

- 406 मामले जिनमें 218.61 करोड़ रुपये की मांग अन्तर्निहित थी, 31 मार्च 2002 को बकाया थे। 1997-98 एवं 2001-02 के मध्य की अवधि के दौरान लम्बित बकायाओं में 481 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(अनुच्छेद 7.3.13)

- चूककर्ताओं की सम्पत्तियों के विवरण अथवा उनके पते की अनुपलब्धता के कारण 8 मामलों में 6.63 करोड़ रुपये की वसूली के लिये कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की गई थी।

(अनुच्छेद 7.3.16)

- 37 चूककर्त्ताओं की कुर्कशुदा सम्पत्तियों को जिनमें 16.49 करोड़ रुपये की मांग अन्तर्निहित थी, न तो अधिकार में लिया गया ना हि एक से पांच वर्ष व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी सार्वजनिक नीलामी द्वारा निस्तारण किया गया।

(अनुच्छेद 7.3.20)

- दो मामलों में जिनमें 5.63 करोड़ रुपये की मांग अन्तर्निहित थी, वसूली प्रमाणपत्र अन्य राज्यों के जिलाधीशों को संबंधित जिलाधीशों के द्वारा अग्रेषित नहीं किये गये थे।

(अनुच्छेद 7.3.21)

- जिला आबकारी अधिकारी द्वारा हैसियत प्रमाण पत्रों के सत्यापन नहीं करने के परिणामस्वरूप 4.08 करोड़ रुपये की हानि हुई।

(अनुच्छेद 7.3.24)

खान एवं भू-विज्ञान विभाग

- चूककर्ताओं के पते अथवा उनकी सम्पत्तियों के विवरण की अनुपलब्धता के परिणामस्वरूप 3.11 करोड़ रुपये के राजस्व की अवसूली हुई।

(अनुच्छेद 7.3.29)

- नीलामी के लिये अपर्याप्त प्रचार के कारण कुर्कशुदा सम्पत्तियों की नीलामी नहीं हुई जिससे 3.53 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

(अनुच्छेद 7.3.30)

स. सामान्य प्रशासन विभाग

सरकारी समपत्तियों पर काबिज वाणिज्यिक उपक्रमों से कुल 30.43 करोड़ रुपये के किराये की वसूली नहीं हुई।

(अनुच्छेद 7.4)

द. खान एवं पेट्रोलियम विभाग

पेट्रोलियम अन्वेषण अनुज्ञाशुल्क की मांग कायम नहीं करने के परिणामस्वरूप 1.64 करोड़ रुपये की वसूली नहीं हुई।

(अनुच्छेद 7.5)

कैडमियम खनिज के अनाधिकृत प्रेषण के परिणामस्वरूप 1.04 करोड़ रुपये की हानि हुई।

(अनुच्छेद 7.7)

खनिज के अनाधिकृत उत्खनन के परिणामस्वरूप 45.10 लाख रुपये की वसूली नहीं हुई।

(अनुच्छेद 7.8)

अध्याय-I: सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृति

1.1.1 राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2002-03 के दौरान वसूल किया गया कर एवं कर-इतर राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त विभाजित होने वाले संघीय करों में राज्य का भाग और सहायतार्थ अनुदान और गत चार वर्षों के तद्नुरूपी आंकड़े नीचे दिये गये हैं :

(करोड़ रुपयों में)

		1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03
I.	राज्य सरकार द्वारा वसूल किया गया राजस्व					
	(क) कर राजस्व	3,939.34	4,530.90	5,299.96	5,671.17	6,253.34
	(ख) कर-इतर राजस्व	1,353.39	1,573.77	1,687.98	1,508.46	1,569.00
	योग	**5,292.73**	**6,104.67**	**6,987.94**	**7,179.63**	**7,822.34**
II.	भारत सरकार से प्राप्तियाँ					
	(क) विभाजित होने वाले संघीय करों में राज्य का भाग	1,964.28	2,184.84	2,836.61	2,882.36	3,063.10
	(ख) सहायतार्थ अनुदान	1,322.27	1,500.10	2,577.23	2,091.30	2,196.42
	योग	**3,286.55**	**3,684.94**	**5,413.84**	**4,973.66**	**5,259.52**
III.	**राज्य सरकार की कुल प्राप्तियाँ (I और II)**	**8,579.28**	**9,789.61**	**12,401.78**	**12,153.29**	**13,081.86**[1]
IV	**I से III का प्रतिशत**	**62**	**62**	**56**	**59**	**60**

[1] ब्यौरे के लिए, कृपया राजस्थान सरकार के **वर्ष 2002-03 के वित्त** लेखे की 'विवरणी संख्या-11 लघु शीर्षवार राजस्व का ब्यौरेवार लेखा' देखें। वित्त **लेखो में** 'क-कर राजस्व' के अन्तर्गत प्रदर्शित मद 0020-निगम कर, '0021-आय पर निगम कर से भिन्न, 0028-आय एवं व्यय पर अन्य कर, 0032-सम्पदा पर कर, 0037-सीमा शुल्क, 0038-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, 0044-सेवा कर एवं 0045-वस्तु एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क शुद्ध प्राप्तियों में से राज्य को दिया गया भाग' के आंकड़ों को उपरोक्त विवरण में राज्य द्वारा वसूल किये गए राजस्व में से घटाया गया है एवं विभाजित होने वाले संघीय करों में 'राज्य का भाग' जोड़ा गया है।

1.1.2 वर्ष 2002-03 के दौरान वसूल किये गए कर राजस्व का विवरण गत चार वर्षों के आंकडों सहित नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रुपयों मे)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2002-03 में 2001-02 पर प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	(क) बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	1,924.42	2,279.83	2,644.51	2,869.23	3,229.79	(+) 13
	(ख) केन्द्रीय बिक्री कर	134.25	144.69	176.70	199.80	208.11	(+) 4
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	990.03	960.81	1,118.48	1,110.27	1,142.34	(+) 3
3.	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	344.36	376.77	436.73	478.89	515.73	(+) 8
4.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	91.87	193.67	251.90	250.88	239.85	(-) 4
5.	वाहनों पर कर	364.36	455.48	511.30	566.33	646.14	(+) 14
6.	यात्रियों एवं माल पर कर	-	8.45	19.55	23.10	130.44	(+) 465
7.	आय एवं व्यय पर अन्य कर, व्यवसाय, व्यापार, पेशा एवं रोजगार पर कर	-	-	10.99	15.56	17.23	(+) 11
8.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	38.80	49.42	52.89	54.04	47.12	(-) 13
9.	भू-राजस्व	33.27	35.09	44.81	79.17	57.98	(-) 27
10.	अन्य कर	17.98	26.69	32.10	23.90	18.61	(-) 22
	योग	**3,939.34**	**4,530.90**	**5,299.96**	**5,671.17**	**6,253.34**	

वर्ष 2001-02 की तुलना में वर्ष 2002-03 के दौरान राजस्व शीर्षों के संबंध प्राप्तियों में कमी के कारण, जो विभागों द्वारा सूचित किये गए हैं, नीचे दिये जा रहे हैं:-

यात्रियों एंव माल पर कर:-राज्य में प्रवेश करने पर करारोपण हेतु नई वस्तुऐं सम्मिलित करने के कारण वृद्धि (465 प्रतिशत) हुई है।

वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क:-सिनेमा उद्योग के व्यापार में कमी, केबल टी.वी. का अत्यधिक उपयोग, नवनिर्मित मल्टीप्लेक्स सिनेमा घरों एवं ड्राईव इन सिनेमा/थियेटर को मनोरंजन कर में छूट तथा विलासिता करों में आफ सीजन (मन्दी समय) की छूट के कारण कमी (13 प्रतिशत) हुई।

भू-राजस्व:-स्थानीय निकायों/नगर सुधार न्यासों/जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा रूपान्तरण शुल्क के कम भुगतान के कारण कमी (27 प्रतिशत) हुई।

अन्तर के कारण यद्यपि मई 2003 में अन्य विभागों के विभागाध्यक्षों से माँगे गये थे जो प्राप्त नहीं हुए (अगस्त 2003)।

1.1.3 वर्ष 2002-03 के दौरान राज्य द्वारा वसूल किया गया, मुख्य कर-इतर राजस्व का विवरण गत चार वर्षों के आंकडों सहित नीचे दिया जा रहा है:-

(करोड़ रुपयों मे)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2002-03 में 2001-02 पर प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
1.	ब्याज प्राप्तियाँ	628.79	670.42	589.55	583.77	607.04	(+) 4
2	अन्य कर-इतर प्राप्तियाँ	227.55	216.01	265.91	269.94	259.14	(-) 4
3.	वानिकी एवं वन्य जीवन	17.91	22.98	37.02	44.82	41.63	(-) 7
4.	अलोह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	304.25	349.53	370.13	412.98	449.38	(+) 9
5.	विविध सामान्य सेवाएं (लॉटरी प्राप्तियों सहित)	64.50	138.78	241.92	46.23	43.88	(-) 5
6.	ऊर्जा	-	-	0.10	0.02	1.40	(+) 6,900
7.	वृहद एवं मध्यम सिंचाई	23.40	40.88	36.48	18.43	20.74	(+) 13
8.	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	14.79	12.38	16.13	24.57	22.40	(-) 9
9.	सहकारिता	5.27	4.45	7.33	6.79	7.90	(+) 16
10.	सार्वजनिक निर्माण	16.89	19.14	22.33	17.49	19.69	(+) 13
11.	पुलिस	18.97	46.38	57.43	48.66	57.59	(+) 18
12.	अन्य प्रशासनिक सेवायें	31.07	52.82	43.65	34.76	38.21	(+) 10
	योग	**1,353.39**	**1,573.77**	**1,687.98**	**1,508.46**	**1,569.00**	

अन्तर के कारण यद्यपि मई 2003 में विभागाध्यक्षों से माँगे गये थे, जो प्राप्त नहीं हुए (अगस्त 2003)।

1.2 संशोधित अनुमानों और वास्तविक आंकडों में अन्तर

वर्ष 2002-03 के लिए कर एवं कर-इतर राजस्व को मुख्य शीर्षों से संबंधित संशोधित अनुमानों और वास्तविक राजस्व प्राप्तियों के अन्तर नीचे दिये गए हैः

(करोड़ रुपयों मे)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	संशोधित अनुमान	वास्तविक	अन्तर वृद्धि (+) कमी (-)	बजट अनुमानों के संदर्भ में अन्तर का प्रतिशत
कर राजस्व					
1.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	3,500.00	3,437.90	(-) 62.10	(-) 2
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	1,150.00	1,142.34	(-) 7.66	(-) 1
3.	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	585.00	515.73	(-) 69.27	(-) 12
4.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	290.90	239.85	(-) 51.05	(-) 18
5.	वाहनों पर कर	625.00	646.14	(+) 21.14	(+) 3
6.	भू-राजस्व	83.61	57.98	(-) 25.63	(-) 31
7.	कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर	25.00	18.59	(-) 6.41	(-) 26
	योग	**6,259.51**	**6,058.53**	**(-) 200.98**	**(-) 3**
कर इतर राजस्व					
1.	अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	465.00	449.38	(-) 15.62	(-) 3
2.	ब्याज प्राप्तियां	625.64	607.04	(-) 18.60	(-) 3
3.	विविध सामान्य सेवाऐं	42.27	43.88	(+) 1.61	(+) 4
4.	वानिकी एवं वन्य जीवन	33.69	41.63	(+) 7.94	(+) 24
5.	पुलिस	57.00	57.59	(+) 0.59	(+) 1
	योग	**1,223.60**	**1,199.52**	**(-) 24.08**	**(-) 2**

विभागों द्वारा अन्तर के कारण निम्न प्रकार सूचित किए गयेः-

मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्कः-राज्य सूखा एवं अकाल का सामना कर रहा है जससे कृषि भूमि के क्रय/विक्रय प्रभावित हुआ जिसके कारण कमी (12 प्रतिशत) हुई।

विद्युत पर कर एवं शुल्कः-विद्युत कम्पनियों से विद्युत कर की कम प्राप्ति के कारण कमी (18 प्रतिशत) हुई।

भू-राजस्वः-रूपान्तरण शुल्क अन्तर्गत स्थानीय निकायों/नगर विकास न्यासों/जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कम राशि जमा कराने के कारण कमी (31 प्रतिशत) हुई।

1.3 संग्रहण की लागत

वर्ष 2000-01, 2001-02 और 2002-03 के दौरान प्रमुख राजस्व प्राप्तियों में सकल संग्रहण, उनके संग्रहण पर किया गया व्यय और सकल संग्रहण के लिए किये गए ऐसे व्यय का प्रतिशत, वर्ष 2001-02 के लिए संबंधित अखिल भारतीय औसत प्रतिशत के साथ नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	वर्ष	संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	सकल संग्रहण पर व्यय का प्रतिशत	वर्ष 2001-02 के लिये अखिल भारतीय औसत का प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	2000-01 2001-02 2002-03	2,821.21 3,069.03 3,437.90	30.28 32.60 32.69	1.0 1.1 1.0	1.26
2.	राज्य उत्पाद शुल्क	2000-01 2001-02 2002-03	1,008.92 1,024.68 1,142.34	17.90 19.13 18.60	1.8 1.9 1.6	3.21
3.	वाहनों पर कर	2000-01 2001-02 2002-03	511.30 566.33 646.14	8.98 10.07 10.27	1.8 1.8 1.6	2.99
4.	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	2000-01 2001-02 2002-03	436.73 478.89 515.73	9.30 10.11 10.40	2.1 2.1 2.0	3.51

1.4 बिक्री कर का प्रति करदाता संग्रहण

(लाख रुपयों में)

वर्ष	करदाताओं की संख्या	बिक्री कर राजस्व	प्रति करदाता राजस्व
1998-1999	1,57,340	2,05,867	1.31
1999-2000	1,68,429	2,42,452	1.44
2000-2001	1,79,418	2,82,121	1.57
2001-2002	1,87,281	3,06,903	1.64
2002-2003	2,19,052	3,43,790	1.57

1.5 राजस्व की बकाया का विश्लेषण

31 मार्च 2003 को राजस्व के कुछ प्रमुख शीर्षों के संबंध में राजस्व की बकाया की राशि 2,249.01 करोड़ रुपये थी जिसमें से 262.75 करोड़ रुपये 5 वर्ष से अधिक समय से बकाया थे, जिसका विवरण नीचे दिया है:-

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2003 को बकाया राशि	31 मार्च 1998 को पांच वर्षों से अधिक बकाया राशि	टिप्पणी
1.	2.	3.	4.	5.
01.	बिक्री व्यापार इत्यादि पर कर	1,635.34	124.86	1,635.34 करोड़ रुपयों में से 300.65 करोड़ रुपये की मांगें न्यायालय एवं न्यायिक अधिकारियों द्वारा स्थगित कर दी गई थी। 1.00 करोड़ रुपये की मांग अपलिखित होने की संभावना है। 1,333.69 करोड़ रुपये बकाया की वसूली विभिन्न स्तरों पर थी।
02.	राज्य उत्पाद शुल्क	208.90	40.13	सभी मांगें राजस्व वसूली प्रमाण-पत्रों के द्वारा भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित थीं।
03.	वाहनों पर कर	18.41	9.65	18.41 करोड़ रुपयों में से 2.43 करोड़ रुपयों की मांगें न्यायालय/सरकार द्वारा स्थगित कर दी गई और 15.98 करोड़ रुपये की वसूली विभिन्न स्तरों पर थी।
04.	मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	28.86	5.81	28.86 करोड़ रुपयों में से 17.33 करोड़ रुपये की मांगें वसूली प्रमाण-पत्रों से आवृत थीं। 7.26 करोड़ रुपये की मांगें उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित कर दी गई एवं 0.46 करोड़ रुपये की मांगें सरकार द्वारा रोक दी गई थीं। 1.00 करोड़ रुपयों की मांग आवेदन पत्रों में संशोधन/समीक्षा के कारण रोकी गई। 2.81 करोड़ रुपये की बकाया वसूली विभिन्न स्तरों पर थीं।
05.	[1]भू-राजस्व	58.95	19.56	58.95 करोड़ रुपयों में से 6.14 करोड़ रुपये की मांगे सरकार द्वारा रोक दी गई थीं एवं 3.35 करोड़ रुपये की उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित कर दी गई थी। 49.42 करोड़ रुपये की बकाया वसूली के विभिन्न स्तरों पर थीं तथा 0.04 करोड़ रुपये के अपलिखित होने की संभावना थी।

[1] वृहद एवं मध्यम सिंचाई एवं भू-राजस्व से संबंधित राजस्व मण्डल द्वारा प्रेषित आंकड़े अनअन्तिम है।

1.	2.	3.	4.	5.
06.	कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर	87.12	13.69	87.12 करोड़ रुपयों में से 22.24 करोड़ रुपयों की मांगें वसूली प्रमाण पत्रों से आवृत थीं। 26.93 करोड़ रुपयों की मांगें उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित कर दी गई। 2.60 करोड़ रुपये की मांगें आवेदन पत्रों में संशोधन/समीक्षा के कारण रोके गये। 35.35 करोड़ रुपये की बकाया वसूली विभिन्न स्तरों पर थीं।
07.	ग्रामीण/शहरी जलापूर्ति योजनाओं से जलापूर्ति एवं सफाई प्राप्तियाँ	42.62	14.40	42.62 करोड़ रुपयों में से 0.43 करोड़ रुपये की मांगें न्यायिक प्राधिकारियों के द्वारा एवं 0.05 करोड़ रुपये सरकार द्वारा स्थगित कर दी गई। 1.69 करोड़ रुपयों की मांग अपलिखित होने की संभावना थी। 0.02 करोड़ रुपये की बकाया आवेदन पत्रों में संशोधन/समीक्षा के कारण रोके गये। 0.10 करोड़ रुपये वसूली प्रमाणपत्रों से आवृत थे एवं 40.33 करोड़ रुपये वसूली के विभिन्न स्तरों पर थे।
08.	अलौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	51.20	25.95	51.20 करोड़ रुपयों में से 21.28 करोड़ रुपयों की मांगें उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित कर दी गई थी। 2.91 करोड़ रुपये सरकार द्वारा रोक दिए गए थे। 18.20 करोड़ रुपये की मांगे वसूली प्रमाण पत्रों से आवृत थें। 0.17 करोड़ रुपये की बकाया के अपलिखित होने की संभावना थी, एवं 8.64 करोड़ रुपये की वसूली विभिन्न स्तरों पर थी।
09.	भूमि एवं सम्पत्ति की बिक्री	67.08	1.83	67.08 करोड़ रुपये में से 0.04 करोड़ रुपये की मांग उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा स्थगित कर दी गई थी। 67.04 करोड़ रुपये की शेष राशि की वसूली की स्थिति विभाग द्वारा प्रेषित नहीं की गई।
10.	[1]वृहद एवं मध्यम सिंचाई	50.53	6.87	50.53 करोड़ रुपयों में से 41.53 करोड़ रुपये की वसूली अन्य स्तरों पर थी। शेष 9.00 करोड़ रुपये की राशि हेतु कार्यवाही के स्तरों की सूचना, यद्धपि मांगी गई थीं किन्तु प्रेषित नहीं की गई।
	योग	2249.01	262.75	

[1] वृहद एवं मध्यम सिंचाई एवं भू-राजस्व से संबंधित राजस्व मण्डल द्वारा प्रेषित आंकड़े अनअन्तिम है।

1.6 कर निर्धारणों में बकाया

वर्ष 2002-03 के आरंभ में अंतिम रूप देने के लिए लम्बित कर निर्धारणों के मामले, वर्ष के दौरान निर्धारण योग्य मामले, वर्ष के दौरान निपटाये गये मामले और अन्तिम रूप देने के लिये वर्ष 2002-03 के अन्त में बिक्री कर और मनोरंजन कर के संबंध में लम्बित मामलों का बिक्री कर विभाग द्वारा प्रेषित किया गया विवरण नीचे दिया गया है:-

राजस्व शीर्ष	प्रारंभिक शेष	निर्धारण हेतु बकाया नये प्रकरण	योग	निपटाये गये प्रकरण	शेष	कालम 5 का 4 पर प्रतिशत
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
वित्त विभाग						
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	1,44,443[1]	11,121	1,55,564	1,55,486	78	99.95
मनोरंजन कर	2,182	3,020	5,202	2,629	2,573	50.54

1.7 कर अपवंचन

वर्ष 2002-03 में बिक्री कर विभाग द्वारा कर अपवंचन के पता लगाये गये मामले, अन्तिम रूप दिये गये मामले तथा अतिरिक्त कर की कायम की गई मांग का विवरण जैसा कि विभाग द्वारा सूचित किया गया, नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	1 अप्रैल 2002 को प्रारम्भिक शेष	पता लगाये गये मामले	योग	निर्धारण/अन्वेषण पूर्ण किये गये तथा शास्ति आदि सहित अतिरिक्त मांग कायम शुदा मामले		31 मार्च 2003 को बकाया मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	मांग की राशि (करोड़ रुपयों में)	
1.	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	585	5374	5959	5259	266.30	700

[1] विभाग द्वारा प्रेषित आंकड़े वर्ष के अन्तिम शेष 1,44,012 से मेल नहीं खाते (राजस्थान सरकार का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) वर्ष 2001-02 का अनुच्छेद संख्या 1.5 का क्रम संख्या 1)।

1.8 राजस्व का अपलेखन एवं अधित्याग

वर्ष 2002-03 के दौरान राज्य उत्पाद शुल्क से संबंधित 0.40 लाख रुपये की मांग (दो मामलों में) अपलिखित की गई क्योंक विभाग द्वारा इसे अवसूलनीय माना गया था।

1.9 प्रतिदाय

वर्ष 2002-03 के प्रारम्भ में बकाया प्रतिदाय के मामले, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान प्रतिदाय दिये गये मामलों तथा वर्ष 2002-03 के अन्त में बकाया मामलों की संख्या जैसी की बिक्री कर विभाग द्वारा सूचित की गई है, नीचे दी गई हैः-

(करोड़ रुपयों में)

प्रारम्भिक शेष		प्राप्त दावे		अनुमत्य प्रतिदाय		अन्तिम शेष	
प्रकरण संख्या	राशि	प्रकरण संख्या	राशि	प्रकरण संख्या	राशि	प्रकरण संख्या	राशि
253	2.10	7,592	41.70	7,358	40.49	487	3.31

1.10 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2002-03 के दौरान बिक्री कर, भू-राजस्व, राज्य उत्पाद शुल्क, मोटर वाहन कर, मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क, विद्युत शुल्क, अन्य कर प्राप्तियाँ, वन प्राप्तियाँ एवं अन्य कर-इतर प्राप्तियाँ की मापक जांच में 43,907 मामलों में 1,316.87 करोड़ रुपयों की राशि के अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व हानि का पता चला। वर्ष के दौरान संबंधित विभागों ने अवनिर्धारण के 131.25 करोड़ रुपये की राशि के 14,910 मामले स्वीकार किये गये। शेष मामलों के संबंध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

इस प्रतिवेदन में कर, शुल्क, ब्याज एवं शास्ति इत्यादि के अनारोपण/कम आरोपण से संबंधित 3 समीक्षाओं सहित 46 अनुच्छेद, जिनमें 382.52 करोड़ रुपये निहित है, सम्मिलित किए गए हैं। सरकार/विभागों ने अगस्त 2003 तक 169.19 करोड़ रुपयों की लेखापरीक्षा टिप्पणियां स्वीकार की हैं जिसमें से 2.41 करोड़ रुपये वसूल हो चुके हैं। अन्य मामलों में उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

1.11 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

प्रत्येक विभाग द्वारा, एक वर्ष में छमाही आधार पर क्रमशः जून एवं दिसम्बर तक, दो बार

लेखापरीक्षा समिति की बैठक आयोजित करनी थी। वर्ष 2002 के दौरान विभाग-वार आयोजित बैठकों की स्थिति निम्नानुसार हैः-

क्र.सं.	विभाग का नाम	2002 के दौरान आयोजित बैठक की संख्या		
		जून 2002 को समाप्त छमाही	दिसम्बर 2002 को समाप्त छमाही	योग
1.	वाणिज्यिक कर	शुन्य	1	1
2.	आबकारी	शुन्य	शुन्य	शुन्य
3.	परिवहन	1	1	2
4.	पंजीयन एवं मुद्रांक	शुन्य	1	1
5.	भूमि एवं भवन कर	शुन्य	1	1
6.	भू राजस्व	1	शुन्य	1
7.	खान एवं भू गर्भ विज्ञान	1	शुन्य	1
	योग	**3**	**4**	**7**

उपरोक्त विवरण से पता चलता है कि 14 बैठकें होनी आवश्यक थी के विरूद्ध केवल 7 बैठकें (50 प्रतिशत) ही आयोजित की गई थी।

आबकारी विभाग ने 2002 के दौरान ऐसी किसी भी बैठक का आयोजन नहीं किया।

1.12 ड्राफ्ट लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागों के उत्तर

वित्त विभाग ने अगस्त 1969 में सभी विभागों को, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिये प्रस्तावित ड्राफ्ट लेखापरीक्षा अनुच्छेदों के उत्तर उनकी प्राप्ति से तीन सप्ताह के अन्दर भिजवाने हेतु निर्देश जारी किये थे। ड्राफ्ट अनुच्छेद संबंधित लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा संबंधित विभागों के सचिवों को अर्द्धशासकीय पत्रों के माध्यम से, लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान दिलाये जाने तथा यह अनुरोध करते हुए भेजे जाते हैं कि वे अपने उत्तर तीन सप्ताह में भिजवा दें। सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं होने के तथ्य को, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित प्रत्येक अनुच्छेदों के अन्त में समान रूप से दर्शाया जाता है।

31 मार्च 2003 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) में सम्मिलित ड्राफ्ट अनुच्छेद संबंधित विभागों के सचिवों को अर्द्ध शासकीय पत्रों के द्वारा जून 2003 एवं अगस्त 2003 के मध्य प्रेषित किये गये थे। जारी किये गये 88 मामलों (46 पैराग्राफ मिलाकर) में से 60 मामलों में विभाग ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया।

1.13 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही-संक्षिप्त स्थिति

वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, सभी विभागों को, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित अनुच्छेदों के संबंध में, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के सदन पटल पर रखे जाने से दो माह के अन्दर, अपने व्याख्यात्मक पत्रक लेखापरीक्षा द्वारा जांचोपरान्त राजस्थान विधानसभा सचिवालय को प्रेषित करने होते हैं।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित तथा 31 अगस्त 2003 को चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेदों की स्थिति परिशिष्ट 'अ' में दर्शायी गई है। इससे विदित होता है कि वर्ष के दौरान 46 लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर जन लेखा समिति द्वारा चर्चा की गई। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 1998-99 तक के प्रतिवेदनों के कोई भी अनुच्छेद जन लेखा समिति में चर्चा हेतु शेष नहीं था। वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 की अवधि से सम्बन्धित 100 अनुच्छेद शेष थे।

राजस्थान राज्य विधानसभा की जन लेखा समिति के लिये वर्ष 1997 में बनाये गये नियम एवं कार्यविधि के अनुसार लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर जन लेखा समिति की सिफारिशों पर, विधानसभा में प्रस्तुत करने के छः माह के अन्दर क्रियान्विति विषयक प्रतिवेदनों को प्रेषित करने हेतु संबंधित विभाग आवश्यक कार्यवाही करेगें। बकाया क्रियान्विति प्रतिवेदनों की स्थिति परिशिष्ट 'ब' में दर्शायी गयी है। इससे विदित होता है कि बकाया क्रियान्विति विषयक प्रतिवेदनों की अवधि एक माह से बारह वर्ष तक रही।

अध्याय-II: बिक्री कर

2.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2002-03 के दौरान वाणिज्यिक कर विभाग के कार्यालयों में अभिलेखों की लेखापरीक्षा में की गई मापक जांच से 1597 मामलों में 74.01 करोड़ रुपयों के अवनिर्धारण आदि का पता चला जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:-

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1.	कर योग्य व्यापारावर्त का निर्धारण नहीं करना	188	9.86
2.	कटौती की अनियमित या गलत स्वीकृति के कारण अवनिर्धारण	71	0.93
3.	कर की गलत दर लगाने के कारण कर का कम आरोपण	385	6.32
4.	अनियमित छूट प्रदान करना	186	20.71
5.	क्रय कर आरोपित नहीं करना	64	1.56
6.	शास्ति/ब्याज आरोपित नहीं करना	131	1.68
7.	बिक्री कर की राजस्व हानि	154	16.16
8.	अन्य अनियमिततायें	418	16.79
योग		**1597**	**74.01**

वर्ष 2002-03 के दौरान विभाग ने 405 मामलों में जिनमें 5.78 करोड़ रुपये अन्तर्निहित थे, में अवनिर्धारणों आदि को स्वीकार किया, जिसमें से 167 मामले जिनमें 1.63 करोड़ रुपये अन्तर्निहित थे वर्ष 2002-03 की लेखापरीक्षा के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे। इसके अतिरिक्त, विभाग ने वर्ष 2002-03 के दौरान 68 मामलों में 63.13 लाख रुपये वसूल किये जिनमें से 13.97 लाख रुपये के 22 मामले वर्ष 2002-03 से तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित थे।

कुछ निदर्शी मामले जिनमें 38.64 करोड़ रुपये अन्तर्निहित है जो महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों को उजागर करते हैं, आगामी अनुच्छेदों में दिये गये हैं:-

2.2 बिक्री कर की राजस्व हानि

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत प्रत्येक व्यवसाई को उसके द्वारा प्राप्त किये गये, निर्मित, बेचे गये या अन्यथा निस्तारित या उसके द्वारा स्टॉक में रखे गये माल के मूल्य एवं मात्रा का सत्य एवं सही लेखा संधारित करना होता है। न्यायिक रूप से यह माना[1] गया है कि उत्पाद शुल्क की राशि, चाहे व्यवसाई द्वारा प्रभारित मूल्य में सम्मिलित की गई हो या बिल में एक अलग मद के रूप में दर्शाई गई हो, विक्रय मूल्य का भाग है। इसके अतिरिक्त यदि व्यवसाई उसके द्वारा प्रस्तुत विवरणियों में कोई विवरण छुपाता है, या जानबूझ कर उसमें गलत विवरण देता है या अपनी लेखा पुस्तकों में क्रय या विक्रय के किसी संव्यवहार का लेखांकन नहीं करता है, तो वह देय कर के अतिरिक्त ऐसे कर की राशि के दुगने के बराबर राशि शास्ति के रूप में भुगतान करेगा। व्यवसाई पर कर की राशि पर 2 प्रतिशत प्रति माह की दर से ब्याज के भुगतान करने का दायित्व भी है।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के अभिलेखों की मापक जांच में पता चला कि 154 मामलों में निर्माण कर रहे व्यवसाइयों ने जनवरी 2001 एवं मार्च 2003 की अवधि के दौरान केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान का या तो वस्तुओं के गुप्त रूप से निष्कासन या अव-मूल्यांकन या अन्यथा द्वारा अपवंचन किया। परिणामस्वरूप केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उनके विरूद्ध 84.34 करोड़ रुपये मूल्य के माल के विक्रय पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की 10.27 करोड़ रुपये की मांगों की पुष्टि की।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा बिक्री कर विभागों के मध्य सूचना के आदान-प्रदान एवं समन्वय की उपयुक्त पद्धति के अभाव में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अपवंचन के तथ्य बिक्री कर विभाग को ज्ञात नहीं थे। चूंकि बिक्री कर, देय उत्पाद शुल्क सहित माल के मूल्य पर प्रभार्य है, इस चूक के परिणामस्वरूप 94.61 करोड़ रुपये के सकल विक्रय पर ब्याज एवं शास्ति सहित 16.16 करोड़ रुपये के बिक्री कर की हानि हुई।

मामला विभाग तथा सरकार को मई 2003 में सूचित किया गया; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (अगस्त 2003)।

2.3 शर्त के उल्लंघन पर लाभ वापस नहीं लेना

'बिक्री कर प्रोत्साहन योजना, 1987' के अन्तर्गत औद्योगिक इकाइयों को योजना में अधिकतम मात्रा एवं लाभ की निर्धारित अवधि के अधीन उनके कर दायित्व की 100 प्रतिशत छूट का अधिकार था। इसके अतिरिक्त, योजना में प्रावधान है कि पात्र इकाइयों को, योजना का लाभ उपयोग कर लेने के उपरान्त कम से कम अगले पांच वर्षों तक अपना उत्पादन जारी रखना होगा जो गत पांच वर्षों के औसत उत्पादन के स्तर से कम

[1] (1979) 43 एस टी सी 13 (पृष्ठ 28) मै.हिन्दुस्तान शुगर मिल्स लिमिटेड बनाम राजस्थान राज्य (एस.सी.)।

नहीं होगा। किसी शर्त के उल्लंघन के मामले में, व्यवसाई को निर्मित वस्तु पर यह मानते हुए कर देय था कि वहां कोई छूट नहीं थी। इसके अतिरक्त, व्यवसाई पर ऐसे अपवंचित कर की राशि पर निर्धारित दरों से ब्याज के भुगतान करने का भी दायित्व है।

8 वाणिज्यिक कर कार्यालयों[1] में यह देखा गया कि 40 औद्योगिक इकाइयों को जुलाई 1988 एवं अक्टूबर 1996 के मध्य पात्रता प्रमाणपत्र जारी किये गये थे। इन इकाइयों ने योजना के अन्तर्गत वर्ष 1988-89 से 2000-01 के दौरान 6.24 करोड़ रुपये की कर छूट का लाभ उठाने के बाद, 1992-93 एवं 2000-01 के मध्य अपना उत्पादन बन्द कर दिया। यद्यपि, इन इकाइयों को लाभ उठाने के उपरान्त अगले 5 वर्षों तक अपना उत्पादन जारी रखना था, किन्तु उनके द्वारा उठाई गई छूट वापस लेने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित कर के 11.87 करोड़ रुपयों की वसूली नहीं हुई।

इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर विभाग ने अगस्त 2003 में सूचित किया कि इन मामलों में कार्यवाही करने हेतु प्रकरण वित्त विभाग को भेज दिया गया है।

मामला सरकार को फरवरी 2003 एवं अप्रैल 2003 के मध्य सूचित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 2003)।

2.4 कर की गलत दर लगाने के कारण कर का कम आरोपण

2.4.1 केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत, घोषित वस्तुओं के अतिरिक्त, वस्तुओं की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर यदि ऐसी बिक्री निर्धारित घोषणापत्रों से समर्थित है तो 4 प्रतिशत की रियायती दर से कर आरोपणीय है अन्यथा, 10 प्रतिशत की दर या ऐसे माल के राज्य में क्रय या विक्रय पर संबंधित राज्य के बिक्री कर कानून के अन्तर्गत लगने वाली कर दर, जो भी अधिक हो, से कर आरोपणीय है। इसके अतिरिक्त, राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, के अन्तर्गत राज्य सरकार ने अधिसूचनाएं जारी करके भिन्न भिन्न वस्तुओं के लिये भिन्न-भिन्न कर की दरें निर्धारित की। वे वस्तुऐं, जिनके लिये कोई विशिष्ट दर निर्धारित नहीं की गई है, पर इन अधिसूचनाओं में निर्धारित सामान्य अवशिष्ट कर की दर से कर आरोपणीय था। समय-समय पर निर्धारित दर से अधिभार भी आरोपणीय था।

चार वृत्तों के कर निर्धारण अभिलेखों की संवीक्षा में पता चला कि 9 मामलों में कर की

[1] भिवाड़ी (4), चुरू (8), 'ए' जयपुर (1), विशेष कोटा (1), नागौर (1), सीकर (2), सिरोही (20), तथा 'ए' उदयपुर (3)।

गलत दर लगाने के कारण कर, अधिभार एवं ब्याज के कुल 1.71 करोड़ रुपये का कम आरोपण हुआ जिसका विवरण नीचे दिया गया है:-

(लाख रुपयों में)

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>वृत्त का नाम/ इकाइयों की संख्या</th><th>कर निर्धारण वर्ष/ कर निर्धारण का माह</th><th>वस्तु</th><th>व्यापारावर्त</th><th>कर, अधिभार एवं ब्याज का कम आरोपण</th><th>टिप्पणी</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>2.</td><td>3.</td><td>4.</td><td>5.</td><td>6.</td><td>7.</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>विशेष अलवर (1)</td><td>2000-01/ मार्च 2002</td><td>ऑटो-मोबाइल बुश</td><td>161.40</td><td>9.68</td><td>वस्तु की अन्तर्राज्यीय बिक्री वांछित घोषणापत्रों से समर्थित नहीं होने पर 10 प्रतिशत से कर आरोपणीय था, किन्तु गलत रूप से 4 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया।</td></tr>
<tr><td colspan="7">इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर विभाग ने जनवरी/अगस्त 2003 में सूचित किया कि 9.68 लाख रुपये की मांग कायम कर व्यवसाई को उपलब्ध छूट सीमा के विरूद्ध समायोजन के द्वारा वसूल कर लिये गये।
मामला सरकार को जनवरी 2003 में सूचित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 2003)।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>झुन्झुनु (3)</td><td>1998-99/ अगस्त 2000 एवं फरवरी 2001 के मध्य</td><td>अलौह धातु</td><td>1110.55</td><td>63.30</td><td>वस्तु की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर 'सी' फार्म के समर्थन पर 4 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय था किन्तु गलत रूप से 1 प्रतिशत से कर आरोपित किया गया।</td></tr>
<tr><td colspan="7">चूक अगस्त 2002 में विभाग के ध्यान में लाई गई तथा मार्च 2003 में सरकार को सूचित की गई; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2003)।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>झुन्झुनु (1)</td><td>1999-00/ (19 जनवरी 2000 से 31 मार्च 2000 तक)/ दिसम्बर 2001</td><td>औद्योगिक गैस</td><td>252.98</td><td>23.27</td><td>19 जनवरी 2000 से औद्योगिक गैसों पर 12 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय था, किन्तु गलत रूप से 4 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया।</td></tr>
<tr><td colspan="7">इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी ने जुलाई 2002 में बताया कि 19 जनवरी 2000 की अधिसूचना दिनांक 26 मार्च 1999 की अधिसूचना जिसमें 4 प्रतिशत की दर निर्धारित की गई थी, को प्रतिस्थापित नहीं किया था। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि 19 जनवरी 2000 की अधिसूचना, 19 जनवरी 2000 की अधिसूचना में सम्मिलित वस्तुओं के संबंध में जारी अन्य समस्त छूट संबंधी अधिसूचनाओं के प्रतिस्थापन में जारी की गई थी।
मामला सरकार को मार्च 2003 में सूचित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 2003)।</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>विशेष-II जोधपुर (1)</td><td>1999-00/ (1 फरवरी 2000 के बाद से) तथा 2000-01/ दिसम्बर 2001 एवं फरवरी 2002</td><td>प्राकृतिक गैस</td><td>1452.14</td><td>53.48</td><td>वस्तु पर 12 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय था किन्तु गलत रूप से 10 प्रतिशत से कर आरोपित किया गया।</td></tr>
<tr><td colspan="7">चूक दिसम्बर 2002 में विभाग के ध्यान में लाई गई तथा सरकार को फरवरी 2003 में सूचित की गई; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (अगस्त 2003)।</td></tr>
</table>

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
5.	विशेष-राजस्थान जयपुर (2)	1998-99/ सितम्बर 2001 1999-00/ मई 2001	कोलतार मोटर कार के स्पेयर पार्ट्स	305.58	13.92	कोलतार तथा मोटर कार के स्पेयर पार्ट्स पर क्रमशः 12 प्रतिशत एवं 6 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय था, किन्तु गलत रूप से क्रमशः 10 प्रतिशत एवं 4 प्रतिशत से कर आरोपित किया गया।
चूक फरवरी 2003 में विभाग के ध्यान में लाई गई तथा सरकार को अप्रैल 2003 में सूचित की गई; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2003)।						
6.	विशेष-राजस्थान जयपुर (1)	1998-99/ जनवरी 2001	मोबिल आयल	25.58	6.87	वस्तु पर 12 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय था; किन्तु गलत रूप से 4 प्रतिशत की दर से कर आरोपित कर दिया गया।
लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर विभाग ने अप्रैल 2003 में सूचित किया कि दिसम्बर 2002 में 2.03 लाख रुपये के ब्याज सहित 8.90 लाख रुपये की मांग कायम की जा चुकी थी। वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (अगस्त 2003)। मामला सरकार को अप्रैल 2003 में सूचित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 2003)।						
योग	9				170.52	

2.4.2 राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, के अन्तर्गत, वस्तुओं (कच्चे माल के अतिरिक्त) के क्रय या विक्रय पर 4 प्रतिशत की रियायती दर से कर आरोपणीय है, यदि ऐसी वस्तु व्यवसाई के द्वारा विक्रय के लिये वस्तु के निर्माण/निर्माण प्रक्रिया में या खनन कार्य में या विद्युत के उत्पादन एवं वितरण में उपयोग के लिये आवश्यक हो। ऐसी रियायत का दावा करने के लिये विक्रेता व्यवसाई को, क्रेता व्यवसाई से उसके द्वारा समुचित रूप से भरा हुआ एवं हस्ताक्षरित एस टी 17 सी प्रपत्र में घोषणापत्र प्राप्त कर, कर निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।

जयपुर में यह देखा गया कि एक व्यवसाई ने वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के दौरा 6.02 करोड़ रुपये मूल्य के डीजल का एस टी 17 सी प्रपत्र से घोषणापत्र के विरूद्ध विक्रय किया। तथापि, सितम्बर 1998 एवं सितम्बर 1999 में कर निर्धारणों को अन्तिम रूप देते समय कर निर्धारण प्राधिकारी ने 4 प्रतिशत की सही दर के बजाय गलत रूप से 3 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित 11.47 लाख रुपये के कर का कम आरोपण हुआ।

लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर, विभाग ने अप्रैल 2003 में सूचित किया कि मार्च 2002 में 14.36 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग कायम की जा चुकी थी। वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई (अगस्त 2003)।

मामला सरकार को अप्रैल 2003 में सूचित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 2003)।

2.5 लघु/मध्यम श्रेणी की इकाइयों को अधिक छूट प्रदान करना

1987 एवं 1989 में अधिसूचित दो बिक्री कर प्रोत्साहन योजनओं के अन्तर्गत कुछ विनिर्दिष्ट औद्योगिक इकाइयों को, इनमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं के विक्रय पर कर के भुगतान से छूट प्रदान की। इन योजनाओं के अन्तर्गत छूट स्थाई पूंजी विनियोजन से संबंधित थी। 1987 की योजना के अन्तर्गत नई मध्यम श्रेणी की इकाइयां उनके स्थाई पूंजी विनियोजन के 90 प्रतिशत तथा विस्तार/विविधिकरण के लिये यह सीमा स्थाई पूंजी विनियोजन के 75 प्रतिशत की अधिकतम छूट के लिये पात्र थी। तथापि, 1989 की योजना के अन्तर्गत नई लघु श्रेणी की इकाइयां उनके स्थाई पूंजी विनियोजन के 125 प्रतिशत तथा विस्तार/विविधिकरण तथा नई मध्यम श्रेणी की इकाइयों के लिये यह सीमा स्थाई पूंजी विनियोजन के 100 प्रतिशत की अधिकतम बिक्री कर छूट की मात्रा के लिये पात्र थी।

2.5.1 भिवाड़ी में यह देखा गया कि 3 मध्यम श्रेणी की इकाइयां (2 नई तथा 1 विस्तार/विविधिकरण की इकाई) जिनकी स्थाई पूंजी विनियोजन क्रमशः 1.28 करोड़ रुपये, 1.36 करोड़ रुपये तथा 1.34 करोड़ रुपये था, 1987 की योजना के अन्तर्गत छूट के लिये जिला स्तरीय छानबीन समिति द्वारा पात्र मानी गई। तथापि, उक्त इकाइयों के वर्ष 1997-98 से 1998-99 के कर निर्धारण, जो मई 2000 एवं मार्च 2001 के मध्य सम्पूरित किये गये थे, कि मापक जांच में पता चला कि कर निर्धारण प्राधिकारयों ने नई इकाइयों के लिये स्थाई पूंजी विनियोजन के 90 प्रतिशत तथा विस्तार/विविधिकरण के लिये स्थाई पूंजी विनियोजन के 75 प्रतिशत की अनुज्ञेय छूट के विरूद्ध स्थाई पूंजी विनियोजन के 100 प्रतिशत के लिये पात्रता प्रमाण पत्र गलत रूप से जारी कर दिये। इसके परिणामस्वरूप 59.83 लाख रुपये की अधिक छूट प्रदान कर दी गई।

लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर विभाग ने मार्च/अगस्त 2003 में सूचित किया कि सभी मामलों में पात्रता प्रमाण पत्र संशोधित कर दिये गये थे तथा छूट की राशि को निर्धारित सीमा तक सीमित कर दिया गया था। एक मामले में दी गई अधिक छूट की वसूली हेतु नोटिस जारी किया जा चुका था। मामले में आगे की प्रगति प्राप्त नहीं हुई (अगस्त 2003)।

मामला सरकार को जुलाई 2002 में सूचित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 2003)।

2.5.2 तीन वाणिज्यिक कर कार्यालयों[1] में यह देखा गया की दो नई मध्यम श्रेणी की इकाइयों तथा एक लघु श्रेणी की इकाई को उसके विस्तार के लिये, जिनकी स्थाई पूंजी विनियोजन क्रमशः 1.59 करोड़ रुपये, 1.35 करोड़ रुपये तथा 29.54 लाख रुपये था, को 1989 की प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत छूट का पात्र माना गया। तथापि, उक्त इकाइयों के वर्ष 1998-99 से 2000-01 के कर निर्धारणों, जो फरवरी 2000 एवं फरवरी 2002 के मध्य सम्पूरित किये गये थे, कि मापक जांच में पता चला कि कर

[1] 'ए' बीकानेर, जालोर तथा विशेष-II जोधपुर।

निर्धारण प्राधिकारयों ने स्थाई पूंजी विनियोजन के 100 प्रतिशत की अनुज्ञेय छूट के विरूद्ध स्थाई पूंजी विनियोजन के 125 प्रतिशत के लिये पात्रता प्रमाणपत्र जारी कर दिये, परिणामस्वरूप 80.84 लाख रुपयो की अधिक छूट प्रदान कर दी गई।

इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर विभाग ने जून 2003 में सूचित किया कि सभी मामलों में पात्रता प्रमाणपत्र संशोधित कर दिये गये थे तथा राशि को निर्धारित सीमा तक सीमित कर दिया गया था।

मामला सरकार को फरवरी 2003 में सूचित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 2003)।

2.6 गणना में त्रुटि के कारण अवनिर्धारण

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, के अन्तर्गत कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा भिन्न भिन्न वस्तुओं के कर योग्य व्यापारावर्त पर निर्धारित दर से कर का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार निर्धारित कर की कुल राशि में से व्यवसाई द्वारा जमा अग्रिम कर को घटाते हुए शुद्ध वसूलनीय राशि की गणना की जाती है।

2.6.1 धौलपुर में यह देखा गया कि एक व्यवसाई के वर्ष 1997-98 के कर निर्धारण को सितम्बर 2000 में अन्तिम रूप देते समय, कर निर्धारण प्राधिकारी ने, 4.87 करोड़ रुपये के विस्फोटकों के विक्रय जो प्रपत्र 'सी' में वांछित घोषणापत्रों से समर्थित नहीं था, पर 58.47 लाख रुपये का अन्तर कर तथा 42.09 लाख रुपये का ब्याज तो आरोपित किया, किन्तु सकल मांग कायम करते समय 1.01 करोड़ रुपये के बजाय केवल 0.15 लाख रुपये ही किया। इसके परिणामस्वरूप कर एवं ब्याज के 1.00 करोड़ रुपये का कम कर लिया।

इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर विभाग ने जनवरी/अप्रैल 2003 में सूचित किया कि अक्टूबर 2002 में 1.00 करोड़ रुपये की मांग कायम की जा चुकी थी। तथापि, बाद में कुछ 'सी' प्रपत्र प्रस्तुत करने पर 48.97 लाख रुपये की मांग में कमी कर दी गई। शेष राशि की वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई (अगस्त 2003)।

मामला सरकार को फरवरी 2003 में सूचित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 2003)।

2.6.2 भिवाड़ी में यह देखा गया कि एक व्यवसाई (1989 की प्रोत्साहन योजना का लाभार्थी) के वर्ष 1999-00 के कर निर्धारण को जुलाई 2001 में अन्तिम रूप देते समय कर निर्धारण प्राधिकारी ने 21.09 करोड़ रुपये मूल्य की पोलियेस्टर यार्न की बिक्री पर 1.5 प्रतिशत की दर से 35.85 लाख रुपये (उस पर देय अधिभार के 4.22 लाख रुपये सहित), की सही राशि के बजाय 3.16 लाख रुपये के कर राशि की गणना की। इसके परिणामस्वरूप 32.69 लाख रुपये का कम कर लिया।

इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर विभाग/सरकार ने अगस्त 2003 में सूचित किया कि त्रुटि को संशोधित कर दिया गया है तथा व्यवसाई को उपलब्ध छूट सीमा के विरूद्ध समायोजन के द्वारा मांग की वसूली की जा चुकी थी।

2.7 सीमेन्ट प्लान्टों को कर में अधिक छूट प्रदान करना

'बिक्री कर प्रोत्साहन योजना 1987' के अन्तर्गत नई औद्योगिक इकाइयां, इस योजना में निर्धारित अधिकतम मात्रा एवं लाभ की अवधि के अधीन, उनके कर दायित्व के 100 प्रतिशत की छूट के लिये पात्र थी। इसके अतिरिक्त, सीमेन्ट प्लान्टों के मामले में, राज्य सरकार ने 10 दिसम्बर 1996 में कर से छूट की सीमा को लघु श्रेणी की इकाइयों के संबंध में उनके कुल कर दायित्व के 75 प्रतिशत तक संशोधित कर दिया।

दो वाणिज्यिक कर कार्यालयों[1] में यह देखा गया कि वर्ष 1997-98 से 1999-2000 के दौरान 11 लघु श्रेणी की इकाइयों ने अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के दौरान तथा राज्य के अन्दर 18.11 करोड़ रुपये मूल्य की सीमेंट का विक्रय किया। व्यवसाइयों के संबंधित वर्षों के कर निर्धारणों को फरवरी 2000 एवं जनवरी 2002 के मध्य अन्तिम रूप देते समय कर निर्धारण प्राधिकारियों ने उनके कर दायित्व की अनुज्ञेय कर छूट राशि 1.98 करोड़ रुपये (75 प्रतिशत) के विरूद्ध 2.64 करोड़ रुपये (उनके कर दायित्व की 100 प्रतिशत की सीमा तक) की छूट गलत रूप से प्रदान कर दी। इसके परिणामस्वरूप 61.43 लाख रुपये के ब्याज के अतिरिक्त 65.93 लाख रुपये के कर की अधिक छूट प्रदान कर दी गई।

चूक मई 2002 एवं मार्च 2003 के मध्य विभाग के ध्यान में लाई गई तथा जुलाई 2002 एवं अप्रैल 2003 के मध्य सरकार को सूचित की गई; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2003)।

2.8 कर योग्य व्यापारावर्त का गलत निर्धारण

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, के अन्तर्गत 'व्यापारावर्त' शब्द का अर्थ है कि एक व्यवसाई द्वारा विक्रय से प्राप्त या प्राप्त करने योग्य सकल राशि जिसमें अधिनियम के अन्तर्गत क्रय कर के अधीन वस्तुओं का क्रय मूल्य भी सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त विक्रय में किसी सेवा के द्वारा या उसके भाग के रूप में या किसी अन्य तरीके से किसी वस्तु की आपूर्ति चाहे वह खाद्य पदार्थ या मानवीय उपभोग के लिये किसी वस्तु या कोई पेय (चाहे उन्मादक है या नहीं), सम्मिलित है तथा जहां ऐसी आपूर्ति नकद, आस्थगित भुगतान अथवा अन्य मूल्यांकनीय प्रतिफल के लिये होता है तो ऐसी आपूर्ति विक्रय मानी जायेगी तथा क्रय शब्द का आशय भी तदनुसार माना जायेगा।

[1] भिवाड़ी एवं विशेष अलवर।

एक सरकारी कम्पनी भारतीय रेलवे के सहयोग से एक विलासिता रेलगाड़ी 'पैलेस आन व्हील्स', प्रत्येक व्यक्ति के लिये निश्चित राशि के भुगतान पर, पैकेज टूर के रूप में चला रहे है। पैकेज की राशि उसके और भारतीय रेलवे के मध्य 42:58 के अनुपात में संविभाजित की जाती है। वर्ष 1997-98 से 1999-00 के दौरान कम्पनी के द्वारा प्राप्त कुल 8.41 करोड़ रुपयों में स्थान, भोजन एवं गृह व्यवस्था सेवाओं इत्यादि के प्रभार समाविष्ट हैं। चूंकि स्थान तथा उपलब्ध कराई गई अन्य सेवाओं के प्रभार अलग रूप से नहीं दर्शाये गये हैं अतः ग्राहकों को भोजन एवं नाश्ते की आपूर्ति तथा उपलब्ध कराई गई अन्य सेवाओं के प्रभारों को 50 प्रतिशत मानते हुए जो 4.21 करोड़ रुपये आती है, पर अधिभार के अतिरिक्त 6 प्रतिशत की दर से कर आरोपणीय था।

जयपुर में यह देखा गया कि कम्पनी ने वर्ष 1997-98 से 1999-2000 के दौरान रेलगाड़ी से, भोजन एवं नाश्ते तथा अन्य सेवाओं की आपूर्ति के प्रभारों के रूप में, रेलवे से 4.21 करोड़ रुपये प्राप्त किये। उसने इस राशि को अपनी विवरणी में सम्मिलित नहीं किया। कर निर्धारण प्राधिकारी भी इस अनियमितता का पता लगाने तथा करारोपण करने में असफल रहे। इसके परिणामस्वरूप ब्याज, अधिभार एवं शास्ति सहित 1.12 करोड़ रुपये के कर का अनारोपण हुआ।

इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर विभाग/सरकार ने अगस्त 2003 में सूचित किया कि जुलाई 2003 में 1.62 करोड़ रुपये की मांग कायम की जा चुकी थी। वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (अगस्त 2003)।

2.9 अवधि पार एस टी-17 घोषणापत्रों से संबंधित कर योग्य व्यापारावर्त पर कर की रियायती दर से गलत आरोपण

राजस्थान बिक्री कर नियमों में प्रावधान है कि एक व्यवसाई किसी पंजीकृत व्यवसाई को, किसी माल का कच्चे माल के रूप में या निर्माण प्रक्रिया में काम आने वाले सामान के रूप में उपयोग करने के लिये किये गये विक्रय पर रियायती दर पर कर के भुगतान का दावा कर सकता है। अपने दावे के समर्थन में उसे क्रेता व्यवसाई से प्रपत्र एस टी-17 में घोषणापत्र प्राप्त कर, कर निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत करने होंगे। इसके अतिरिक्त, एस टी-17 प्रपत्र की वैधता 25 मार्च 1999 तक दो वर्ष तथा तत्पश्चात जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा उनको जारी करने की दिनांक से 3 वर्ष है।

जयपुर में यह देखा गया कि 1995-96 से 1997-98 के दौरान दो व्यवसाइयों ने 1.24 करोड़ रुपये तथा 1.39 करोड़ रुपये के पेट्रोलियम उत्पादो का अन्य व्यवसाइयों को कच्चे माल के रूप में तथा निर्माण प्रक्रिया के काम आने वाले माल के रूप में क्रमशः 3 प्रतिशत एवं 4 प्रतिशत की दर से, घोषणापत्र के समर्थन पर, विक्रय किया जो अवधि-पार थे तथा अवैध थे। अतः उक्त विक्रय पर 16 प्रतिशत की निर्धारित दर से कर आरोपणीय था, कर निर्धारण प्राधिकारी, जुलाई 1998 एवं सितम्बर 2000 के मध्य, व्यवसाइयों के कर निर्धारणों को अन्तिम रूप देते समय अवैध घोषणापत्रों को अस्वीकार

करने तथा अन्तर कर आरोपित करने में असफल रहे। इसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित 66.55 लाख रुपये का कर आरोपित नहीं हुआ।

लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर विभाग ने जनवरी 2003 में सूचित किया कि मार्च 2002 एवं जनवरी 2003 के मध्य 77.09 लाख रुपये की मांग (ब्याज सहित) कायम की जा चुकी थी। वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई (अगस्त 2003)।

मामला सरकार को जनवरी/अप्रैल 2003 में सूचित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 2003)।

2.10 अनियमित छूट प्रदान करना

'बिक्री कर प्रोत्साहन योजना 1987' के अन्तर्गत औद्योगिक इकाइयां उनके स्थाई पूंजी विनियोजना से संबंधित छूट के लिये पात्र थी। योजना में आगे प्रावधान है कि स्थाई पूंजी विनियोजन की शर्त की सीमा एक इल्कट्रोनिक औद्योगिक इकाई पर लागू नहीं होगी।

जयपुर में यह देखा गया कि एक औद्योगिक इकाई जो कापर वायर तथा इलेक्ट्रीक मोटर वाइडिंग वायर का निर्माण कर रही थी को एक इलेक्ट्रोनिक इकाइ मानते हुए मार्च 1997 से मार्च 2002 की अवधि के लिये योजना के अन्तर्गत मार्च 1997 में पात्रता प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया । चूँकि इकाई बिजली के सामान का निर्माण कर रही थी ना की इलेक्ट्रोनिक्स सामान का, पात्रता प्रमाण-पत्र अनियमित था। अतः पात्रता प्रमाण-पत्र अनियमित जारी किया गया था। तथापि, कर निर्धारण प्राधिकारी ने 1998-99 तक 34.19 लाख रुपये का लाभ दे दिया था। इसके परिणामस्वरूप 38.02 लाख रुपये के ब्याज तथा 34.19 लाख रुपये की अनियमित छूट प्रदान कर दी गई।

इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर विभाग ने जनवरी 2003 में बताया कि इकाई को इलेक्ट्रोनिक उद्योग मानने का निर्णय जिला स्तरीय छानबीन समिति के द्वारा लिया गया था ना कि कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि वाणिज्यिक कर आयुक्त द्वारा नामित बिक्री कर विभाग का प्रतिनिधि भी जिला स्तरीय छानबीन समिति का सदस्य होता है, जो जिला स्तरीय छानबीन समिति द्वारा पारित आदेश की समीक्षा या पुनर्विचार के लिये जिला स्तरीय छानबीन समिति के समक्ष अपील दायर कर सकता है। विभाग को तदनुसार फरवरी 2003 में सूचित कर दिया गया।

मामला सरकार को मार्च 2002 में सूचित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 2003)।

2.11 चूक पर आस्थगित कर की अवसूली

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम एवं केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार ने 29 सितम्बर 1987 को 'उद्योगों के लिये बिक्री कर आस्थगन योजना 1987' अधिसूचित की। पात्र औद्योगिक इकाइयों को इस योजना में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन, उनके द्वारा निर्मित माल के विक्रय पर कर के भुगतान को आस्थगित करने की अनुमति दी गई। इसके अतिरिक्त जब निर्धारित आस्थगित किये जाने वाले कर की मात्रा प्राप्त कर ली जाती है तो आस्थगित कर दस अर्धवार्षिक किश्तों में देय हो जाता है। यदि ऐसी किश्त का भुगतान समय पर नहीं किया जाता है तो समस्त बकाया आस्थगित राशि, जिसका अन्यथा, किश्तों में भुगतान करना था, ऐसी किश्त के चूक के प्रथम दिन से देय ब्याज सहित शीघ्र भू-राजस्व की बकाया के रूप में एक मुश्त वसूली होगी।

चुरू में देखा गया कि एक औद्योगिक इकाई को, आस्थगन योजना के अन्तर्गत 30 सितम्बर 2000 तक 17.55 लाख रुपये के लाभ का उपयोग करने के पश्चात 30 अक्टूबर 2000 से 1.76 लाख रुपये की 10 अर्द्धवार्षिक किश्तों में कर का पुनः भुगतान करना था। किन्तु व्यवसाई सितम्बर 2002 तक कोई भी किश्त जमा कराने में असफल रहा। अतः समय पर किश्तों का भुगतान नहीं करने के कारण समस्त बकाया आस्थगित राशि अविलम्ब वसूलनीय थी जिसे कर निर्धारण प्राधिकारी उस पर देय ब्याज सहित मांग करने में असफल रहे। इसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित कर के 38.26 लाख रुपये की वसूली नहीं हुई।

चूक अक्टूबर 2002 में विभाग के ध्यान में लाई गई तथा फरवरी 2003 में सरकार को सूचित की गई; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (अगस्त 2003)।

2.12 ब्याज की कम वसूली

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत यदि किसी व्यवसाई ने विवरणी के अनुसार देय कर का भुगतान निर्धारित अवधि में नहीं किया है तो वह उस तिथि, जिस तक उसे कर का भुगतान करना था, से भुगतान किये जाने की तिथि तक ऐसी कर राशि पर निर्धारित दर से ब्याज भुगतान करने का दायी होगा।

जयपुर में देखा गया कि 2 व्यवसाइयों के वर्ष 1996-97 के कर निर्धारणों को जुलाई 1999 एवं जनवरी 2000 के मध्य अन्तिम रूप देते समय कर निर्धारण प्राधिकारी ने कर का सही रूप से निर्धारण करते हुए दोनो मामलो में 2.02 करोड़ रुपये का कर आरोपित किया। तथापि, उन्होंने 1.13 करोड़ रुपये का सही रूप से देय ब्याज के विरूद्ध केवल 67.86 लाख रुपये का ब्याज आरोपित किया। इसके परिणामस्वरूप 45.05 लाख रुपये के ब्याज का कम आरोपण हुआ।

चूक मई 2002 में विभाग के ध्यान में लाई गई तथा सरकार को दिसम्बर 2002 में सूचित की गई; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2003)।

2.13 शास्ति की कम वसूली

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, के अन्तर्गत यदि कोई व्यवसाई उसके द्वारा प्रस्तुत विवरणी में कोई ब्यौरा छुपाता है, तो वह कर के भुगतान के अतिरिक्त, ऐसे बचाये गये या अपवंचित कर की राशि की दुगुनी राशि के बराबर शास्ति के रूप में, भुगतान करने का दायी होगा।

कोटा में यह देखा गया कि विभाग ने, एक व्यवसाई (प्रोत्साहन योजना 1989 का एक लाभार्थी) के परिसरों के 26 सितम्बर 2000 को किये गये सर्वेक्षण के परिणाम के रूप में, 6.20 करोड़ रुपये मूल्य की खल के विक्रय के छुपाये गये व्यापारावर्त का पता लगाया। इस अपवंचित राशि पर, कर एवं अधिभार के 28.51 लाख रुपये तथा शास्ति के 57.01 लाख रुपये आरोपणीय थे। तथापि, लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि व्यवसाई के वर्ष 1999-00 के कर निर्धारण को फरवरी 2001 में अन्तिम रूप देते समय यद्यपि कर निर्धारण प्राधिकारी ने कर सही रूप से आरोपित किया, 57.01 लाख रुपये के बजाय केवल 11.40 लाख रुपये की शास्ति आरोपित की। इसके परिणामस्वरूप 45.61 लाख रुपये की शास्ति कम आरोपित हुई।

लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर विभाग ने अप्रैल 2003 में सूचित किया कि मार्च 2003 में 45.61 लाख रुपये की मांग कायम की जा चुकी थी। वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (अगस्त 2003)।

सरकार जिसे मामला फरवरी 2003 में सूचित किया गया था, ने अगस्त 2003 में विभाग के उत्तर की पुष्टि की।

2.14 अधिभार का कम आरोपण/अनारोपण

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, के अन्तर्गत घोषित वस्तुओं के अतिरिक्त वस्तुओं की अन्तर्राज्यीय बिक्री पर यदि ऐसी बिक्री निर्धारित घोषणा पत्रों से समर्थित है तो 4 प्रतिशत की रियायती दर से अन्यथा 10 प्रतिशत की दर या ऐसे माल के राज्य में क्रय या विक्रय पर संबंधित राज्य के बिक्री कर कानून के अन्तर्गत लगने वाली कर दर, जो भी अधिक हो, से कर आरोपणीय है। समय-समय पर निर्धारित दरों से अधिभार भी आरोपणीय है।

2.14.1 जयपुर में यह देखा गया कि एक व्यवसाई ने वर्ष 1998-99 के दौरान 35.42 करोड़ रुपये मूल्य के रेलवे वैगन तथा मशीनरी का अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्री की और उस पर 4 प्रतिशत की दर से कर का भुगतान किया। ये बिक्रीयां प्रपत्र 'सी' में वांछित घोषणा/पत्र से समर्थित नहीं थी। कर निर्धारण अधिकारी ने, व्यवसाई के निर्धारण को सितम्बर 2001 में अन्तिम रूप देते समय 8 प्रतिशत की दर से अन्तर कर एवं उस पर अधिभार आरोपित किया। तथापि, वांछित घोषणापत्र प्रस्तुत नहीं

करने पर अधिभार आरोपणीय था। इसके परिणामस्वरूप 17 लाख रुपये के अधिभार तथा 17.34 लाख रुपये के ब्याज का कम आरोपण हुआ।

चूक फरवरी 2003 में विभाग के ध्यान में लाई गई तथा सरकार को अप्रैल 2003 में सूचित की गई; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2003)।

2.14.2 झुन्झुनू में यह देखा गया कि चार व्यवसाइयों ने (प्रोत्साहन योजना के लाभार्थी) वर्ष 1998-99 एवं 1999-2000 के दौरान 4.42 करोड़ रुपये मूल्य की सीमेन्ट का विक्रय बिना प्रपत्र 'सी' में वांछित घोषणापत्रों से किया। तथापि, कर निर्धारण प्राधिकारियों ने व्यवसाइयों के कर निर्धारणो को मार्च 2001 एवं मार्च 2002 के मध्य अंतिम रूप देते समय यद्यपि कर सही रूप से आरोपित किया किन्तु उपरोक्तानुसार देय कर की राशि पर अधिभार आरोपित नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप 8.71 लाख रुपये के अधिभार का आरोपण नहीं हुआ।

लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर विभाग ने अप्रैल 2003 में सूचित किया कि मार्च 2003 में 9.51 लाख रुपये की मांग कायम की जा चुकी थी। 5.88 लाख रुपये की राशि प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत व्यवसाइयों को उपलब्ध छूट सीमा के विरूद्ध समायोजन के द्वारा वसूल की जा चुकी थी। शेष राशि की वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

सरकार ने जुलाई 2003 में विभाग के उत्तर की पुष्टि की।

2.15 ब्याज एवं शास्ति का अनियमित अधित्याग

राजस्थान बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत आयुक्त, किसी व्यवसाई द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत देय ब्याज या शास्ति अथवा दोनों की राशि को कम या अधित्याजित कर सकते हैं। इस हेतु व्यवसाई द्वारा आवेदन करने पर तथा ऐसी जांच, जैसा वह उचित समझे, करने के बाद तथा ऐसा करने के लिये अपने तर्कों के अभिलेखन के पश्चात, वह ब्याज या शास्ति या दोनों की राशि कम या अधित्याजित कर सकते हैं यदि वे सन्तुष्ट हों कि (अ) व्यवसाई वित्तीय विपत्ति में है तथा मांग का पूर्ण भुगतान करने की स्थिति में नहीं है या (ब) अन्यथा ऐसा करने से व्यवसाई को यथार्थ में विपत्ति हो सकती है।

जयपुर में यह देखा गया कि दो मामलों में वाणिज्यिक कर आयुक्त ने ब्याज एवं शास्ति की 39.79 लाख रुपये की राशि 5 जुलाई 2000 एवं 19 मार्च 2001 के मध्य अधित्याजित की । तथापि, अभिलेखों में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे यह प्रमाणित होता हो कि व्यवसाई वित्तीय विपत्ति में थे तथा मांग का पूर्ण भुगतान करने की स्थिति में नहीं थे या अन्यथा इससे व्यवसाइयों को यथार्थ में विपत्ति हो सकती थी। अतः अधिनियम में दी गई शर्तों का पालन नहीं होने के कारण अधित्याजित राशि को न्यायाचित नहीं ठहराया जा सकता।

चूक फरवरी 2003 में विभाग के ध्यान में लाई गई तथा सरकार को मार्च 2003 में सूचित की गई; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (अगस्त 2003)।

2.16 केन्द्रीय बिक्री कर के अन्तर्गत ब्याज का अनियमित प्रत्यर्पण

केन्द्रीय वित्त अधिनियम, 2000 के द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, में जोड़ी गई धारा 9(2बी) में प्रावधान है कि यदि इस अधिनियम के अन्तर्गत देय कर का भुगतान समय पर नहीं किया जाता है, तो चूककर्ता, राज्य बिक्री कर कानूनों के अन्तर्गत लागू प्रावधानों के अनुसार उस पर ब्याज का भुगतान करने का दायी होगा।

जयपुर में देखा गया कि एक व्यवसाई के मामले में, वर्ष 1990-91 से 1993-94 के लिये केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत कर निर्धारण आदेश पारित करते समय कुल 15.19 लाख रुपये के ब्याज की मांग कायम की गई। उक्त मांग, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा उच्चतम न्यायालय के निर्णय कि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम में इसके प्रावधान ही नहीं है, को ध्यान में रखते हुए अपास्त कर दी। कर निर्धारण प्राधिकारी ने, उपरोक्त आदेशों की पालना में, संबंधित वर्षों में कायम ब्याज की मांगें जून/अगस्त 1999 में कम कर दी। तथापि, केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम में उपरोक्त प्रावधानों के भूतलक्षी प्रभाव से जोड़े जाने से ब्याज आरोपणीय था। किन्तु कर निर्धारण प्राधिकारी ने इन प्रावधानों के बावजूद 26 जून 2001 को राशि प्रत्यर्पित कर दी। अतः अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं करने के कारण आरोपित एवं संग्रहित ब्याज का प्रत्यर्पण हुआ, जो अनियमित तथा पुनः वसूलनीय था।

इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर विभाग ने अगस्त 2003 में सूचित किया कि 26.59 लाख रुपये की मांग कायम की जा चुकी थी। वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

मामला अप्रैल 2003 में सरकार को सूचित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 2003)।

अध्याय-III: मोटर वाहनों पर कर

3.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2002-03 के दौरान परिवहन विभाग के कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में की गई मापक जांच से 33,519 मामलों में 22.58 करोड़ रुपयों के कर, शुल्क एवं शास्ति की कम वसूली का पता चला, जो मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं:-

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1.	कर अधिभार, शास्ति, बकाया एवं प्रशमन शुल्क का भुगतान न करना/कम करना	14,530	14.12
2.	विशेष पथ कर का अवधारण/संगणना न करना/कम करना	1,324	5.49
3.	अन्य अनियमिततायें	17,665	2.97
योग		**33,519**	**22.58**

वर्ष 2002-03 के दौरान विभाग ने 12,014 मामलों जिनमें 20.49 करोड़ रुपये अन्तर्निहित थे, में पथ कर, विशेष पथ कर आदि के कम निर्धारण को स्वीकार किया जिसमें से 10,911 मामले जिनमें 9.17 करोड़ रुपये अन्तर्निहित थे वर्ष 2002-03 की लेखापरीक्षा के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे। विभाग ने वर्ष 2002-03 के दौरान 478 मामलों में 5.10 करोड़ रुपये वसूल किये जो पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे।

कुछ निदर्शी मामले जिनमें 5.93 करोड़ रुपये अन्तर्निहित है तथा जो महत्वपूर्ण लेखापरोक्षा टिप्पणियों को उजागर करते हैं आगामी अनुच्छेदों में दिये गये हैं।

3.2 राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (रा.रा.प.प.नि.) के मंजिली वाहनों के संबंध में विशेष पथ कर की कम वसूली

राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 (रा.मो.वा.क.अधि.) एवं इसके अधीन विरचित नियमों के अन्तर्गत सभी परिवहन वाहनों पर विशेष पथ कर आरोपणीय है। मंजिली वाहन, संविदा वाहनों तथा नगर परिवहन सेवाओं के संबंध में कर का भुगतान चेसिस के मूल्य पर आधारित सरकार द्वारा निर्धारित दरों से करना होगा। परिवहन आयुक्त को वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में वाहनों के मूल्य का निर्धारण करना होता है।

जयपुर में यह देखा गया कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (एक फ्लीट स्वामी) के स्वामित्व वाले 42,102 यात्री वाहनों के संबंध मे यद्यपि 55.53 करोड़ रुपये का विशेष पथ कर आरोपणीय था किन्तु वर्ष 2001-02 के लिये 51.89 करोड़ रुपये का कर आरोपित किया गया। इसके परिणामस्वरूप, कर की संगणना के प्रयोजन हेतु मंजिली वाहनों के मूल्य के अवमूल्यांकन के कारण, विशेष पथ कर के 3.64 करोड़ रुपये की कम वसूली हुई।

इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर विभाग/सरकार ने जून 2003 में बताया कि कर का पुनः निर्धारण कर दिया गया है तथा मांग कायम कर दी गई है।

3.3 मोटर वाहन कर एवं विशेष पथ कर की अवसूली/कम वसूली

रा.मो.वा.क. अधिनियम, 1951 एवं इसके अधीन विरचित नियमों के अन्तर्गत समस्त परिवहन वाहनों के संबंध में, वाहन/चेसिस के मूल्य के आधार पर, मोटर वाहन कर तथा विशेष पथ कर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर से, देय है। संविदा वाहनों पर, जिनकी बैठक क्षमता सब मिला कर 22 तक है, कर त्रैमासिक रूप से अग्रिम देय है। उन संविदा वाहनों जिनकी बैठक क्षमता सब मिला कर 22 से अधिक है, के लिये तथा मंजिली वाहनों पर कर मासिक रूप से अग्रिम देय है।

3.3.1 संविदा वाहन

बून्दी तथा टोंक में यह देखा गया कि 100 वाहनों के संबंध में जिनकी बैठक क्षमता सब मिला कर 22 तक है जनवरी 1999 और मार्च 2002 की अवधि से संबंधित मोटर वाहन कर या तो भुगतान नहीं किया गया या कम भुगतान किया। जिसके परिणामस्वरूप मोटर वाहन कर 11.06 लाख रुपये की राशि की अवसूली/कम वसूली हुई।

इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर सरकार/विभाग ने मई 2003 एवं जुलाई 2003 में बताया कि 62 वाहनों के संबंध में 5.71 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी थी तथा शेष वाहनों के संबंध में शेष राशि की वसूली के प्रयास किये जा रहे थे।

पांच परिवहन कार्यालयों[1] में देखा गया कि जुलाई 1999 और मार्च 2002 के मध्य की अवधि के लिये 97 वाहनों के संबंध में जिनकी बैठक क्षमता सब मिलाकर 22 तक है विशेष पथ कर का 97 वाहनों के स्वामियों द्वारा या तो भुगतान नहीं किया गया या कम भुगतान किया। जिसके परिणामस्वरूप विशेष पथ कर की 79.98 लाख रुपये की राशि की अवसूली/कम वसूली हुई।

चूक, विभाग के ध्यान में मई 2002 और मार्च 2003 के मध्य में लाई गई तथा सरकार को दिसम्बर 2002 और मार्च 2003 के मध्य में सूचित किया गया। विभाग/सरकार ने जून 2003 में बताया कि 28 वाहनों के संबंध में 8.15 लाख रुपये की वसूली की जा

[1] बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बीकानेर, झुन्झुनू तथा राजसमन्द।

चुकी थी तथा शेष वाहनों के लिये प्रयास किये जा रहे थे। अन्य प्रकरणों के संबंध में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 2003)।

3.3.2 मंजिली वाहन

चार परिवहन कार्यालयों[1] में यह देखा गया कि 95 मंजिली वाहनों के संबंध में अप्रैल 2000 और मार्च 2002 के मध्य की अवधियों के लिये विशेष पथ कर का या तो भुगतान नहीं किया गया या कम भुगतान किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप विशेष पथ कर की राशि 30.21 लाख रुपये की अवसूली/कम वसूली हुई।

इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर विभाग/सरकार ने दिसम्बर 2002 और जुलाई 2003 के मध्य बताया कि 14 वाहनों के संबंध में 2.93 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी थी। शेष राशि की वसूली हेतु प्रयास किये जा रहे थे। अन्य प्रकरणों के संबंध में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 2003)।

3.4 एक्सकेवेटरों/लोडरों के संबंध में मोटर वाहन कर की अवसूली

रा.मो.वा.क. अधिनियम, 1951 एवं इसके अधीन विरचित नियमों के अन्तर्गत समस्त वाहनों पर, जिनका राज्य में उपयोग किया जाता है अथवा जो उपयोग हेतु रखे जाते हैं, मोटर वाहन कर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों से आरोपित एवं संग्रहित किया जायेगा।

आठ परिवहन कार्यालयों[2] में यह देखा गया कि 145 एक्सकेवेटरों के संबंध में अप्रैल 1997 और मार्च 2002 के मध्य की अवधि के लिये मोटर वाहन कर का या तो भुगतान नहीं किया गया या कम भुगतान किया गया। जिसके परिणामस्वरूप मोटर वाहन कर की 46.11 लाख रुपये की राशि की वसूली नहीं हुई।

इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर विभाग ने सितम्बर 2002 और मार्च 2003 के मध्य बताया कि 2 प्रकरणों के संबंध में 0.36 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी थी। शेष प्रकरणों के संबंध में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 2003)।

मामला सरकार को जनवरी 2003 और अप्रैल 2003 में सूचित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (अगस्त 2003)।

[1] अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा तथा जयपुर।

[2] अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौडगढ़, जयपुर (भार वाहन), राजसमन्द, टोंक तथा उदयपुर।

3.5 परिवहन वाहनों के संबंध में उपयुक्तता शुल्क की कम वसूली

मोटर वाहन अधिनियम (मो.वा.अ.) 1988 एवं इसके अधीन विरचित नियमों के अन्तर्गत समस्त परिवहन वाहनों जिनका राज्य में उपयोग किया जाता है अथवा जो उपयोग हेतु रखे जाते हैं, पर निर्धारित दर से उपयुक्तता शुल्क आरोपित एवं संग्रहित किया जायेगा। केन्द्रीय सरकार ने 28 मार्च 2001 से परिवहन वाहनों पर उपयुक्तता शुल्क की दरों में वृद्धि की थी।

नौ प्रादेशिक परिवहन कार्यालयों[1] तथा 19 जिला परिवहन कार्यालयों[2] में यह देखा गया कि 28 मार्च 2001 और 24 अप्रैल 2001 के मध्य की विभिन्न अवधियों के लिये 10,237 वाहनों के संबंध में 30.34 लाख रुपये उपयुक्तता शुल्क की कम वसूली की गई।

लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर विभाग/सरकार ने जून 2003 में बताया कि 621 वाहनों के संबंध मे 1.47 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी थी। शेष वाहनों के संबंध मे राशि की वसूली हेतु प्रयास किये जा रहे थे। अग्रिम उत्तर अपेक्षित था (अगस्त 2003)।

3.6 डम्परों/टिपरों के संबंध में मोटर वाहन कर की अवसूली/कम वसूली

रा.मो.वा.क. अधिनियम, 1951 एवं इसके अधीन विरचित नियमों के अन्तर्गत समस्त मोटर वाहनों पर जिनका राज्य मे उपयोग किया जाता है अथवा जो उपयोग हेतु रखे जाते हैं, मोटर वाहन कर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों से आरोपित एवं संग्रहित किया जायेगा। डम्परों/टिपरों के लिये निर्धारित वार्षिक दर चेसिस के मूल्य की 1.5 प्रतिशत है।

तीन परिवहन कार्यालयों[3] में यह देखा गया कि 135 डम्परों/टिपरों के संबंध में अप्रैल 2000 और मार्च 2002 के मध्य की विभिन्न अवधियों के लिये 14.17 लाख रुपये मोटर वाहन कर का या तो भुगतान नहीं किया गया या कम भुगतान किया गया।

इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर विभाग/सरकार ने मई 2003 में बताया कि 57 वाहनों के संबंध में 3.89 लाख रुपयों की वसूली की जा चुकी थी। शेष प्रकरणों के संबंध में उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 2003)।

---

[1] प्रादेशिक परिवहन कार्यालयः- अजमेर, अलवर, बीकानेर, चित्तौडगढ़, दौसा, जोधपुर, कोटा, सीकर तथा उदयपुर।

[2] जिला परिवहन कार्यालयः-बांसवाड़ा, बाड़मेर, ब्यावर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बून्दी, चुरू, हनुमानगढ़, जयपुर (भार वाहन), जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुन्झुनू, कोटपूतली, नागौर, सवाईमाधोपुर, सिरोही, श्रीगंगानगर तथा टोंक।

[3] बांसवाड़ा, झालावाड़ एवं सीकर।

3.7 गैर-अस्थाई अनुज्ञापत्रों के बिना रखे गये यात्री वाहनों से मोटर वाहन कर की अवसूली

रा.मो.वा.क. अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत कोई यात्री वाहन जो गैर-अस्थाई अनुज्ञापत्र से आच्छादित नहीं है के संबंध में समय-समय पर निर्धारित पूर्ण दर से मोटर वाहन कर देय होगा।

बीकानेर तथा जोधपुर में यह देखा गया कि 72 वाहनों के संबंध में उनके स्वामियों द्वारा, मई 1999 और मार्च 2002 की अवधियों के लिये मोटर वाहन कर का भुगतान नहीं किया गया। जबकि इस दौरान वाहन बिना किसी गैर-अस्थाई अनुज्ञापत्रों के स्पेयर रहे। जिसके परिणामस्वरूप मोटर वाहन कर की 10.02 लाख रुपये की राशि की वसूली नहीं हुई।

इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर विभाग/सरकार ने जुलाई 2003 में बताया कि 17 वाहनों से 1.50 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी थी तथा शेष वाहनों के संबंध में शेष राशि की वसूली हेतु प्रयास किये जा रहे थे (अगस्त 2003)।

3.8 भार वाहनों के संबंध में मोटर वाहन कर एवं विशेष पथ कर की अवसूली

रा.मो.वा.क. अधिनियम, 1951 एवं उसके अधीन विरचित नियमों के अन्तर्गत समस्त मोटर वाहनों पर जिनका उपयोग राज्य में किया जाता है अथवा जो उपयोग हेतु रखे जाते हैं, से मोटर वाहन कर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर से आरोपित एवं संग्रहित किया जायेगा। मोटर वाहन कर के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों से समस्त परिवहन वाहनों पर विशेष पथ कर भी देय होगा।

भीलवाड़ा में यह देखा गया कि 57 भार वाहनों के संबंध में अप्रैल 1998 और मार्च 2002 के मध्य की अवधि के लिये मोटर वाहन कर एवं विशेष पथ कर का भुगतान नहीं किया गया। जिसके परिणामस्वरूप कर की 7.54 लाख रुपये की राशि की वसूली नहीं हुई।

लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर विभाग/सरकार ने जून 2003 में बताया कि 29 वाहनों के संबंध में 1.83 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी थी। शेष वाहनों के संबंध में शेष राशि की वसूली हेतु प्रयास किये जा रहे थे।

अध्याय-IV: मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क

4.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2002-03 में लेखापरीक्षा के दौरान मुद्रांक एव पंजीयन विभाग के अभिलेखों की मापक जांच मे 2,299 मामलों में 181.57 करोड़ रुपये के मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की कम वसूली का पता लगा, जो मोटे तौर से निम्न श्रेणियों में आते हैं:-

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1.	प्रलेखों का गलत वर्गीकरण	107	0.22
2.	सम्पत्तियों का कम मूल्यांकन	1,440	6.12
3.	अन्य अनियमितताएं	751	0.20
4.	**समीक्षाः मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की अपवंचना**	1	175.03
	योग	**2,299**	**181.57**

वर्ष 2002-03 के दौरान विभाग ने 354 मामलों में अन्तर्निहित राशि 20.38 लाख रुपये के अवनिर्धारण स्वीकार किये, जिनमें से 17 मामलों में राशि 1.21 लाख रुपये के वर्ष 2002-03 के दौरान ध्यान में लाये गये थे तथा शेष पूर्व वर्षों में। इसके अतिरिक्त, विभाग ने वर्ष 2002-03 के दौरान 255 मामलों में 12.28 लाख रुपये वसूल किये, जिनमें 10 मामलों में राशि 0.23 लाख रुपये के वर्ष 2002-03 से संबंधित थे तथा शेष पूर्व वर्षों से।

मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की अपवंचना पर समीक्षा जिसमें 175.03 करोड़ रुपये अन्तर्निहित है, निम्न प्रकार है:-

4.2 समीक्षाः मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की अपवंचना

मुख्य मुख्य बिन्दु

31 मार्च 2002 को मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क के 29.80 करोड़ रुपये वसूली हेतु बकाया थे।

(अनुच्छेद 4.2.5)

आर.आर.वि.पी.एन.एल. द्वारा निष्पादित विक्रय/पट्टा विलेखों के अपंजीयन के परिणामस्वरूप राजस्व की अपवंचना राशि 142.40 करोड़ रुपये

(अनुच्छेद 4.2.7 एवं 4.2.10)

40 मामलों में सम्पत्तियों के कम मूल्यांकन के परिणामस्वरूप मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का कम आरोपण राशि 91.08 लाख रुपये।

(अनुच्छेद 4.2.11)

उप पंजीयकों एवं लोक कार्यालयों का पदीय प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित निरीक्षणों का अभाव तथा अनुश्रवण कमजोर एवं अनियमित

(अनुच्छेद 4.2.18)

4.2.1 प्रस्तावना

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899, पंजीयन अधिनियम, 1908 एवं राजस्थान मुद्रांक विधि (अनुकूलन) अधिनियम, 1952 एवं इनके अन्तर्गत विरचित नियमों में मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की प्राप्तियों का नियमन होता है। इस संबंध में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं एवं आदेशों के अनुसार भी इनका नियमन होता है। लेख्य पत्र के निष्पादन पर मुद्रांक कर (नियत या मूल्य आधारित) एवं निर्धारित दर से पंजीयन शुल्क आरोपण योग्य है। सामान्यतया मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की सम्पत्तियों के कम मूल्यांकन, लेख्य-पत्रों के गलत वर्गीकरण, पंजीयन प्राधिकारी द्वारा नियमों की गलत व्याख्या करने से, निष्पादक द्वारा गलत कथन और तथ्यों के छिपाव, पंजीयन प्राधिकारी के कार्यालय में दस्तावेजों का अप्रस्तुतीकरण और राज्य सरकार द्वारा दिसम्बर 1997 में घोषित लोक कार्यालयों[1] के समक्ष निष्पादकों द्वारा दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर मुद्रांक कर के भुगतान नहीं करने के कारण अपवंचना होती है।

---

[1] सरकार द्वारा केन्द्र और राज्य सरकार के कार्यालयों, केन्द्र और राज्य सरकार के सभी निगमों और स्थानीय निकायों, सिविल और फौजदारी न्यायालयों, पंजीकृत और सहकारी संस्थानों, सभी निगमित और अनिगमित कम्पनियां, नोटेरी पब्लिक और ओथ कमिश्नर के कार्यालय को लोक कार्यालय घोषित किया जो कि संविदा की स्वीकृति या वाहनों के पंजीयन इत्यादि के समय मुद्रांक कर के भुगतान को सत्यापन करने के लिये उत्तरदायी है।

4.2.2 संगठनात्मक ढांचा

वित्त विभाग के समग्र प्रशासनिक नियंत्रण में विभाग कार्य सम्पादन करता है। महानिरीक्षक (आई जी) प्रशासनिक मुखिया है। अतिरिक्त महानिरीक्षक (ए आई जी) मुख्यालय पर पदेन मुद्रांक अधीक्षक है एवं प्रशासनिक और वित्तीय संबंधी दोनों मामलों में आई.जी. की सहायता करता है। पूरा राज्य 12 वृत्तों में विभक्त है। इन वृत्तों में 11 उप महानिरीक्षक (डी आई जी) एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक) और एक अतिरिक्त कलक्टर (ए सी) (मुद्रांक) जो 67 उप पंजीयकों (एस आर) और 279 पदेन एस आर को नियंत्रित करता है।

4.2.3 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

अक्टूबर 2002 से मार्च 2003 के दौरान अवधि 1997-98 से 2001-02 तक के 6[1] डी आई जी, 32 में से 17[2] जिला पंजीयक और 67 में से 24[3] उप पंजीयकों के और मुख्य लोक कार्यालयों के अभिलेखों की विस्तृत विवेचन यह सुनिश्चित करने के लिए कि :

- विहित नियम और कार्यविधि की सीमा के अनुसार उनकी अनुपालना में व्यतिक्रम से अनुवर्ती राजस्व हानि;
- निर्णयाधीन मामले विभाग द्वारा जन लेखा समिति (पी ए सी) को दिये गये आश्वासनों के अनुसार, नियत अवधि में निर्णित किये गये थे;
- विहित नियम और कार्यविधि के अनुसार घोषित लोक कार्यालय मुद्रांक कर के आरोपण के संबंध में अपने कार्य का सम्पादन कर रहे हैं;
- बकाया की उचित वसूली के लिए अगर कोई आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली है।

4.2.4 बजट अनुमान एवं वास्तविक

वर्ष 1997-98 से 2001-02 के दौरान बजट अनुमान एवं वास्तविक आय निम्न प्रकार थीः-

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक	कमी	कमी का प्रतिशत
1997-1998	350.00	312.27	(-) 37.73	(-) 10.78
1998-1999	375.00	344.36	(-) 30.64	(-) 8.17
1999-2000	425.00	376.77	(-) 48.23	(-) 11.35
2000-2001	450.00	436.73	(-) 13.27	(-) 2.95
2001-2002	500.00	478.89	(-) 21.11	(-) 4.00

[1] अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, जयपुर एवं उदयपुर।

[2] अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, उदयपुर, नागौर, डूंगरपुर, जोधपुर एवं चुरू।

[3] 1. अलवर, 2. बीकानेर, 3. भीलवाड़ा, 4. चित्तौड़गढ़, 5. श्रीगंगानगर, 6. हनुमानगढ़, 7. जयपुर-I, 8. जयपुर-II, 9. जयपुर-III, 10. राजसमन्द, 11. सवाईमाधोपुर, 12. सीकर, 13. सिरोही, 14. उदयपुर, 15. नागौर, 16. सांगानेर, 17. डूंगरपुर, 18. ब्यावर, 19. किशनगढ़, 20. खाजूवाला, 21. सूरतगढ़, 22. रायसिंहनगर, 23. जोधपुर-II और 24. चुरू।

जैसाकि तालिका से दर्शित होता है, अनुमानित वसूली की कमी का प्रतिशत 2.95 और 11.35 के मध्य रहा। आई.जी. ने मई 2003 में बताया कि राज्य में सूखा की स्थिति के कारण लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो सकी।

4.2.5 राजस्व की बकाया

आई.जी. द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार, 31 मार्च 2002 को 29.80 करोड़ रुपये (न्यायालय द्वारा स्थगन की सूचित राशि 6.03 करोड़ रुपये के अतिरिक्त) की वसूली बकाया चल रही थी।

राजस्थान मुद्रांक नियम, 1955 के नियम 71-ए के अनुसार मांग पत्र जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के अन्दर बकाया राशि की वसूली कर ली जानी चाहिए। यद्यपि यह ध्यान में आया कि पूर्व की मांग 1.25 लाख रुपये वर्ष 1984 से वसूली के लिए लम्बित थी।

लेखापरीक्षा में ध्यान दिलाने पर विभाग ने मई 2003 में सूचित किया कि बकाया की वसूली के लिए कड़े निर्देश नवम्बर 1999 में जारी कर दिये गये थे। मूल निष्पादकों द्वारा सम्पत्तियों को उत्तरवर्ती विक्रय के कारण फील्ड कार्यालयों द्वारा वसूली को प्रभावी नहीं किया जा सका। इसलिये विभाग वसूली के लिये कथित सम्पत्ति को कुर्क करने में असमर्थ रहा।

लम्बित मांग को सम्मिलित नहीं किया जाना

जिला पंजीयक अलवर और सीकर द्वारा वर्ष 1975 और 1991 के मध्य निर्णित 687 मामलों में राशि 15.67 लाख रुपये वसूली योग्य थे। आई.जी. द्वारा सूचित बकाया राजस्व में उक्त राशि सम्मिलित नहीं थी परिणामस्वरूप बकायों की उस सीमा तक न्यूनोक्ति रही।

4.2.6 निर्णयाधीन लम्बित मामलों के निस्तारण का अभाव

राजस्थान मुद्रांक नियम, 1955 के अनुसार, कम मुद्रांक दस्तावेज के मामले और जिस दस्तावेज के मूल्य का मुद्रांक कर के आरोपण हेतु सही निर्धारण नहीं हुआ है, को पंजीयन प्राधिकारी द्वारा कलक्टर (मुद्रांक) के निर्णय हेतु निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। कलक्टर (मुद्रांक) इन दस्तावेजों में कर अदायगी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को कारण बताओं नोटिस जारी करेगा एवं तीन माह की अवधि में संक्षिप्त जांच पूर्ण करनी आवश्यक है।

31 मार्च 1997 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियाँ) के अनुच्छेद 5.2.7 में "निर्णयाधीन लम्बित प्रकरणों" का उल्लेख किया गया। विभाग ने जन लेखा समिति को आश्वस्त किया था कि फरवरी 2000 में लोक अदालतें आयोजित कर निर्णयाधीन लम्बित प्रकरणों का निस्तारण किया जावेगा। जन लेखा समिति ने अपने 106 वें प्रतिवेदन को 20 नवम्बर 2001 को राज्य विधान सभा में प्रस्तुत कर, विभाग द्वारा दिये गये आश्वासन से सहमति व्यक्त की।

आई.जी. पंजीयन एवं मुद्रांक के लेखों के अनुसार कुल 21,814 प्रकरण 1 अप्रैल 1997 को निर्णयाधीन लम्बित थे। विभाग ने फरवरी 2000 में लोक अदालतें आयोजित की एवं प्रत्येक डी.आई.जी. के लिए प्रति माह 60 प्रकरणों को निस्तारण का लक्ष्य निर्धारित किया।

यह देखा गया कि लोक अदालतों के आयोजन पर भी 31 मार्च 2002 को 19,380 प्रकरण निर्णयाधीन लम्बित थे जो कि दर्शाता है कि विभाग वांछित परिणाम प्राप्त करने में विफल रहा।

4.2.7 विक्रय विलेखों का पंजीयन नहीं होना

पंजीयन अधिनियम, 1908, में प्रावधान है कि, अन्य वसीयत-भिन्न लेख्य-पत्रों जिनमें, कोई अधिकार, हक या हित बनाता हो, आकस्मिक या निहित स्वार्थ जिसका मूल्य 100 रुपये या अधिक का हो, या अचल सम्पत्ति अनिवार्य रूप से पंजीयन योग्य होगी। आई.जी., अजमेर ने मार्च 1998 में स्पष्ट किया कि मशीनें एवं उपकरण जो भूमि से जुडे हुए हो, पर मुद्रांक कर 10 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जावेगा। इसके अतिरिक्त जून 1998 में यह स्पष्ट किया गया कि यदि भूमि से जुड़े हुए/गड़े हुए उपकरण/मशीनें भूमि से अलग करके बेचे जाते हो तो भी उसके विक्रय पर 10 प्रतिशत मुद्रांक कर (29 मार्च 2001 से 11 प्रतिशत) आकर्षित होगा।

यह ध्यान में आया कि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (आर.एस.ई.बी.), जयपुर (अब राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (आर.आर.वि.पी.एन.एल.)) ने अपनी परिसम्पत्तियां जैसे इलेक्ट्रिकल मशीनरी, डिस्ट्रीब्युशन ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर, आईसोलेटर, सर्किट ब्रेकर्स, लाईटिंग एरेस्टर आदि का विक्रय मार्च 1997 और मार्च 1999 के मध्य विभिन्न वित्तीय संस्थानों को 720.25 करोड़ रुपयों में किया। आर.एस.ई.बी. द्वारा क्रेताओं के पक्ष में 6 विक्रय विलेखों का निष्पादन किया गया, जिनको उप पंजीयक, जयपुर के कार्यालय में पंजीबद्ध नहीं कराया गया। परिणामस्वरूप मुद्रांक कर 79.23 करोड़ रुपये तथा पंजीयन शुल्क 1.50 लाख रुपये की हानि हुई।

मामला विभाग को जनवरी 2003 में सूचित किया गया। अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर ने तथ्यों को अप्रैल 2003 में स्वीकार किया और सूचित किया है कि इन दस्तावेजों का पंजीयन अनिवार्य था तथा दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए आर.आर.वि.पी.एन.एल. को लिखा गया।

4.2.8 सरकार द्वारा दिसम्बर 1997 से सभी कार्यालयों को लोक कार्यालय घोषित किया जा चुका है जो अमुद्रांकित लेख्य पत्रों को कलक्टर (मुद्रांक) के ध्यान में लाने के लिए उत्तरदायी है। आइ.जी. द्वारा जनवरी 1998 में लोक कार्यालयों में संधारित अभिलेखों के निरीक्षण के लिए डी.आई.जी. को यह देखने के लिए अधिकृत किया कि क्या मुद्रांक कर का भुगतान जनता द्वारा सही किया गया। डी.आई.जी. द्वारा लोक कार्यालयों का निरीक्षण नहीं किया गया।

राजस्थान आवासन मण्डल (आर.एच.बी.) द्वारा विभिन्न आवंटियों को मकान/भूखण्ड/दुकानें आवंटित की गई। इन आवंटनों के लेख्य-पत्र संबंधित उप पंजीयक कार्यालयों में अनिवार्य रूप से पंजीबद्ध होना आवश्यक था।

यह ध्यान में आया कि अप्रैल 1997 से मार्च 2002 के दौरान 9 आर.एच.बी. कार्यालयों[1] द्वारा कीमत 22.54 करोड़ रुपये की 1,820 सम्पत्तियाँ आवंटियों को आवंटित की गई। हस्तान्तरण लेख्य पत्र संबंधित एस.आर. कार्यालय में पंजीबद्ध नहीं किये गये। परिणामस्वरूप मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क राशि 2.71 करोड़ रुपये की अपवंचना हुई जो नीचे दर्शाई गई हैः-

(करोड़ रुपयों में)

क्र. स.	पंजीयन कार्यालय का नाम	आवंटित भूखण्ड/दुकानें/मकान		मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की अपवंचना
		संख्या	कीमत	
1.	जोधपुर	433	4.59	0.55
2.	भीलवाड़ा	26	0.17	0.02
3.	अलवर	782	8.70	1.04
4.	उदयपुर	127	1.88	0.23
5.	डूंगरपुर	106	0.93	0.11
6.	चित्तौड़गढ़	23	0.24	0.03
7.	अजमेर	118	4.08	0.49
8.	हनुमानगढ़	123	0.65	0.08
9.	बीकानेर	82	1.30	0.16
	योग	**1,820**	**22.54**	**2.71**

लेखापरीक्षा में ध्यान में लाये जाने पर, कलक्टर (मुद्रांक), अलवर द्वारा उप आवासन आयुक्त, अलवर को पंजीयन के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए लिखा गया। अन्य मामलों में उत्तर अपेक्षित था।

उप पंजीयक कार्यालय, भीलवाड़ा में उपलब्ध सूचना के अनुसार यह ध्यान में आया कि 179 मामलों में 3.40 करोड़ रुपये की दुकानें/कार्यालय/भूखण्डों के आवंटन नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा तथा निजी सम्पत्ति विक्रेता द्वारा वर्ष 1999 तथा 2000 के दौरान विभिन्न आवंटियों को किया गया। जबकि विक्रय लेख्य-पत्रों को पंजीयन के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया। परिणामस्वरूप मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क की राशि 40.75 लाख रुपये का आरोपण नहीं किया गया।

4.2.9 पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा 32 के प्रावधानानुसार क्रय के दावे पर निष्पादन करने वाले व्यक्ति की लेख्य पत्रों के पंजीयन की जिम्मेवारी है। भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899, सपठित राजस्थान मुद्रांक विधि (अनुकूलन) अधिनियम 1952 एवं

[1] अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौडगढ़, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जोधपुर तथा उदयपुर।

इसके अन्तर्गत विरचित नियमों में प्रावधान है कि मुद्रांक कर निर्धारित दर से प्रभारित होगा।

केन्द्रीय सरकार के निगम की एक इकाई के उदयपुर में एक होटल का स्वामित्व एक निजी सहायक होटल कम्पनी को शेयर क्रय इकरारनामा फरवरी 2002 के जरिये राशि 6.77 करोड़ रुपये में पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार (जी.ओ.आई.) तथा निजी होटल निगम में क्रमशः 90 एवं 10 प्रतिशत मालिकाना वोटिंग शेयर के द्वारा स्थानान्तरित किया। यह विलेख पंजीयन अधिकारी के पास पंजीयन के लिए प्रस्तुत नहीं हुए। इसके परिणामस्वरूप 74.72 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

लेखापरीक्षा में ध्यान दिलाये जाने पर डी.आई.जी. उदयपुर द्वारा पक्षकार को आवश्यक कार्यवाही किये जाने के लिए दिसम्बर 2002 में नोटिस जारी किया।

4.2.10 पट्टा विलेखों का पंजीयन नहीं होना

पंजीयन अधिनियम, 1908 के अनुसार एक वर्ष से अधिक अवधि के अचल सम्पत्ति के पट्टे अनिवार्य रूप से पंजीयन किये जाने हैं। पट्टा-विलेखों पर मुद्रांक कर निर्धारित दर से प्रीमियम, अग्रिम, शास्ति के अतिरिक्त दो वर्ष का औसत किराया के प्रतिफल के बराबर की राशि पर प्रभार्य होगा।

यह ध्यान में आया कि 6 पट्टा विलेखों का आर.एस.ई.बी., जयपुर (अब आर.आर.वि.पी.एन.एल.) के पक्ष में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (एस.बी.बी.जे.), स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (एस.बी.आई.), मुम्बई एवं इण्डस्ट्रीयल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया (आई.सी.आई.सी.आई.), मुम्बई, द्वारा मार्च 1997 से मार्च 1999 के मध्य भूमि से जुड़े हुए संयंत्र, मशीनें एवं उपकरणों को 8 से 10 वर्ष की अवधि के किराये पर देने के लिए निष्पादित किये गये। ये पट्टे विलेख संबंधित पंजीयन प्राधिकारी के कार्यालय में अनिवार्य रूप से पंजीयन होने थे, जो नहीं हुए। इसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क राशि 63.16 करोड़ रुपये की अपवंचना औसत किराया, जमा प्रतिभूति और अग्रिम राशि 574.04 करोड़ रुपये की गणना पर हो गयी।

मामला विभाग को सूचित किया गया। अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर द्वारा तथ्यों को अप्रैल 2003 में स्वीकार किया गया एवं दस्तावेजों को पंजीयन के लिए प्रस्तुत करने के लिए आर.आर.वि.पी.एन.एल. को लिखा गया है।

15 कलक्टर्स के अभिलेखों की मापक जांच में पाया गया कि भूमि के 229 मामलों में 1997-98 से 2001-02 के मध्य 99 वर्ष के लिए पट्टे पर आर.एस.ई.बी./ आर.आर.वि.पी.एन.एल. एवं राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड को क्रमशः ग्रिड सब स्टेशन स्थापित करने एवं खनन उद्देश्य हेतु भूमि दी गई। पट्टे इकरारनामें संबंधित एस.आर. कार्यालयों में पंजीबद्ध नहीं कराये गये, परिणामस्वरूप मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क 97.52 लाख रुपये की अपवंचना हुई।

4.2.11 सम्पत्तियों के कम मूल्यांकन के कारण मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का कम आरोपण

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 सपठित राजस्थान मुद्रांक नियम, 1955 के अनुसार यदि कोई अचल सम्पत्ति से संबंधित लेख्य-पत्र जैसाकि इस लेख्य-पत्र में उस पर कर प्रभार्य है, अवमूल्यांकन लक्षित होता है, ऐसे दस्तावेजों को पंजीयन के बाद सम्पत्ति के बाजार मूल्य के निर्धारण हेतु कलक्टर (मुद्रांक) को प्रेषित करना होता है। इसके अतिरिक्त जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित दरें या मुद्रांक एवं पंजीयन विभाग द्वारा अनुमोदित दरें, जो भी उच्चतर हो के आधार पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य को निर्धारित किया जावेगा।

14 एस.आर. के अभिलेखों की मापक जाचं में पाया गया कि 1999 एवं 2001 के मध्य 40 दस्तावेज पंजीबद्ध किये गये। संबंधित एस आर द्वारा इन दस्तावेजों में अचल सम्पत्तियों का 9 से 100 प्रतिशत के मध्य अवमूल्यांकन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क 91.08 लाख रुपये का कम आरोपण किया गया। इन मामलों को मूल्यांकन हेतु कलक्टर (मुद्रांक) को प्रेषित नहीं किया गया।

4.2.12 संविदा/उप संविदा पर मुद्रांक कर का आरोपण नहीं करना

राजस्थान मुद्रांक विधि (अनुकूलन) अधिनियम, 1952 यथा संशोधित 30 मार्च 2000 में प्रावधान है कि कार्य संविदाओं पर निर्धारित दर से मुद्रांक कर प्रभारित किया जावेगा।

आई.जी. ने पत्र दिनांक 9 जनवरी 1998 द्वारा लोक कार्यालयों के अभिलेखों की जांच के लिए डी.आई.जी. (पंजीयन) को यह सुनिश्चित करने के लिए अधिकृत किया, कि संविदाकारों द्वारा निर्धारित दर से मुद्रांक कर का भुगतान किया गया।

पी.डब्ल्यु.डी., पी.एच.ई.डी., सिंचाई विभाग और जयपुर नगर निगम के 48 खण्डों[1] के अभिलेखों की मापक जांच में पाया गया कि अप्रैल 2000 से मार्च 2002 के दौरान 11,187 कार्य संविदाओं में मुद्रांक कर राशि 12.30 लाख रुपये का आरोपण नहीं किया गया। संविदाकारों द्वारा मुद्रांक कर भुगतान हेतु न तो लोक कार्यालयों द्वारा बल दिया गया न ही दस्तावेजों को परिबद्ध कर के कलक्टर (मुद्रांक) को प्रेषित किया गया। डी.आई.जी. द्वारा भी इन लोक कार्यालयों के अभिलेखों की जांच यह सुनिश्चित करने के लिए कि मुद्राक कर का भुगतान किया गया था, की दृष्टि से नहीं की गई।

यह ध्यान में लाये जाने पर खण्ड के अधिशाषी अभियंताओं (अ.अ.) द्वारा बताया गया कि उक्त आदेश प्राप्त नहीं होने के कारण मुद्रांक कर वसूल नहीं किया जा सका।

केन्द्रीय लोक निर्माण (के.लो.नि.) सेन्ट्रल डिवीजन, अजमेर में संविदाकारों के साथ 167 संविदाओं का बिना मुद्रांक कर आरोपण किये निष्पादन किया गया जिन पर 0.27 लाख

[1] पी.डब्ल्यु.डी. डिवीजन अजमेर-4, अलवर-2, भीलवाड़ा-2, बीकानेर-1, चित्तौडगढ़-1, चुरू-1, डूंगरपुर-1, जयपुर-5, जोधपुर-4, नागौर-1, राजसमन्द-2, सीकर-2, सिरोही-1, उदयपुर-3, पी.एच.ई.डी. डिवीजन चुरू-1, डूंगरपुर-1, जोधपुर-3, सिरोही-1, श्रीगंगानगर-1, इरीगेशन डिवीजन अलवर-1, बीकानेर-3, चितौड़गढ़-1, डूंगरपुर-2, जयपुर-1, सिरोही-1, जयपुर नगर निगम-2।

रुपये प्रभार्य थे। अ.अ. अजमेर ने बताया कि क्रमशः राज्य विभाग एवं भारत सरकार द्वारा ऐसा करने के लिए निर्देशित नहीं किया था। अ.अ. जयपुर ने संविदाओं/उप संविदाओं की सूची उपलब्ध नहीं करवाई।

जयपुर विकास प्राधिकरण (जे.डी.ए.) के 14 क्षेत्रीय अभियन्ताओं में से 4 ने बताया कि सभी इकरारनामें एकरूपता से 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किये गये थे। जबकि संविदा की राशि पर विचार नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2000-02 के दौरान 253 मामलों में 0.91 लाख रुपये मुद्रांक कर की अपवंचना हुई। शेष 10 क्षेत्रीय अभियन्ताओं द्वारा निष्पादित संविदाओं की सूची उपलब्ध नहीं करवाई गयी।

जयपुर, सीकर, टोंक तथा जोधपुर में ध्यान में आया कि राजस्थान स्टेट रोड़ डवलपमेंट एण्ड कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन (आर.एस.आर.डी.सी.) की 6 इकाईयों में वर्ष 2000-02 के दौरान 1,299 मामलों में संविदाओं का निष्पादन किया गया। आरोपण योग्य मुद्रांक कर 1.60 लाख रुपये एकत्रित नहीं किये गये।

4.2.13 आबकारी एवं खान विभाग में जमानतनामें/प्रतिभूतियों तथा संविदाओं का पंजीयन नहीं किया जाना

पंजीयन अधिनियम, 1908 की धारा 17(1)(सी) में प्रावधान है कि, वसीयत भिन्न लेख्य पत्रों जिनमें, अधिकार, स्वामित्व या हित, सृजन, अभिवृद्धि, हस्तान्तरण के कारण किसी प्रतिफल के भुगतान या प्राप्ति की रसीद का दायित्व हो, उनका पंजीयन आवश्यक है। इसके अतिरिक्त राजस्थान मुद्रांक विधि (अनुकूलन) अधिनियम, 1952 के अनुसार प्रतिभूति बन्ध पत्र या रहन विलेख, जो किसी प्रतिभूति के लिए निष्पादित किये गये हो उनमें सुरक्षित राशि का 0.5 प्रतिशत या 200 रुपये जो भी अधिक हो, मुद्रांक कर के रूप में प्रभार्य होगा। शासन की अधिसूचना मार्च 1998 के द्वारा इकरारनामे या इकरारनामे के ज्ञापन पर मुद्रांक कर घटाकर 0.1 प्रतिशत किया गया।

4 खनि कार्यालयों[1] एवं 12 आबकारी कार्यालयों[2] के अभिलेखों की मापक जांच में यह ध्यान में आया कि वर्ष 1997-98 से 2001-02 के दौरान निष्पादित संविदाओं एवं जमानतनामों/प्रतिभूतियों पर मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क के 258 मामलों में 1.24 करोड़ रुपये प्रभारित नहीं किया जा रहा था।

4.2.14 पुनरीक्षण याचिका दायर नहीं करना

भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899, जैसाकि राजस्थान में यथाअनुकूलित, में प्रावधान है कि कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा निर्णित मामलों के विरूद्ध 90 दिवस की अवधि में पुनरीक्षण याचिका दायर की जानी चाहिए, जहाँ सरकारी राजस्व के हित के विरूद्ध उसके द्वारा निर्णय दिया गया हो एवं अभिलेखों में तथ्यों के विरूद्ध समुचित कारण एवं विश्वास का आधार हो।

---

[1] बीकानेर, भीलवाड़ा, राजसमन्द-I, राजसमन्द-II।

[2] अजमेर, अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, बांसवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जोधपुर, नागौर, सीकर, श्रीगंगानगर एवं टोंक।

कलक्टर (मुद्रांक), अजमेर, के अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि एस.आर. मेड़ता सिटी, (नागौर) द्वारा ट्रांसफर ऑफ लीज बाई वे ऑफ असाईनमेंट का खनन पट्टा का एक मामला फरवरी 2000 में अग्रेषित किया गया। एस.आर., मेड़ता सिटी, द्वारा सम्पत्ति का मूल्य 78.35 लाख रुपये निर्धारित किया। पट्टे की अवधि 16 फरवरी 2001 तक 10 वर्ष के लिए आरम्भिक तौर पर हस्तान्तरणकर्ता के पक्ष में बढ़ाई गई जो कि निदेशक खान एवं भू-विज्ञान के पत्र दिनांक 21 जनवरी 1999 द्वारा 20 वर्ष के लिए पट्टे की अवधि 16 फरवरी 2011 तक बढ़ाई गई।

कलक्टर (मुद्रांक), अजमेर, द्वारा 11 अक्टूबर 2000 को मामला निर्णित किया गया एवं भूमि एवं सम्पत्ति के मूल्य की गणना एक वर्ष एवं एक माह अर्थात 16 फरवरी 2001 तक की गई बजाय 16 फरवरी 2011 के। इसके परिणामस्वरूप सम्पत्ति का 66.35 लाख रुपये का अवमूल्यांकन हुआ एवं मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क 6.77 लाख रुपये का कम आरोपण हुआ।

कलक्टर (मुद्रांक), अजमेर, के निर्णय के विरूद्ध आई.जी. ने एस.आर., मेड़ता सिटी, को जनवरी 2001 को निर्णय की दिनांक से 90 दिवस में राजस्व मण्डल के यहाँ पुनरीक्षण याचिका दायर करने की अनुमति दी थी लेकिन एस.आर. द्वारा अब तक उसको दायर नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा में ध्यान में लाये जाने पर एस.आर., मेड़ता सिटी, ने दिसम्बर 2002 में सूचित किया कि 27 नवम्बर 2002 को पुनरीक्षण याचिका दायर की गई।

4.2.15 चल सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर मुद्रांक कर का अनारोपण

राजस्थान मुद्रांक विधि (अनुकूलन) अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत 12 मार्च 1997 से चल सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर राज्य सरकार द्वारा 0.5 प्रतिशत मुद्रांक कर आरोपित की जावेगी।

जिला परिवहन कार्यालयों (डी.टी.ओ.) मे वाहनों का पंजीयन किया जाता है। डी.टी.ओ. द्वारा वाहन मालिकों द्वारा भुगतान की जाने वाली मुद्रांक कर राशि की न तो जांच की और न ही संग्रहण एवं इसके आरोपण के लिए मामलों को कलक्टर (मुद्रांक) को प्रेषित किये गये। आई.जी. मुद्रांक एवं पंजीयन ने पत्र दिनांक 20 फरवरी 2002 द्वारा वित्त विभाग को सूचित किया कि परिवहन विभाग द्वारा वाहनों के पंजीयन पर मुद्रांक कर अनारोपण के कारण 5 करोड़ रुपये की वार्षिक अनुमानित राजस्व हानि हो रही है। उक्त 5 करोड़ रुपये की वार्षिक सन्तुलित अनुमानित राजस्व हानि, वर्ष 2002 के अन्त तक के 5 वर्षों (1997-98 से 2001-02 के मध्य) के लिए 25 करोड़ रुपये होगो।

लेखापरीक्षा में ध्यान दिलाये जाने पर, आयुक्त परिवहन ने सितम्बर 2002 में उत्तर दिया कि वित्त विभाग से, विभाग में पंजीबद्ध किये जा रहे वाहनों पर परिवहन अधिकारी मुद्रांक कर आरोपण के जांच के संबंध में अधिकृत थे, के दिशा निर्देश चाहे गये। अब तक निर्णय नहीं हुआ। यह सुस्पष्ट है कि चल सम्पत्ति के पंजीयन पर, मुद्रांक कर वसूल करने हेतु उचित पद्धति बनाने के लिए सरकार अब तक विफल रही जबकि कर मार्च 1997 में निर्धारित किया गया।

4.2.16 संशोधित दरें लागू नहीं करने से मुद्रांक कर की हानि

वित्त अधिनियम, 1997 के द्वारा 12 मार्च 1997 से राज्य सरकार ने इकरारनामें या इकरारनामें के ज्ञापन पर 10 रुपये से 100 रुपये मुद्रांक कर की दरें संशोधित की गई।

जबकि यह ध्यान में आया कि आदेशों के विलम्ब से प्राप्त होने के कारण आर.एस.ई.बी. ने 12 सितम्बर 1997 से इन आदेशों को लागू किया। इसके परिणामस्वरूप 1 अप्रैल 1997 से 12 सितम्बर 1997 के दौरान 21,758 इकरारनामें या इकरारनामें के ज्ञापनों के मामलों में 19.59 लाख रुपये की मुद्रांक कर की हानि हुई।

4.2.17 राजस्थान वित्त अधिनियम, 2001 से राज्य सरकार ने 29 मार्च 2001 से राजस्थान मुद्रांक विधि (अनुकूलन) अधिनियम, 1952 की द्वितीय अनुसूची के अनुच्छेद 23 के अंतर्गत पंजीबद्ध होने वाले दस्तावेजों पर मुद्रांक कर को दर 10 प्रतिशत से बढ़ा कर 11 प्रतिशत कर दी।

एस.आर. अलवर, बीकानेर, हनुमानगढ़, ज़यपुर-II एवं सिरोही के दस्तावेजों की जांच के दौरान ध्यान में आया कि मुद्रांक कर बढ़ी दर से वसूल नहीं किया गया, परिणामस्वरूप 685 मामलों में 5.57 लाख रुपये मुद्रांक कर का कम आरोपण हुआ।

एस.आर., सिरोही ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए दिसम्बर 2002 में सूचित किया कि संबंधित निष्पादनकर्ताओं से राशि वसूल की जावेगी।

4.2.18 अनुश्रवण

निरीक्षण

डी.आई.जी./अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत एस.आर. कार्यालयों का वार्षिक निरीक्षण किया जाना आवश्यक था। यह ध्यान में आया कि डी.आई.जी./ए.सी. द्वारा 3[1] को छोड़कर ऐसे निरीक्षण नहीं किये गये।

आई.जी. ने यद्यपि एकरूप आदेश डी.आई.जी. (पंजीयन) को लोक कार्यालयों के निरीक्षण के लिए वर्ष 1998 में जारी किये लेकिन उनके द्वारा निरीक्षण नहीं किये गये। इसके परिणामस्वरूप लोक कार्यालयों में मुद्रांक कर लेखों में राजस्व हानि की जांच नहीं हुई।

कोषालयों से मुद्रांक लेखों की अप्राप्ति

राजस्थान कोषालय नियम, 1999 में प्रावधान है कि कोषाधिकारी प्रत्येक माह में मुद्रांक लेखे आई.जी. (पंजीयन एवं मुद्रांक) को भेजेंगें। जबकि यह ध्यान मे आया कि कोषाधिकारी जयपुर, उदयपुर, प्रतापगढ़ एवं हनुमानगढ़ द्वारा मुद्रांक लेखे आई.जी. को नहीं भेजे गये।

[1] बीकानेर, हनुमानगढ़ और जोधपुर।

4.2.19 सिफारिशें

उपरोक्त समीक्षा के परिपेक्ष्य में सरकार को विचार करना चाहिए किः

- सभी सम्पत्ति हस्तान्तरण दस्तावेजों का अनिवार्य पंजीयन सुनिश्चित किया जावे;
- पी.ए.सी. को निर्णयाधीन प्रक्रिया के संबंध में दिये गये आश्वासनों के शीघ्र निपटान के लिए प्रणाली की व्यवस्था की जावे;
- डी.आई.जी. द्वारा मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क का उचित आरोपण सुनिश्चित करने के लिए लोक कार्यालयों एवं उप पंजीयक कार्यालयों का नियमित निरीक्षण किया जावे।

उपरोक्त मामला विभाग/सरकार को मई 2003 में सूचित किया गया। परन्तु उनसे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 2003)।

अध्याय-V: राज्य उत्पाद शुल्क

5.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2002-03 के दौरान राज्य उत्पाद शुल्क कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में की गई मापक जांच से 119 मामलों में 56.06 करोड रूपये के उत्पाद शुल्क राजस्व की अवसूली/कम वसूली का पता चला जो मोटे तौर पर निम्न वर्गों में आते हैः-

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
1.	उत्पाद शुल्क एवं अनुज्ञा शुल्क की कम वसूली/अवसूली	34	1.77
2.	मदिरा की अधिक क्षति से उत्पाद शुल्क की हानि	8	0.06
3.	अन्य अनियमिततायें	77	54.23
	योग	**119**	**56.06**

वर्ष 2002-03 के दौरान विभाग ने 72 मामलों में अन्तर्निहित 67.38 करोड़ रूपये के अवनिर्धारण, कम वसूली इत्यादि स्वीकार की जिनमें से 2.85 करोड़ रूपये के 34 मामले लेखापरीक्षा में वर्ष 2002-03 के दौरान तथा शेष पूर्व के वर्षों में बताये गये थे। विभाग ने 65 मामलों में 14.01 करोड़ रूपये की वसूली की जिनमें से 0.28 करोड़ रूपये के 18 मामले लेखापरीक्षा में वर्ष 2002-03 के दौरान तथा शेष पूर्व के वर्षों में बताये गये थे।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आक्षेपों को इंगित करते हुए कुछ निदर्शी मामले जिनमें 1.40 करोड़ रूपये की राशि सन्निहित है, आगामी अनुच्छेदों में दिये गये हैं:-

5.2 दोषी अनुज्ञाधारियों के विरुद्ध कम मांग कायम करना

वर्ष 2001-02 के लिये चिरे हुए डोडा पोस्त व भांग के विक्रय शर्तों की निविदा में अन्य बातों के साथ साथ प्रावधित है कि सफल निविदादाता व्यावसायिक गतिविधियां आरंभ करने से पूर्व जमानत, हैसियत प्रमाण पत्र और अनुज्ञाशुल्क के बराबर धरोहर राशि जमा कराये। ऐसा करने में असफल रहने पर अनुज्ञापत्र निरस्त योग्य होंगे तथा चूककर्ता की जोखिम व लागत पर अन्य पार्टी को पुनःआवंटित कर दिया जायेगा।

उदयपुर में यह देखा गया कि झुन्झुनू जिले में दो समूहों[1] में वर्ष 2001-02 के दौरान चिरे हुए डोडा पोस्त व भांग के विक्रय हेतु अनुज्ञापत्र दो अनुज्ञाधारियों के पक्ष में अनुज्ञा शुल्क क्रमशः 61.00 लाख रुपये एवं 57.74 लाख रुपये पर मार्च 2001 में स्वीकृत किये गये थे। धरोहर राशि, हैसियत व जमानत के जमा कराने में असफल रहने पर अनुज्ञाधारियों की जोखिम व लागत पर दोनों अनुज्ञापत्र 7 मई 2001 को निरस्त कर दिये गये थे तथा अनुज्ञाधारियों द्वारा जमा करायी गई बयाना राशि जब्त कर ली गई थी।

तदुपरान्त, एक संयुक्त समूह दूसरे अनुज्ञाधारी के पक्ष में 36.11 लाख रुपये में 31 अगस्त 2001 से पुनः आवंटित किया गया। चूंकि अंतर राशि 82.63 लाख रुपये चूककर्ताओं से वसूली योग्य थी परन्तु विभाग ने केवल 29.69 लाख रुपये की मांग कायम की। जिसके परिणामस्वरूप 52.94 लाख रुपये की मांग कम कायम की गई।

लेखापरीक्षा में ध्यान दिलाये जाने पर विभाग ने जुलाई 2003 में बताया कि 82.63 लाख रुपये की संशोधित मांग फरवरी 2003 में कायम कर दी गई।

सरकार, जिसे अप्रैल 2003 में मामला सूचित किया गया था, ने अगस्त 2003 में विभाग के उत्तर की पुष्टि की।

5.3 उत्पाद शुल्क अधिभार की कम वसूली

सरकार ने 12 मार्च 1997 को बीयर पर उत्पाद शुल्क का उद्ग्रहण अधिसूचित किया। दिनांक 21 अप्रैल 1999 की अधिसूचना से राजस्थान राज्य होटल निगम द्वारा विक्रय की जाने वाली बीयर पर अधिभार बढ़ाकर 9.62 रुपये प्रति बल्क लीटर कर दिया गया था, यद्यपि, जिसकी वसूली 31 जुलाई 2001 तक आस्थगित कर दी गई थी। इस तरह 31 जुलाई 2001 के बाद अधिभार का भुगतान निगम के द्वारा एक मुश्त देय था।

जयपुर (शहर) और उदयपुर में यह देखा गया कि निगम द्वारा संचालित बीयर की दुकानों को 5,46,078 बल्क लीटर बीयर की कुल मात्रा के लिये 21 अप्रैल 1999 से 31 जुलाई 2001 की अवधि के दौरान परमिट जारी किये गये। उत्पाद शुल्क अधिभार के 52.53 लाख रुपये निगम द्वारा देय थे, जिसमें से केवल 8.51 लाख रुपये वसूल किये गये थे। जिसके परिणामस्वरूप 44.02 लाख रुपये के उत्पाद शुल्क अधिभार की अवसूली हुई।

लेखापरीक्षा में ध्यान दिलाने पर, विभाग ने जुलाई 2003 में बताया कि जून 2003 में 0.88 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी थी तथा बकाया राशि के वसूली की कार्यवाही की जा रही थी। मामले में अंतिम उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2003)।

सरकार जिसे फरवरी एवं मार्च 2003 में मामले को प्रतिवेदित किया गया, ने जुलाई 2003 में विभाग के उत्तर की पुष्टि की।

[1] 1. झुन्झुनू-नवलगढ़, 2. चिड़ावा-खेतड़ी-उदयपुरवाटी।

5.4 बीयर के अपेय होने के कारण उत्पाद शुल्क की अवसूली

बन्ध अधीन गोदाम की स्थापना की शर्तों एवं निर्बन्धनों में उपबन्धित है कि अनुज्ञा अवधि के दौरान बंधाधीन गोदाम में मदिरा के नुकसान के लिये सरकार उत्तरदायी नहीं होगी। हानि के मामले में, आबकारी आयुक्त द्वारा जांच की जावेगी। यदि यह पाया जाता है कि अनुज्ञाधारी द्वारा उचित सावधानी रखने से नुकसान को रोका जा सकता था, तो उसे शुल्क चुकाना आवश्यक होगा एवं आयुक्त का निर्णय अंतिम होगा तथा अनुज्ञाधारी पर बाध्यकारी होगा।

अलवर में यह देखा गया कि एक किण्वनशाला (ब्रेवरी), जिसके पास 2001-02 के लिये अनुज्ञापत्र था, ने जून 2001 में बीयर का निर्माण एवं निकासी बन्द कर दी। बन्द होने के समय ब्रेवरी के बंधाधीन गोदाम में 1,52,178 बल्क लीटर स्ट्रांग बीयर और 47,280 बल्क लीटर लेजर बीयर की मात्रा स्टॉक में थी, जो कि अपेय हो चुकी थी जैसा कि रासायनिक परीक्षक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राजस्थान, जयपुर ने अप्रैल 2002 में प्रमाणित किया। इसके परिणामस्वरूप उत्पाद शुल्क रुपये 27.55 लाख के राजस्व की हानि हुई। न तो ब्रेवरी द्वारा उत्पाद शुल्क चुकाया गया न ही विभाग द्वारा मांग की गई थी।

लेखापरीक्षा में ध्यान दिलाने पर विभाग ने मार्च 2003 में बताया कि राजस्थान ब्रेवरी नियम, 1972 के नियम 50(1) के दृष्टिगत उत्पाद शुल्क की वसूली औचित्यपूर्ण नहीं थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योकि उक्त नियम बीयर, जिस पर उत्पाद शुल्क प्रभारित किया गया तथा चुकाया गया था, के उपभोग के अयोग्य हो जाने तथा शुल्क के भुगतान के 6 माह की अवधि के अन्दर दावा प्रस्तुत करने की शर्त पर शुल्क की वापसी के मामले से संबंधित है। परन्तु इस मामले में अनुज्ञावधि के दौरान बंधाधीन गोदाम से निकासी नहीं होने के कारण बीयर को अपेय घोषित किया गया था। अतः अनुज्ञाधारी द्वारा उत्पाद शुल्क चुकाया जाना था।

सरकार, जिसे मार्च 2003 में मामला प्रतिवेदित किया गया, ने मई 2003 में विभाग के उत्तर की पुष्टि की।

5.5 अतिरिक्त शुल्क की अवसूली

राजस्थान आबकारी नियम, 1956 सपठित राजस्थान विदेशी मदिरा (थोक व्यापार एवं खुदरा बहिःपान अनुज्ञप्ति प्रदाय) नियम 1982 विहित करते हैं कि अनुज्ञप्ति नवीनीकरण चाहने वाले व्यक्ति को वर्ष के आरंभ से कम से कम एक माह पूर्व आवेदन करना होगा; ऐसे आवेदन पत्र के साथ निर्धारित अनुज्ञप्ति शुल्क के भुगतान की कोष रसीद लगानी होगी। जहां ऐसा आवेदन पत्र निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं कया गया हो, वहां इसके साथ निर्धारित शुल्क के 25 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त शुल्क साथ लगाया जाये।

जयपुर में यह देखा गया कि वर्ष 1999-2000 के एक अनुज्ञाधारी ने बीयर के थोक अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण के लिये आवेदन किया। अनुज्ञाधारी को वर्ष 2000-01 और 2001-02 के लिये अनुज्ञप्ति नवीनीकरण आवेदन निर्धारित 17 लाख रुपये वार्षिक अनुज्ञाशुल्क के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था। यद्यपि, अनुज्ञाधारी ने अनुज्ञप्ति नवीनीकरण के लिए समय पर आवेदन किया परन्तु अनुज्ञाशुल्क के बारहवें भाग के बराबर 1.42 लाख रुपये जमा करवाये। बकाया अनुज्ञाशुल्क 15.58 लाख रुपये प्रत्येक वर्ष मई से मार्च महिनों में मासिक किश्तों में जमा करवाये गये। अनुज्ञाधारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ निर्धारित अनुज्ञाशुल्क का भुगतान नहीं किया गया। इस प्रकार अतिरिक्त शुल्क 4.25 लाख रुपये प्रतिवर्ष वसूलनीय था, लेकिन नहीं वसूला गया। इसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त शुल्क 8.50 लाख रुपये की अवसूली रही।

लेखापरीक्षा में ध्यान दिलाने पर विभाग ने जुलाई 2003 में बताया कि अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार अनुज्ञाधारी द्वारा वार्षिक अनुज्ञाशुल्क का भुगतान बारह समान मासिक किश्तों में किया जाना था। विभागीय उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि उल्लिखित प्रकरण में अनुज्ञाधारी को निर्धारित अनुज्ञा शुल्क का भुगतान आवेदन के समय ही करना था।

सरकार जिसे फरवरी 2003 में मामला प्रतिवेदित किया गया, ने अगस्त 2003 में विभाग के उत्तर की पुष्टि की।

5.6 परिवहन में प्रासव के अधिक क्षय पर उत्पाद शुल्क की अवसूली

राजस्थान स्टॉक ग्रहण और अपचय (आसवनशालाओं और गोदामों पर) नियम, 1959 परिवहन में प्रासव की क्षति की छूट प्रदान करता है। रिसाव, वाष्पीकरण या अन्य अपरिहार्य कारणों से बन्ध पत्र के अधीन आयातित या परिवहनित प्रासव की वास्तविक क्षति निर्धारित दरों तक स्वीकृत है। निर्धारित सीमा से अधिक क्षति पर शुल्क प्रभार्य है।

5 जिला आबकारी कार्यालयों[1] में 6583.629 लन्दन प्रूफ लीटर (एल.पी.एल.) प्रासव के अधिक क्षय की छूट विभाग द्वारा मार्च 2000 और फरवरी 2002 के मध्य दी गयी। इसके परिणामस्वरूप 6.58 लाख रुपये के उत्पाद शुल्क की अवसूली हुई।

लेखापरीक्षा में ध्यान दिलाने पर विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया। आगे मई 2003 में सूचित किया गया कि राशि 5.87 लाख रुपये वसूल किये जा चुके थे तथा शेष राशि की वसूली के प्रयास किये जा रहे थे।

मामला फरवरी 2003 व मार्च 2003 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया लेकिन कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 2003)।

[1] अलवर, हनुमानगढ़, झुन्झुनू, सवाईमाधोपुर एवं जोधपुर।

अध्याय-VI: अन्य कर प्राप्तियाँ

6.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2002-03 में लेखापरीक्षा के दौरान भू-राजस्व, भूमि एवं भवन कर एवं विलासिता कर के अभिलेखों की मापक जांच में 3,905 मामलों में 816.04 करोड़ रुपयों के अवनिर्धारण और राजस्व हानि का पता लगा जो मौटे तौर से निम्न श्रेणियों में आते हैः-

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
(अ) भू-राजस्व			
1.	सरकारी भूमि पर अतिचारियों के मामलों का अनियमितिकरण	2,588	14.02
2.	खातेदारों से रूपान्तरण प्रभारों की अवसूली	612	11.47
3.	केन्द्रीय/राज्य सरकार/विभाग/प्रतिष्ठानों से प्रीमियम और किराये की अवसूली	95	3.80
4.	सिंचित/असिंचित/निष्क्रान्त/सीलिंग आदि भूमि की कीमत की अवसूली	281	6.74
5.	निजी/ परोपकारी शैक्षिक संस्थानों को अनियमित आवंटन सहित अन्य अनियमितताएं	217	763.49
	योग	**3,793**	**799.52**
(ब) भूमि एवं भवन कर			
6.	सम्पत्तियों के अवमूल्यांकन के कारण कम आरोपण	27	7.81
7.	निर्धारणों में त्रुटियों के कारण कम आरोपण	9	0.37
8.	अन्य अनियमितताएं	75	7.23
	योग	**111**	**15.41**
(स) विलासिता कर			
9.	विलासिता कर का अनारोपण	1	1.11
	योग	**1**	**1.11**
	कुल योग	**3,905**	**816.04**

वर्ष 2002-03 के दौरान 672 मामलों में, जिनमें 7.30 करोड़ रुपये अन्तर्निहित थे, में अवनिर्धारण आदि स्वीकार किये, जिसमें से 96 मामले जिनमें 4.90 करोड़ रुपये अन्तर्निहित थे, वर्ष 2002-03 की लेखापरीक्षा के दौरान तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में ध्यान में लाये गये थे। इसके अतिरिक्त विभाग ने 469 मामलों में 43.48 लाख रुपये वर्ष 2002-03 के दौरान वसूल किये, जिसमें से 99 मामले जिनमें 2.09 लाख रुपये अन्तर्निहित थे, वर्ष 2002-03 से संबंधित थे तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों के थे।

कुछ निदर्शी मामले जिनमें 5.74 करोड़ रुपये अन्तर्निहित हैं तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों को उजागर करने वाले हैं का उल्लेख आगामी अनुच्छेदों में किया गया हैः

अ. भू-राजस्व

6.2 प्रीमियम की कम वसूली

राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 2 मार्च 1987 के अनुसरण में केन्द्र सरकार के संगठन को वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ सरकारी कृषि भूमि के आवंटन पर भूमि का मूल्य वाणिज्यिक दर पर प्रभारित किया जाना चाहिए। भूमि के विक्रय हेतु उसकी वाणिज्यिक दर वह होगी जो उस क्षेत्र की जिला स्तरीय समिति (डी.एल.सी.) द्वारा अनुमोदित की गई थी।

तहसील श्रीडूंगरगढ़ (जिला बीकानेर) में जून 2002 में पाया गया कि श्रीडूंगरगढ़ में 2,151 वर्गमीटर माप की सरकारी कृषि भूमि, पट्रोल पम्प स्थापित करने हेतु एक निगम को अगस्त 2000 में आवंटित की गई थी। निगम से भूमि के प्रचलित वाणिज्यिक मूल्य 17.21 लाख रुपये (डी.एल.सी. द्वारा निर्धारित दर से) के स्थान पर 2.09 लाख रुपये का भुगतान प्रभारित किया गया। भूमि के अवमूल्यांकन के परिणामस्वरूप राशि 15.12 लाख रुपये की कम वसूली हुई।

चूक को अगस्त 2002 में विभाग के तथा फरवरी 2003 में सरकार के ध्यान में लाया गया। उत्तर में विभाग ने अगस्त 2003 में बताया कि मांग कायम की जा चुकी है एवं वसूली की कार्यवाही की जा रही है। इससे आगे उत्तर अपेक्षित था (अगस्त 2003)।

6.3 प्रीमियम एवं पट्टा किराया की कम वसूली

शासकीय अधिसूचना दिनांक 2 अगस्त 1984 के अनुसार, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (रा.रा.प.प.नि.) को सरकारी भूमि पट्टा पर आवंटित की जा सकेगी। आवंटन पड़ौस की कृषि भूमि के प्रचलित बाजार मूल्य के बराबर प्रीमियम के अतिरिक्त ऐसे प्रीमियम का दस प्रतिशत वार्षिक पट्टा किराये के भुगतान पर किया जा सकेगा।

तहसील रेवदर (जिला सिरोही) में पाया गया कि सरकारी कृषि भूमि माप 12 बीघा का रा.रा.प.प.नि. को आवंटन दिसम्बर 1999 में किया गया एवं प्रीमियम के रूप में प्रचलित बाजार कीमत के साथ निर्धारित दर पर पट्टा किराया राशि 14.58 लाख रुपये के स्थान पर कुल राशि 2.83 लाख रुपये वसूल किये गये। इसके परिणामस्वरूप भूमि का प्रीमियम एवं पट्टा किराया 11.75 लाख रुपये की कम वसूली हुई।

लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर विभाग ने जुलाई 2003 में बताया कि डी.एल.सी. दिनांक 27 सितम्बर 2000 द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार राष्ट्रीय/राज्य राज मार्ग एवं जिला रोड़ से 500 मीटर से अधिक दूरी पर अवस्थित भूमि को मुख्य रोड़ से दूर माना जावेगा। विभाग का प्रत्युत्तर मान्य नहीं था चूंकि भूमि का आवंटन दिसम्बर 1999 में किया गया था, इसलिए डी.एल.सी. दिनांक 27 सितम्बर 2000 के निर्णय लागू नहीं होंगें। इसके अतिरिक्त भूमि रेवदर-सैलवाड़ा मुख्य रोड़ पर अवस्थित है।

सरकार, जिसे मामला मार्च 2003 में सूचित किया गया था, ने अगस्त 2003 में विभाग के उत्तर की पुष्टि की।

ब. भूमि एवं भवन कर

6.4 भूमि का अवमूल्यांकन

राजस्थान भूमि एवं भवन कर (रा.भू. एवं भ.क.) अधिनियम, 1964 एवं इसके अधीन विरचित नियमों के अन्तर्गत भूमि या भवन अथवा दोनों पर, विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर कर आरोपणीय है।

बीकानेर में जुलाई 2002 में यह पाया गया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रसार भारती की सम्पत्ति कुल क्षेत्रफल 28,46,374 वर्ग फीट में से 43,562 वर्ग फीट भूमि का बाजार मूल्य 2.29 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया तथा वर्ष 1998-99 तथा आगे के लिए 3.33 लाख रुपये प्रति वर्ष की दर से कर आरोपित किया गया। 28,02,812 वर्ग फीट रिक्त भूमि का मूल्य अनिर्धारित रहा। जिसके परिणामस्वरूप 1998-99 से 2001-02 तक की अवधि में कर राशि 3.65 करोड़ रुपये की कम वसूली हुई।

यह बताये जाने पर विभाग/सरकार ने मई 2003 में बतलाया कि 5.61 करोड़ रुपये (शास्ति एवं ब्याज सहित) की मांग कायम की जा चुकी थी। वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई (अगस्त 2003)।

6.5 भूमि के अवमूल्यांकन के कारण कर का कम आरोपण

रा.भू.एवं भ.क. अधिनियम के अन्तर्गत भूमि या भवन या दोनों पर, सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर कर आरोपणीय है। विभागीय निर्देशों के अनुसार 1 अप्रैल 1991 से भूमि के मूल्यांकन हेतु पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा निर्धारित भूमि दर लागू होगी। किसी पश्चात्वर्ती वर्ष के लिये भूमि के बाजार मूल्य की गणना आवासीय सम्पत्ति के लिये 10 प्रतिशत तथा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ 20 प्रतिशत प्रति वर्ष वृद्धि कर की जायेगी। सरकार ने दिसम्बर 1998 में स्पष्ट किया कि सम्पत्ति की कीमत का निर्धारण बाजार मूल्य से किया जायेगा, यदि यह जिला स्तरीय समिति (डी.एल.सी.) द्वारा निर्धारित कीमत से अधिक हो।

जयपुर एवं अलवर में यह देखा गया कि सम्पत्ति के गलत मूल्यांकन के कारण राशि 59.44 लाख रुपये का कर नीचे दिये गये ब्यौरे के अनुसार कम आरोपित किया गयाः-

(लाख रुपयों में)

<table>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>कार्यालय का नाम</th><th>कर निर्धारण की दिनांक</th><th>अवधि</th><th>कर का कम आरोपण</th><th>अनियमितता की प्रकृति</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>2.</td><td>3.</td><td>4.</td><td>5.</td><td>6.</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>जयपुर (मोती डूंगरी जोन)</td><td>13 जनवरी 2000</td><td>1995-96 से 1999-2000</td><td>8.15</td><td>जैसाकि भूमि का कब्जा अप्रैल 1994 के बाद लिया गया था, अतः कर दायित्व 1 अप्रैल 1995 से डी एल सी द्वारा निर्धारित दर से देय होगा। कर निर्धारण अधिकारी ने 1 अप्रैल 1995 से लागू भूमि के बाजार मूल्य के स्थान पर 1 अप्रैल 1990 को भूमि के मूल्य में 20 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए 1 अप्रैल 1994 को भूमि का मूल्य 13 जनवरी 2000 को निर्धारित किया।</td></tr>
<tr><td colspan="6">टिप्पणीः-लेखापरीक्षा में यह बताये जाने पर विभाग/सरकार ने जून 2003 में बतलाया कि मांग कायम कर दी गई थी। वसूली की सूचना प्राप्त नहीं हुई है (अगस्त 2003)।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>अलवर</td><td>28 नवम्बर 2001</td><td>1998-99 से 2001-02</td><td>9.93</td><td>कर निर्धारण अधिकारी ने 9,822.68 वर्ग गज आवासीय तथा 7,947.33 वर्ग गज व्यावसायिक भूमि उच्च दर के स्थान पर निम्न दर से गणना की जबकि सम्पत्ति मुख्य सड़क पर कार्नर पर अवस्थित थी।</td></tr>
<tr><td colspan="6">टिप्पणीः-त्रुटि विभाग के ध्यान में फरवरी 2003 में लाई गई तथा सरकार को मार्च 2003 में सूचित किया गया। सरकार ने इससे असहमति दी (जून 2003) कि सम्पत्ति मुख्य सड़क पर स्थित नहीं है, इसलिये कम दर ही लागू होगी। नगर विकास न्यास के पत्र दिनांक 3 जनवरी 2003 को ध्यान में रखते हुए जवाब मान्य नहीं है। जिसके अनुसार उक्त सम्पत्ति पश्चिम में कार्नर पर 60 फीट तथा उत्तर में 25 फीट सड़क पर अवस्थित थी।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>जयपुर (चांदपोल जोन)</td><td>19 दिसम्बर 1997</td><td>1997-98 से 2001-02</td><td>10.36</td><td>कर निर्धारण अधिकारी द्वारा भूमि का आगे एवं पीछे का बाजार मूल्य एकल दर की जगह पर भिन्न दर से निर्धारण किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा भवन निर्माण की लागत 91.09 लाख रुपये सम्मिलित नहीं की गई। कर निर्धारण से पूर्व बेचे गये विभिन्न शोरूम का मूल्य 2.01 करोड़ रुपये भी भूमि की कुल मूल्य 4.27 करोड़ रुपये में से घटा दिया गया था।</td></tr>
<tr><td colspan="6">टिप्पणीः-त्रुटि विभाग के ध्यान में जनवरी 2003 में लाई गई तथा सरकार को फरवरी 2003 में सूचित किया गया। सरकार ने जुलाई 2003 में बताया कि करदायी द्वारा दो विक्रय विलेख द्वारा भूमि क्रय की गई थी, अतः भूमि का मूल्यांकन दो दरों से करना सही है। 1996-97 में पूर्ण निर्मित बिल्डिंग का कुछ भाग बेच दिया गया था अतः बिक्रित भाग का मूल्य सम्पत्ति के कुल मुल्य में से कम किया गया था। अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के अनुसार उत्तर मान्य नहीं था, करदायी की समस्त भूमि हेतु एक दर ही लागू होगी। प्रारम्भिक तौर पर सम्पत्ति के मूल्य में निर्मित क्षेत्र की लागत सम्मिलित कर बिक्रित क्षेत्र को बाद में घटाये जाने की अनुमति दी जानी चाहिये थी।</td></tr>
</table>

1.	2.	3.	4.	5.	6.
4.	जयपुर (हवामहल जोन)	31 दिसम्बर 1997	1994-95 से 1999-2000	31.00	एक करदायी ने मुख्य बाजार में विक्रय विलेख द्वारा 1,153.38 वर्ग मीटर के दो भूखण्ड 36 लाख रुपये में खरीदे। कर निर्धारण अधिकारी ने जिला स्तरीय समिति की दर से 3.81 करोड़ रुपये के स्थान पर 1.05 करोड़ रुपये पर कर निर्धारण किया।
टिप्पणीः-त्रुटि विभाग के ध्यान में जुलाई 2002 में लाई गई तथा सरकार को जनवरी 2003 में सूचित किया गया। विभाग ने अगस्त 2003 में बताया कि सम्पत्ति का पुनः कर निर्धारण कर दिया गया था तथा 29 लाख रुपये की मांग कायम कर दी गई थी।					
योग				**59.44**	

6.6 गलत आधार वर्ष चुनने से कर की कम वसूली

रा.भू. एवं भ. कर अधिनियम, के अन्तर्गत भूमि या भवन या दोनों पर, कुल सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर कर आरोपणीय है। अधिनियम के अनुसार यदि किसी वर्ष में भूमि या भवन का निर्माण पुनर्निर्माण अथवा वृद्धिकरण किया जाता है तो सम्पत्ति का स्वामी ऐसे वर्ष के पश्चातवर्ती वर्ष से कर भुगतान करने का दायी होगा। विभागीय निर्देशों के अनुसार, 1 अप्रैल 1991 से भूमि की दरें जो कि पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा लागू की गयी है, भूमि के मूल्याकंन हेतु ली जावेगी।

जयपुर में यह पाया गया कि करदायी को सिनेमा हॉल स्थापित करने के लिये 3,755 वर्गगज (3,139.18 वर्ग मीटर) भूमि के रूपान्तरण के लिये मार्च 1999 में स्वीकृति मिली थी। कर निर्धारण अधिकारी ने सम्पत्ति का कर निर्धारण करते समय अप्रैल 2001 में रूपान्तरित भूमि का अप्रैल 1999 से वाणिज्यिक आधार पर पुनः कर निर्धारण नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप 1999-2000 से 2000-2001 की अवधि की 11.59 लाख रूपये की कम वसूली हुई।

त्रुटि विभाग की जानकारी में जनवरी 2003 में लाई गई तथा सरकार को फरवरी 2003 में सूचित किया गया, उनका उत्तर प्रतीक्षित रहा (अगस्त 2003)।

स. विलासिता कर

6.7 विलासिता कर का अनारोपण

राजस्थान विलासिता पर कर (होटल तथा आवास गृह में) अधिनियम, 1990 एवं इसके अधीन विरचित नियमों के अनुसार, होटल एवं आवास गृह पर विलासिता कर का निर्धारित दरों पर आरोपण तथा संग्रहण किया जाना चाहिए। होटल में विलासिता

उपलब्ध कराने से तात्पर्य आवास तथा अन्य सेवाएं, जिनमें वातानुकूलन, कूलर, हीटर, गीजर, टेलिविजन, रेडियो, संगीत, मनोरंजन, अतिरिक्त शैय्या लीनेन सामग्री आदि सम्मिलित है और जिनकी दर प्रतिदिन या उसके भाग के लिए 1200 रुपये या अधिक हो। इसके अतिरिक्त जहाँ भोजन व्यवस्था, आवास एवं अन्य सुविधाओं का प्रतिदिन के आधार के अलावा संयुक्त प्रभार वसूल किया जाता है तो विलासिता कर का दायित्व, विक्रय कर अधिनियम के तहत कर योग्य वस्तुओं को कम करने के पश्चात निर्धारित होगा। यदि होटल स्वामी समय पर कर अदायगी में विफल रहते हैं तो 2 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज आरोपण योग्य होगा। यदि होटल स्वामी कर का अपवंचन करता है तो वह कर के अतिरिक्त, अपवंचित कर राशि के दुगने के बराबर, शास्ति के भुगतान का दायी होगा।

एक राजकीय कम्पनी, अधिनियम के अन्तर्गत एक पंजीकृत होटल स्वामी तथा भारतीय रेल संयुक्त रूप से "पैलेस आन व्हील्स" नामक एक विलासिता रेलगाड़ी दर्शनीय स्थानों के भ्रमण के पैकेज के भाग के रूप में प्रति व्यक्ति से नियत दर के भुगतान के आधार पर संचालित कर रहे हैं। पैकेज की राशि का कम्पनी और रेल्वे के मध्य 42:58 के अनुपात में विभाजन किया जाता है। कम्पनी द्वारा वर्ष 1997-98 से 1999-00 के दौरान प्राप्त किये गये कुल 8.41 करोड़ रुपये में आवास, भोजन, गृह व्यवस्था सेवाओं आदि के प्रभार सम्मिलित हैं। चूंकि भोजन एवं पेय तथा उपलब्ध करवाई गई विलासिता के प्रभार पृथक रूप में नहीं दर्शाये गये अतः इसमें से 50 प्रतिशत राशि विलासिता के लिए मानते हुए विलासिता कर हेतु राशि 4.21 करोड़ रुपये की गणना अधिनियम के अन्तर्गत कर योग्य थी। दिसम्बर 2001 में यह देखा गया कि कम्पनी ने इस राशि को विलासिता कर विवरणी में सम्मिलित नहीं किया। कर निर्धारण प्राधिकारी भी इस अनियमितता का पता लगाने में असफल रहे। जिसके परिणामस्वरूप ब्याज एवं कर राशि की दुगुनी शास्ति सहित विलासिता कर के 1.11 करोड़ रुपये का आरोपण नहीं हुआ।

इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर विभाग ने अगस्त 2003 में सूचित किया कि वर्ष 1999-2000 की मांग मार्च 2003 में कायम की जा चुकी थो तथा वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 के व्यापारी के अभिलेखों को चूँकि सी.बी.आई. द्वारा जब्त किया जा चुका था, आगामी कार्यवाही अभिलेखों के मुक्त किये जाने पर की जावेगी।

मामला मार्च 2002 में सरकार को सूचित किया गया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 2003)।

अध्याय-VII: कर-इतर प्राप्तियाँ

7.1 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2002-03 के दौरान गृह (पुलिस), सामान्य प्रशासन तथा खान व पेट्रोलियम, भू-राजस्व इत्यादि विभागों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा की मापक जांच में 2,468 मामलों में 166.61 करोड़ रुपये के कम क़र निर्धारण एवं राजस्व हानि का पता चला, जो कि मुख्यतः निम्न श्रेणियों में आते हैं:-

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	श्रेणी	मामलों की संख्या	राशि
गृह (पुलिस) विभाग			
1.	**समीक्षाः पुलिस विभाग में प्राप्तियों का संग्रहण**	1	15.56
भू-राजस्व विभाग			
2.	**समीक्षाः भू-राजस्व की बकाया के रूप में बकायाओं की वसूली**	4	104.68
सामान्य प्रशासन विभाग			
3.	राजकीय सम्पत्तियों पर काबिज वाणिज्यिक उपक्रमों से किराये की अवसूली	1	30.43
खान व पेट्रोलियम विभाग			
4.	स्थिर भाटक/अधिशुल्क की कम वसूली/ अवसूली	91	2.05
5.	अनाधिकृत उत्खनन	36	2.74
6.	धरोहर राशि का जब्त न करना	78	0.65
7.	शास्ति/ब्याज का न लगाना	106	1.00
8.	अन्य अनियमिततायें	2,151	9.50
	योग	**2,464**	**166.61**

वर्ष 2002-03 के दौरान विभाग ने 1393 मामलों में 30.10 करोड़ रुपये के कम कर निर्धारण आदि को स्वीकार किया जिसमें से 128 मामले, जिनमें 1.64 करोड़ रुपये निहित थे, लेखापरीक्षा में वर्ष 2002-03 के दौरान तथा शेष मामले पूर्व के वर्षों में ध्यान में लाये गये। विभाग ने 1317 मामलों में 13.39 करोड़ रुपये की वसूली की जिसमें से 0.06 करोड़ रुपये के 47 मामले लेखापरीक्षा में वर्ष 2002-03 के दौरान तथा शेष मामले पूर्व के वर्षों में ध्यान में लाये गये थे।

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियों को दर्शाने वाले कुछ निदर्शी मामले जिनमें 35.54 करोड़ रुपये की राशि निहित है, तथा दो समीक्षायें **"पुलिस विभाग की प्राप्तियाँ"** और **"भू-राजस्व की बकाया के रूप में बकायाओं की वसूली"** जिनमें 120.24 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रभाव सन्निहित हैं, अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिये गये हैं:

गृह (पुलिस) विभाग

7.2 समीक्षाः पुलिस विभाग की प्राप्तियाँ

मुख्य मुख्य बिन्दु

केन्द्र सरकार एवं केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के विरुद्ध बकाया 14.06 करोड़ रुपये की कुल बकाया का 90 प्रतिशत से अधिक।

(अनुच्छेद 7.2.5)

दरों में समय समय पर निर्धारित दस प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के बिना आरंभिक दरों पर मांग कायम करने के परिणामस्वरूप 73.83 लाख रुपये के बिल कम हुये।

(अनुच्छेद 7.2.6 व 7.2.7)

पुलिस लागत के निर्धारण में पेंशन अंशदान को सम्मिलित नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप 10.20 करोड़ रुपये की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 7.2.9)

रेलवे के अनुमोदन के बिना राजकीय रेलवे पुलिस में पुलिस कार्मिकों के अभिनियोजन के परिणामस्वरूप 2.15 करोड़ रुपये का कम पुनर्भरण हुआ।

(अनुच्छेद 7.2.10)

7.2.1 परिचय

पुलिस विभाग की प्राप्तियों में मुख्यतः पुलिस कार्मिकों की लागत के व्यय की वसूली है। राज्य में कानून और व्यवस्था बनाये रखने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। इस उत्तरदायित्व का निर्वहन पुलिस विभाग जिसके कर्तव्य और कार्य पुलिस अधिनियम, 1861 के अधीन शासित हैं, के द्वारा किया जाता है। राज्य में सामान्य कानून और व्यवस्था बनाये रखना पुलिस का सामान्य कार्य है, इनकी सेवायें मांग पर केन्द्र व अन्य राज्य सरकारों, स्वायत्तशासी निकायों, संस्थाओं और व्यक्तियों को दी जाती हैं। अन्य राज्यों को पुलिस असामान्य स्थितियों जैसे साम्प्रदायिक झगड़ों, आतंकवाद, प्राकृतिक आपदाओं, चुनावों इत्यादि में कानून व व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के लिये उपलब्ध करायी जाती हैं, जबकि राज्य के अन्दर इन्हें सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों और रेलवे को कोष की रक्षा/प्रेषण अथवा निगरानी और अभिरक्षा के कर्तव्य को करने के लिये उपलब्ध कराया गया था। ये सेवायें सरकार द्वारा समय समय पर नियत दरों के भुगतान पर उपलब्ध करायी जाती है।

7.2.2 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

1997-98 से 2001-02 की अवधि के लिये अगस्त 2002 और मार्च 2003 के मध्य की गई समीक्षा में राजस्थान सरकार के गृह (पुलिस) विभाग तथा पुलिस महानिदेशक, 37 पुलिस अधीक्षक कार्यालयों में से 12[1], राजस्थान सशस्त्र आरक्षी के कमांडेंट (आर ए सी) के 12 कार्यालयों में से 4[2] तथा राजकीय रेलवे पुलिस (जी आर पी) के दो कार्यालयों के अभिलेखों की विस्तृत जांचः

- निर्दिष्ट नियमों और विधियों के अनुपालना की सीमा तथा उनके विचलन की स्थिति में राजस्व हानि एवं
- देयताओं की उपयुक्त वसूली के लिये आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के प्रभावी होने को दृष्टिगत रखते हुए की गई।

7.2.3 संगठनात्मक ढ़ाँचा

राजस्थान पुलिस के प्रमुख पुलिस महानिदेशक, राजस्थान हैं। मुख्यालय में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक (आई.जी.) एंव पुलिस उप महानिरीक्षक (डी.आई.जी.) द्वारा इनकी सहायता की जाती है। राज्य आठ रेंजों में विभाजित है। प्रत्येक रेंज का प्रमुख पुलिस उप महानिरीक्षक होता है तथा पुलिस अधीक्षक, जो कि जिले का प्रमुख होता है, द्वारा उनकी सहायता की जाती है। रेलवे में कानून और व्यवस्था की देखभाल के लिये दो पुलिस अधीक्षक रेलवे अजमेर व जोधपुर में हैं।

7.2.4 राजस्व की प्रवृत्ति

31 मार्च 2002 को समाप्त गत पांच वर्षों में वास्तविक पुलिस प्राप्तियां तथा बजट अनुमान निम्नानुसार थेः-

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमानों से कमी (-)/ वृद्धि (+)	विचलन का प्रतिशत
1.	1997-1998	21.60	18.99	(-) 2.61	(-) 12.08
2.	1998-1999	24.00	18.97	(-) 5.03	(-) 20.96
3.	1999-2000	35.06	46.38	(+) 11.32	(+) 32.29
4.	2000-2001	32.66	57.43	(+) 24.77	(+) 75.84
5.	2001-2002	57.00	48.91	(-) 8.09	(-) 14.19

इन सब वर्षों में बजट अनुमानों और वास्तविक प्राप्तियों में बहुत अन्तर था जो कि (-) 12.08 प्रतिशत से (+) 75.84 प्रतिशत के मध्य था। अंतर के कारण तथा बजट

[1] पुलिस अधीक्षकः अलवर, अजमेर, बूँदी, जयपुर (शहर), जयपुर (ग्रामीण), जैसलमेर, जोधपुर, कोटा (शहर), सवाईमाधोपुर, सीकर, श्रीगंगानगर, व उदयपुर।

[2] राजस्थान सशस्त्र आरक्षी कमान्डेन्टः द्वितीय बटालियन आर ए सी कोटा, चतुर्थ और पंचम बटालियन जयपुर एवं नवीं बटालियन टोंक।

अनुमानों के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में मार्च 2003 में पूछा गया था। पुलिस महानिदेशक ने मार्च 2003 में बताया कि उप शीर्ष "अन्य राज्यों को आपूर्त पुलिस " के अंतर्गत बजट अनुमान पुलिस मुख्यालय के 'पुनर्भरण सेल' द्वारा उपलब्ध कराये गए आंकड़ों पर आधारित थे। शेष उप शीर्षों के बजट अनुमान वित्तीय वर्ष के प्रथम चार महिनों के दौरान वास्तविक प्राप्तियों के आधार पर तैयार किये गये थे। विभाग ने यह भी बताया कि पुलिस विभाग की प्राप्तियाँ नियमित लक्षण नहीं थी, इस तरह सही/उचित बजट अनुमान तैयार करना संभव नहीं था।

7.2.5 राजस्व की बकाया

पुलिस महानिदेशक, जयपुर, 10 पुलिस अधीक्षकों[1] तथा 2 राजस्थान सशस्त्र आरक्षी कमांडेंटों[2] के कार्यालयों के अभिलखों की मापक जांच से पता चला कि 14.06 करोड़ रुपये वसूली के लिये लंबित थे। बकाया बैंकों, केन्द्र सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों और निजी व्यक्तियों के विरूद्ध लंबित थी। विवरण दर्शाता है कि बकाया मुख्यतः केन्द्र सरकार व एयरपोर्टों की तरफ थीं।

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	स्थापना का नाम	स्थापनों की संख्या	अन्तर्निहित अवधि	वसूलनीय पुलिस लागत
1.	केन्द्र सरकार	13	1997-98 से 2001-02	7.13
2.	केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम	16	1980-81 से 2001-02	5.50
3.	बैंक	44	1990-91 से 2001-02	0.69
4.	स्थानीय/स्वायत्तशासी निकाय	8	1982-83 से 2001-02	0.47
5.	अन्य राज्य सरकारें	3	1997-98 से 2001-02	0.26
6.	अन्य	5	1982-83 से 2001-02	0.01
	योग	**89**		**14.06**

पुलिस लागत की कम वसूली

7.2.6 गृह विभाग ने जुलाई 1996 में आरक्षी व मुख्य आरक्षी के अभिनियोजन के लिए दरें 1 जनवरी 1996 से प्रभावी करते हुए क्रमशः 175 रुपये व 200 रुपये प्रतिदिन संशोधित की। ये दरें 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से आगे भी बढ़ायी जानी थीं।

आठ पुलिस अधीक्षक कार्यालयों[3] की मापक जांच से पता चला कि विभाग द्वारा मार्च 1998 तक के लिए बढ़ी हुई दरों पर मांग कायम नहीं की गईं। इसके परिणामस्वरूप 1997-98 के दौरान विभिन्न संस्थानों से 8.28 लाख रुपये की पुलिस लागत की कम वसूली हुई।

7.2.7 गृह विभाग ने मई 1998 में अभिनियोजन की दरें संशोधित कीं। तद्नुसार आरक्षी के लिए 175 रुपये से 250 रुपये एवं मुख्य आरक्षी के लिए 200 रुपये से 300

[1] जयपुर (शहर), जयपुर (ग्रामीण), कोटा (ग्रामीण), कोटा (शहर), जैसलमेर, श्रीगंगानगर, अजमेर, जोधपुर (शहर), सी आई डी (वि.शा.), जयपुर और सी आई डी (वि.शा.) जोधपुर अचंल।

[2] II बटालियन कोटा तथा IX बटालियन टोंक।

[3] अजमेर, अलवर बूँदी, जयपुर (शहर), जयपुर (ग्रामीण), जोधपुर (शहर), सवाईमाधोपुर व सीकर।

रुपये प्रतिदिन की दरें संशोधित की गईं, जो कि 1 जनवरी 1998 से प्रभावी थीं। ये दरें 10 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से आगे भी बढ़ायी जानी थीं।

आठ पुलिस अधीक्षक कार्यालयों[1] की मापक जांच से पता चला कि जनवरी 1999 से 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि को जोड़े बिना ही बिल दिये जा रहे थे। बैंक, केन्द्र सरकार के विभाग तथा केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम इसमें अन्तर्निहित थीं। इसके परिणामस्वरूप जनवरी 1999 से मार्च 2002 को अवधि के दौरान 65.55 लाख रुपये की पुलिस लागत की कम वसूली हुई।

लेखापरीक्षा में ध्यान में लाये जाने पर सभी पुलिस अधीक्षकों ने अगस्त 2002 से मार्च 2003 के मध्य बताया कि संशोधित बिल दिये जा रहे थे।

7.2.8 मांग कायम न करना

गृह विभाग, भारत सरकार ने सितम्बर 1995 में अभिनियोजन की लागत की वसूली के संबंध में निर्देश जारी किये। तद्नुसार विभिन्न सरकारों से पुलिस बलों के अभिनियोजन की लागत अनन्तिम रूप से त्रैमासिक वसूली जानी चाहिये थी। अन्तिम समायोजन लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र के प्रस्तुत करने पर किया जाना था। आगे बैंको, स्वायत्तशासी निकायों इत्यादि से अभिनियोजन की लागत सरकार द्वारा समय-समय पर निश्चित की गई दरों से वसूल की जानी चाहिये थी।

पांच पुलिस अधीक्षकों[2] एवं 3 राजस्थान सशस्त्र आरक्षी कमांडेंटों[3] के कार्यालयों के अभिलेखों की मापक जांच में पता चला कि 1997-98 से 2001-02 के दौरान विभिन्न बैंकों/स्वायत्तशासी निकायों में पुलिस बलों को अभिनियोजित किया गया।

निम्न विवरणानुसार 76.49 लाख के दावों की विभाग द्वारा न तो मांग की गई न ही वसूली की गईः-

(लाख रुपयों मे)

क्र. सं.	स्थापना का नाम	स्थापनों की संख्या	अवधि	राशि
1.	बैंक (स्टेट बैंक आफ इंडिया)	1	1997-1998 से 2001-2002	26.51
2.	अन्य राज्य सरकारें (गुजरात-3 अवसर)	3	1997-1998 से 1998-1999	15.05
3.	राजकीय उपक्रम (राजस्थान लोक सेवा आयोग)	1	1997-1998 से 2001-2002	26.51
4.	अन्य (डाकघर, नुवाल ट्रेडर्स)	2	1997-1998 से 2001-2002	8.42
	योग	7		**76.49**

मामला सरकार/विभाग को मई 2003 में प्रतिवेदित किया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये (अगस्त 2003)।

[1] अजमेर, अलवर बूँदी, जयपुर (शहर), जयपुर (ग्रामीण), जोधपुर (शहर), सवाईमाधोपुर व सीकर।
[2] जयपुर (शहर), अलवर, सवाईमाधोपुर, बूँदी और अजमेर।
[3] IX बटालियन टोंक, IV बटालियन जयपुर तथा V बटालियन जयपुर।

7.2.9 पेंशन अंशदान की अवसूली

सामान्य वित्तीय एवं लेखे नियमों के अनुसार पेंशन अंशदान सरकारी कर्मचारी द्वारा धारित पद के वेतनमान का अधिकतम पर 12 प्रतिशत की दर से वसूल किया जाना चाहिये। ।

भारत सरकार ने जून 1993 में राजस्थान सरकार द्वारा दो भारत रिजर्व बटालियनों के गठन की स्वीकृति संप्रेषित की। स्वीकृति संप्रेषण में बताया गया कि राज्य से बाहर बटालियनों को अभिनियोजित किये जाने की स्थिति में पेंशन अंशदान को सम्मिलित करते हुए समस्त व्ययों का पुनर्भरण उधार लेने वाली सरकार राज्य सरकार को करेगी। बटालियनों के अनअभिनियोजित रहने या मुक्त श्रेणी के राज्यों में अभिनियोजित किये जाने की स्थिति में व्यय भार केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

- पांच राजस्थान सशस्त्र आरक्षी कमांडेंटों[1] एवं दो पुलिस अधीक्षक कार्यालयों[2] के अभिलेखों की मापक जांच में पाया कि भारत रिजर्व बटालियनों को उत्तरप्रदेश, गुजरात और केन्द्र सरकार के साथ अभिनियोजन 1993-94 से 2001-02 के वर्षों के दौरान किया गया था किन्तु पेंशन अंशदान की वसूली नहीं की गई थी। 1997-98 से 2001-02 की अवधि के दौरान पेंशन अंशदान की वसूल की जाने वाली राशि 9.82 करोड़ रुपये संगणित की गई।

- अपराध अन्वेषण विभाग (विशेष शाखा) जयपुर व जोधपुर के पुलिस अधीक्षक कार्यालयों के अभिलेखों की मापक जांच अक्टूबर-नवम्बर 2002 में की गई। जांच के दौरान पता चला कि राज्य में 1993-94 से 2001-02 की अवधि के दौरान पुलिस बलों को केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में अभिनियोजित किया गया। तथापि, पेंशन अंशदान वसूल नहीं किया गया। 1997-98 से 2001-02 की अवधि के लिए पेंशन अंशदान की राशि 38.00 लाख रुपये संगणित की गई।

लेखापरीक्षा में ध्यान दिलाने पर (अक्टूबर और नवम्बर 2002) दोनों पुलिस अधीक्षकों ने बताया कि दावों में पेंशन अंशदान को शामिल नहीं किया जा रहा था। जबकि अगस्त 2003 तक अन्य द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

रेलवे में अभिनियोजित राजकीय रेलवे पुलिस की लागत का कम पुनर्भरण

भारतीय रेलवे वित्त संहिता, खण्ड-I के प्रावधानों के अनुसार राजकीय रेलवे पुलिस की लागत राज्य सरकार व रेलवे के मध्य 50:50 के आधार पर विभाजित की जानी चाहिये थी। यह इस शर्त के अधीन था कि राजकीय रेलवे पुलिस की संख्या रेलवे के अनुमोदन पर निर्धारित की गई हो। राजकीय रेलवे पुलिस की लागत में कर्मचारियों के वेतन, भत्ते तथा पेंशन के प्रभार शामिल हैं।

---

[1] II बटालियन कोटा, VIII बटालियन नई दिल्ली, X बटालियन बीकानेर, XI व XII बटालियन नई दिल्ली।

[2] सी आई डी (वि.शा.) जयपुर और सी आई डी (वि.शा.) जोधपुर।

7.2.10 पुलिस बल के अधिक अभिनियोजन के प्रभारों का भुगतान न होना

मुख्य सुरक्षा आयुक्त, रेलवे पुलिस बल, पश्चिम रेलवे, मुम्बई ने 1982 में 959 पुलिस कार्मिकों के अभिनियोजन को अनुमोदित किया था।

यह पाया गया कि पुलिस अधीक्षक, राजकीय रेलवे पुलिस, अजमेर ने 1982 से 1998 के दौरान रेलवे के अनुमोदन के बिना 254 अतिरिक्त पुलिस कार्मिकों को अभिनियोजित किया। इस तरह, 1997-98 से 2001-02 की अवधि के दौरान अधिक अभिनियोजन के संबंध में 2.15 करोड़ रुपये की मांग रेलवे द्वारा नहीं मानी गई।

यह ध्यान में लाये जाने पर पुलिस अधीक्षक, रेलवे पुलिस, अजमेर ने सितम्बर 2002 में बताया कि अधिक अभिनियोजन के रेलवे से अनुमोदन के प्रयास किये जा रहे थे। अन्तिम उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2003)।

7.2.11 पेंशन अंशदान का कम पुनर्भरण

यह पाया गया कि पश्चिमी रेलवे, मुंबई द्वारा पेंशन अंशदान का पुनर्भरण 6 प्रतिशत की दर की अपेक्षा 4.75 प्रतिशत की दर पर किया जा रहा था। इसके परिणामस्वरूप 1997-98 से 2001-02 की अवधि के दौरान 52.12 लाख रुपये का कम पुनर्भरण हुआ।

7.2.12 दावों की अनियमित कटौती

पुलिस अधीक्षक, जी आर पी, जोधपुर के अभिलेखों की मापक जांच में पता चला कि मुख्य सुरक्षा आयुक्त, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली ने पुलिस अधीक्षक, राजकीय रेलवे पुलिस, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत दावों में से 1998-99 और 2000-01 की अवधि के दौरान समतल क्रासिंग के रखरखाव एवं रेलमार्ग की गश्त के 1.02 करोड़ रुपये की राशि की कटौती की। इन कटौतियाँ के समर्थन में रिकार्ड पर कोई विवरण प्राप्त नहीं हुआ।

लेखापरीक्षा में यह ध्यान में लाये जाने पर पुलिस अधीक्षक (जी आर पी) जोधपुर ने अक्टूबर 2002 में बताया कि प्रकरण मुख्य सुरक्षा आयुक्त, उत्तरी रेलवे नई दिल्ली के साथ उठाया गया है और उनका उत्तर प्रतीक्षित है (अगस्त 2003)।

पुलिस लागत का पुनर्भरण नहीं होना

राज्य पुलिस द्वारा भारत सरकार की ओर से आसूचना के कार्यों का निर्वहन किया जा रहा था। यद्यपि 64.12 लाख रुपये के व्यय के दावे प्रस्तुत किये गये जो कि 31 मार्च 2003 तक निम्न विवरणानुसार पुनर्भरण के लिये बकाया थेः-

7.2.13 सीमा आसूचना

- पुलिस महानिदेशक कार्यालय में संधारित पुनर्भरण पंजिका में 47.17 लाख रुपये की राशि 1997-98 से 1999-2000 की अवधि के लिये भारत सरकार के विरूद्ध बकाया दर्शायी गई थी। यद्यपि बकाया का विवरण तथा इन्हें प्राप्त करने के प्रयासों की जानकारी मांगी गई (नवम्बर 2002), परन्तु उपलब्ध नहीं कराई गई थी (अगस्त 2003)।

- सी आई डी (सीमा आसूचना), जैसलमेर द्वारा भारत सरकार की ओर से आसूचना कर्तव्यों को निर्वाहित किया जा रहा था। वर्ष 2001-02 के लिये जैसलमेर विमानपत्तन पर उक्त कार्य के लिये अभिनियोजित कार्मिकों पर 7.78 लाख रुपये का व्यय किया गया। यद्यपि दावा प्रस्तुत किया गया किन्तु धन की अनुपलब्धता के कारण भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा पुनर्भरण नहीं किया गया था। तथापि मामले में आगे अनुसरण नहीं किया गया।

7.2.14 विवासन

पुलिस महानिदेशक कार्यालय, जयपुर के अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि वर्ष 1997-98 और 1998-99 के लिये 9.17 लाख रुपये की राशि वसूली के लिये बकाया थी। सीमा क्षेत्र के नागरिकों के विवासन के कारण राशि भारत सरकार के विरूद्ध बकाया थी। वसूली की जानकारी व पत्राचार मांगे गये (नवम्बर 2002) थे, जो कि प्रतीक्षित थे (अगस्त 2003)।

7.2.15 खाली कारतूसों की पीतल का निस्तारण न होना

पुलिस मुख्यालय जयपुर के अभिलेखों की मापक जांच से पता चला कि खाली कारतूसों से 17426.625 किलोग्राम पीतल खाली कारतूसों को 2001-02 के दौरान पिघलाकर प्राप्त की गई थी परन्तु निस्तारित नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप 16.25 लाख रुपये (वर्ष 1999-2000 के भंडार के लिये जुलाई 2001 में नीलामी दर 93.25 रुपये प्रति किलोग्राम के आधार पर) का राजस्व अवरूद्ध रहा।

लेखापरीक्षा में ध्यान दिलाने पर पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय भंडार ने नवम्बर 2002 में बताया कि पीतल का निस्तारण शीघ्र ही कर दिया जायेगा। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2003)।

7.2.16 सिफारिशें

उक्त आक्षेपों के दृष्टिगत सरकार निम्न पर विचार कर सकती है:

- राजस्व की समय पर वसूली सुनिश्चत करने के लिये यह आवश्यक होगा कि मांगें बिना विलम्ब के कायम की जायें तथा वसूली के प्रयास गम्भीरता से किये जावें;
- विभिन्न संस्थानों को अभिनियोजित पुलिस बलों की लागत का शीघ्र पुनर्भरण सुनिश्चित करने के लिये संबंधित संस्थानों से उक्त अभिनियोजन के लिये पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिये।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2003) उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 2003)।

भू-राजस्व

7.3 समीक्षा: बकाया की भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूली

मुख्य मुख्य बिन्दु

भू-राजस्व विभाग

31 मार्च 2002 को वसूली हेतु 5,730 मामलों में अन्तर्निहित राशि 68.17 करोड़ रुपये बकाया थे। 31 मार्च 2002 को समाप्त होने वाले पांच वर्षों के दौरान बकाया की वार्षिक वसूली 5.51 एवं 12.09 प्रतिशत के मध्य रही, जबकि इसी अवधि में कलक्टरों द्वारा बिना वसूली के लौटाये गये मामलों में वसूली योग्य राशि का प्रतिशत 12.36 एवं 23.22 के मध्य रहा।

(अनुच्छेद 7.3.5)

सम्पत्ति की कुर्की के 61 मामलों में अन्तर्निहित राजस्व राशि 77.90 लाख रुपये पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। 23 अन्य मामलों में अन्तर्निहित राशि 28.38 लाख रुपये में कुर्क की गई सम्पत्तियों का 12 से 61 माह व्यतीत हो जाने पर भी निरस्तारण नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 7.3.9 एवं 7.3.10)

राज्य आबकारी विभाग

31 मार्च 2002 को 406 मामलों में अन्तर्निहित राशि 218.61 करोड़ रुपये की मांग बकाया थी। 1997-98 और 2001-02 के मध्य की अवधि के दौरान लम्बित बकायाओं में 481 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

(अनुच्छेद 7.3.13)

चूककर्ताओं की सम्पत्तियों के विवरण अथवा उनके पते की अनुपलब्धता के कारण 8 मामलों में 6.63 करोड़ रुपये की वसूली के लिये कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी।

(अनुच्छेद 7.3.16)

37 चूककर्त्ताओं की कुर्कशुदा सम्पत्तियां जिनमें 16.49 करोड़ रुपये की मांग अन्तर्निहित थी, न तो विभाग द्वारा संभाली गई न ही एक से पांच वर्ष की देरी के उपरान्त भी सार्वजनिक नीलामी द्वारा निरस्तारित की गई थी।

(अनुच्छेद 7.3.20)

दो मामलों में अन्तर्निहित 5.63 करोड़ रुपये की मांग-की वसूली के प्रमाणपत्र अन्य राज्यों के कलक्टरों को संबंधित कलक्टरों के माध्यम से अग्रेषित नहीं किये गये थे।

(अनुच्छेद 7.3.21)

जिला आबकारी अधिकारी द्वारा हैसियत प्रमाण पत्रों के सत्यापन नहीं करने के परिणामस्वरूप 4.08 करोड़ रुपये की हानि हुई।

(अनुच्छेद 7.3.24)

खान एवं भू-विज्ञान विभाग

चूककर्ताओं के पते अथवा उनकी सम्पत्तियों के विवरण की अनुपलब्धता के परिणामस्वरूप 3.11 करोड़ रुपये के राजस्व की अवसूली हुई।

(अनुच्छेद 7.3.29)

नीलामी के लिये अपर्याप्त प्रचार के कारण कुर्कशुदा सम्पत्तियों की नीलामी नहीं हुई जिसकी वजह से 3.53 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई।

(अनुच्छेद 7.3.30)

7.3.1 प्रस्तावना

सरकार के विभागों से संबंधित बकाया की वसूली के लिए प्राथमिक तौर पर वे ही उत्तरदायी है। यदि सरकार की बकाया विभागों द्वारा वसूल नहीं हो पाती है तो ऐसी बकाया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (भू-राजस्व अधिनियम) के अन्तर्गत बकाया भू-राजस्व के रूप में वसूल की जाती है। भू-राजस्व विभाग अपनी स्वयं की एवं अन्य विभागों जिनको ऐसी शक्तियां प्रदत्त नहीं की गई है की भू-राजस्व के रूप में बकाया मानी गई बकाया की वसूली के लिए उत्तरदायी है। यह शक्तियां राज्य उत्पाद एवं खान एवं भू-विज्ञान विभाग के संबंध में उनके अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत विभागीय प्राधिकारियों को प्रदत्त की गई हैं।

विभागीय (मांग अधिकारी) अधिकारी, से अपेक्षा की जाती है कि वसूली का प्रमाण-पत्र संबंधित कलक्टर (वसूली अधिकारी) को जारी करें, जहां चूककर्ता की सम्पत्ति हो।

राजस्व वसूली अधिनियम, 1890, (आर.आर.एक्ट) के अन्तर्गत जहां किसी चूककर्ता से बकाया राशि भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूली योग्य हो एवं उसकी सम्पत्ति बकाया उपार्जित होने वाले स्थान से अन्य जिले में अवस्थित हो वहां संबंधित कलक्टर उस जिले के कलक्टर को, जहां कि चूककर्ता की सम्पत्ति अवस्थित है को एक राजस्व वसूली प्रमाण-पत्र (आर.आर.सी.) राशि की वसूली यह मानते हुए करने के लिए भेज सकता है जैसे यह भू-राजस्व की बकाया उसके स्वयं के जिले में उपार्जित हुई हो।

7.3.2 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत बकाया की प्रभावी वसूली के लिए पद्धति की समग्र उपयुक्तता एवं कार्यकुशलता की सुनिश्चितता की दृष्टि से अवधि 1997-98 से 2001-02 तक भू-राजस्व, राज्य उत्पाद शुल्क, खान एवं भू-विज्ञान और मुद्रांक कर एवं पंजीयन विभाग के संबंधित अभिलेखों की मापक जांच दिसम्बर 2002 एवं मार्च 2003 के मध्य की गई।

7.3.3 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

भू-राजस्व विभाग में 32 कलक्ट्रेट में से 5 और 241 तहसीलों में से 24, राज्य उत्पाद शुल्क विभाग में 27 जिला आबकारी कार्यालयों में से 16 और खान एवं भू-विज्ञान विभाग में 38 खनिज कार्यालयों एवं निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान कार्यालयों में से 13 तथा 12 उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक) (डी आई जी) कार्यालयों में से 3 तथा 346 उप पंजीयक (एस.आर.) कार्यालयों में से 34 में अवधि 1997-98 से 2001-02 के मध्य अभिलेखों की मापक जांच की गई। मापक जाचं के मुख्य निष्कर्ष नीचे दिये गये हैः-

भू-राजस्व विभाग

7.3.4 संगठनात्मक ढांचा

राजस्व मण्डल (मण्डल) राज्य में प्रधान राजस्व प्राधिकारी है, जिसका प्रमुख अध्यक्ष होता है, जिसमें सामान्य पर्यवेक्षण और सभी राजस्व अधिकारी/न्यायालयों को नियंत्रण करने की शक्तियां निहित है। जिले में कलक्टर, भू-राजस्व एवं अन्य वसूली योग्य बकाया जैसे, भू-राजस्व के रूप में बकाया के संग्रहण के लिए उत्तरदायी है। वह जिला राजस्व अधिकारी के रूप में कार्य करता है, जिसकी जिला मुख्यालय पर पदस्थापित तहसीलदार (वसूली), संबंधित तहसील के तहसीलदार एवं अन्य क्षेत्रीय कर्मचारी सहायता करते हैं। प्रत्येक जिला कलक्टर भू-राजस्व के रूप में बकाया की वसूली योग्य मांग, संग्रहण एवं बकाया की स्थिति का त्रैमासिक विवरण मण्डल को प्रस्तुत करता है। मण्डल इस पर समेकित विवरण सरकार को प्रस्तुत करता है।

7.3.5 बकाया की स्थिति

मण्डल के पास उपलब्ध विवरण के अनुसार 31 मार्च 2002 को राज्य में 5,730 मामलों में अन्तर्निहित बकाया राशि 68.17 करोड़ रुपये भू-राजस्व के रूप में वसूली हेतु बकाया थे। वर्ष 2001-02 को समाप्त गत पांच वर्षों के दौरान वर्ष-वार वसूली योग्य मांग, बिना

वसूली के लौटाये गये मामले, वसूली एवं अवशेष की स्थिति निम्न प्रकार थीः-

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	परिवर्द्धन	कुल मांग	लौटाये गये मामले	लौटाये गये मामलों का प्रतिशत कालम 5 से 4	वसूली की गई	अवशेष	वसूली का प्रतिशत कालम 8 से 4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1997-1998	27.15 (6,290)	26.06 (1,995)	53.21 (8,285)	18.06 (1,924)	23.22	4.25 (1,393)	30.90 (4,968)	7.99
1998-1999	30.90 (4,968)	18.26 (2,614)	49.16 (7,582)	15.29 (937)	12.36	2.80 (894)	31.07 (5,751)	5.70
1999-2000	31.07 (5,751)	18.65 (1,656)	49.72 (7,407)	13.46 (1,170)	15.66	6.01 (934)	30.25 (5,303)	12.09
2000-2001	30.25 (5,303)	43.56 (2,968)	73.81 (8,271)	26.86 (1,714)	20.72	5.38 (1,107)	41.57 (5,450)	7.29
2001-2002	41.57 (5,450)	62.96 (2,959)	104.53 (8,409)	30.60 (1,586)	18.86	5.76 (1,093)	68.17 (5,730)	5.51

मामलों की संख्या कोष्ठक में दर्शाई गई है।

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि मांग वसूली का प्रतिशत बहुत कम रहा, गत पांच वर्षों में यह 5.51 एवं 12.09 के मध्य रहा। चूककर्ताओं के पूर्ण पते/अन्य विवरण के अभाव में बिना वसूली के कलक्टरों द्वारा मांग अधिकारी को लौटाये गये मामलों का प्रतिशत 12.36 एवं 23.22 के मध्य रहा। पूरे राज्य के संबंध में अवस्थावार बकाया की विचाराधीनता मण्डल के पास उपलब्ध नहीं थी।

7.3.6 कलक्टरों के पास मांग की बकाया लंबित

5 कलक्ट्रेट के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि केन्द्र/राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, श्रम न्यायालय एवं निगमों/मण्डलों इत्यादि से राशि 27.53 करोड़ रुपये के 2,609 मामले 31 मार्च 2002 को वसूली के लिए निम्न विवरणानुसार लंबित थेः-

(करोड़ रुपयों में)

जिले का नाम	प्रारम्भिक शेष	परिवर्द्धन	कुल मांग	निस्तारित मामले		अवशेष	वसूली का प्रतिशत कालम 5 से 4
				लौटाये गये	वसूली		
1.	2.	3.	4.	5.		6.	7.
भीलवाड़ा	7.61 (1,179)	18.35 (1,822)	25.96 (3,001)	16.77 (1,340)	0.56 (201)	8.63 (1,460)	2.16
बीकानेर	0.43 (115)	2.76 (276)	3.19 (391)	1.09 (147)	1.19 (140)	0.91 (104)	37.30
जयपुर	9.35 (1,051)	45.36 (1,169)	54.71 (2,220)	36.26 (1,080)	3.41 (618)	15.04 (522)	6.23
जोधपुर	1.04 (31)	5.47 (376)	6.51 (407)	4.08 (191)	0.96 (116)	1.47 (100)	14.75
टोंक	0.80 (582)	2.83 (324)	3.63 (906)	1.16 (206)	0.99 (277)	1.48 (423)	27.27
कुल	**19.23 (2,958)**	**74.77 (3,967)**	**94.00 (6,925)**	**59.36 (2,964)**	**7.11 (1,352)**	**27.53 (2,609)**	**7.56**

मामलों की संख्या कोष्ठक में दर्शाई गई है।

वसूली की प्रगति बहुत कम थी। 6,925 मामलों में कुल वसूली योग्य राशि 94.00 करोड़ रुपये (जिनमें वर्ष 1972-73 से 1996-97 तक के संबंधित मामले सम्मिलित) में से मार्च 2002 तक 1,352 मामलों में 7.11 करोड़ रुपये (8 प्रतिशत) वसूल किये गये थे।

जबकि वसूली की कुल प्रगति 7.56 प्रतिशत थी। भीलवाड़ा एवं जयपुर जिले का प्रतिशत क्रमशः मात्र 2.16 एवं 6.23 था।

7.3.7 क्षतिपूर्ती एवं शास्ती की अवसूली

भू-राजस्व अधिनियम की धारा 89(7) के प्रावधानों के अनुसार उल्लंघन करने पर क्षतिपूर्ती के अतिरिक्त खान या खदान से अनाधिकृत रूप से खनिज के निष्कर्षण या निष्कासन पर शास्ती भी देय होगी।

कलक्टर भीलवाड़ा के अभिलेखों की मापक जांच में पाया गया कि अनाधिकृत खनिज के निष्कर्षण या निष्कासन के कारण कलक्टर द्वारा आरोपित क्षतिपूर्ती और शास्ती के 1,460 मामलों में अन्तर्निहित राशि 8.63 करोड़ रुपये में से 1,337 मामलों में अन्तर्निहित राशि 6.08 करोड़ रुपये के बकाया थे। ऐसे मामलों में चूककर्ताओ का विवरण जैसे नाम और उनके पते कार्यालय में उपलब्ध न होने के कारण वसूली प्रभावी न हो सकी।

7.3.8 त्रैमासिक सूचना में आर आर सी का लेखा का न होना

जोधपुर कलक्ट्रेट में ध्यान में आया कि दिसम्बर 2001 एवं फरवरी 2002 के मध्य वाणिज्य कर विभाग एवं राजस्थान वित्त निगम से अन्य राज्यों में निवास कर रहे तीन राजस्व वसूली प्रमाण-पत्र (आर आर सी) कीमतन राशि 46.02 लाख रुपये चूककर्ताओ से वसूली के लिए प्राप्त हुए थे। यद्यपि राजस्व वसूली प्रमाण-पत्र अन्य राज्यों के संबंधित कलक्टरों को जनवरी एवं फरवरी 2002 में भेज दिये गये, किन्तु कलक्टर जोधपुर द्वारा मण्डल को भेजी गई त्रैमासिक सूचना में राशि को नहीं दर्शाया गया।

7.3.9 कुर्की की अपर्याप्त कार्यवाही के कारण वसूली लंबित

वसूली अधिकारी द्वारा उसके क्षेत्राधिकार में रह रहे चूककर्ता को उसके विरूद्ध बकाया राशि के भुगतान हेतु मांग पत्र जारी करना होता है। नोटिस में उल्लेखित निर्धारित अवधि में चूककर्ता बकाया राशि जमा करवाने में असफल रहता है, तो कलक्टर वारंट में उल्लेखित अवधि में पालना करने हेतु चूककर्ता को सम्पत्ति के लिए कुर्की वारंट जारी करेगा।

कलक्टर जोधपुर एवं 5 तहसीलदारों के अभिलेखों की मापक जांच मे पाया गया कि 61 मामलों में निहित राशि 77.90 लाख रुपये के मांग पत्र/कुर्की अधिपत्र फरवरी 1992 एवं मार्च 2002 के मध्य जारी किये। लेकिन कलक्टर/संबंधित तहसीलदारों द्वारा चूककर्ताओं की सम्पत्ति को कुर्क करने हेतु अग्रिम कदम नहीं उठाये गये।

7.3.10 कुर्क की गयी सम्पत्ति का निस्तारण नहीं किया जाना

भू-राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, कुर्क की गई सम्पत्ति को सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से विक्रय की उद्घोषणा में उल्लेखित समय/दिनांक के अनुसार विक्रय की कार्यवाही की जानी चाहिए। सार्वजनिक नीलामी हेतु संतोषजनक संख्याओं में बोलीदाताओं को आकर्षित करने के लिए व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए।

कलक्टर भीलवाड़ा एवं तीन तहसीलों[1] के अभिलेखों की मापक जांच में पाया गया कि बकाया राशि 28.38 लाख रुपये के भुगतान में असफल रहने पर 23 चूककर्ताओं की सम्पत्ति को फरवरी 1997 एवं मार्च 2002 के मध्य कुर्क किया गया। यह देखने में आया कि कुर्क की गई सम्पत्ति के 8 प्रकरणों में नीलामी की कार्यवाही नहीं की गई। शेष प्रकरणों में क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार नहीं किये जाने से सम्पत्ति की बोली के लिए बोलीदाता आगे नहीं आये। परिणामस्वरूप, 12 से 61 माह समाप्त होने के बाद भी राशि 28.38 लाख रुपये वसूली हेतु शेष रहे।

7.3.11 अन्य राज्यों को भेजे गये वसूली प्रमाण पत्रों की अनुवर्ती का अभाव

मण्डल के अभिलेखों के अनुसार राज्य के बाहर सम्पत्ति धारक चूककर्ताओं के विरूद्ध 436 मामलों में अन्तर्निहित राशि 61.50 करोड़ रुपये की वसूली 31 मार्च 2002 को बकाया थी। ऐसे मामलों में प्रभावी वसूली के लिए राजस्व वसूली प्रमाण पत्र संबंधित राज्यों के जिला कलक्टरों को भेजे जाते है जहां चूककर्ताओं की सम्पत्ति स्थित होती है।

5 कलक्ट्रेट[2] के अभिलेखों, की मापक जांच में पाया गया कि 103 मामलों में राशि 18.14 करोड़ रुपये के वसूली प्रमाण-पत्र (जिनमें 1974-75 से 1996-97 के संबंधित प्रकरण सम्मिलित थे) विभिन्न राज्यों को अवधि 1997-98 से 2001-02 के दौरान भेजे गये। इस दौरान 5 मामलों में राशि 1.14 करोड़ रुपये संबंधित राज्यों के कलक्टरों द्वारा वसूल किये गये एवं 27 मामलों में राशि 7.43 करोड़ रुपये के वसूली प्रमाण-पत्र सही पते/सम्पत्तियों के विवरण के अभाव में लौटाये गये। इस प्रकार 71 मामलों में वर्ष

---

[1] बिजौलिया-13 (1.60 लाख रुपये), [illegible]जपुर-2 (18.50 लाख रुपये) एवं जोधपुर-2 (0.27 लाख रुपये)।

[2] भीलवाड़ा 15 मामले 260.50 लाख रुपये, बीक[illegible]र 27 मामले 499.24 लाख रुपये, जयपुर 50 मामले 1[illegible]7.88 लाख रुपये, जोधपुर 2 मामले 27.64 लाख रुपये एवं टोंक 9 मामले 18.90 लाख रुपये।

1974-75 से 9.58 करोड़ रुपये के राजस्व वसूली प्रमाण-पत्र अन्य राज्यों में 31 मार्च 2002 को निम्न विवरणानुसार बकाया थेः-

(लाख रुपयो में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	परिवर्द्धन	योग	वर्ष के दौरान निस्तारण		कुल निस्तारण	अन्तिम शेष	कालम 7 से 4 का प्रतिशत
				बिना वसूली के लौटाये गये मामले	वसूली की गई			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
राशि/(मामले)								
1997-1998	634.39 (30)	2.00 (3)	636.39 (33)	0.20 (1)	-	0.20 (1)	636.19 (32)	0.03
1998-1999	636.19 (32)	82.72 (6)	718.91 (38)	25.86 (1)	-	25.86 (1)	693.05 (37)	3.60
1999-2000	693.05 (37)	402.13 (19)	1095.18 (56)	312.98 (6)	0.52 (1)	313.50 (7)	781.68 (49)	28.63
2000-2001	781.68 (49)	232.97 (14)	1014.65 (63)	163.02 (7)	-	163.02 (7)	851.63 (56)	16.06
2001-2002	851.63 (56)	459.95 (31)	1311.58 (87)	240.45 (12)	113.04 (4)	353.49 (16)	958.09 (71)	26.95
योग		**1,179.77 (73)**		**742.51 (27)**	**113.56 (5)**			

मामलों की संख्या कोष्ठकों में दर्शाई गई है।

इसके अतिरिक्त यह पाया गया कि 15 राज्यों[1] एवं संघ शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ में वसूली के लिए राशि लम्बित थी। यह राशि खान एवं भू-विज्ञान विभाग (4.27 लाख रुपये), वाणिज्यिक कर (6.76 करोड़ रुपये), राज्य उत्पाद शुल्क (64.67 लाख रुपये), राजकीय ऊन मील बीकानेर (1.60 करोड़ रुपये), राजस्थान वित्त निगम (39.10 लाख रुपये) एवं 13.76 लाख रुपये अन्य विभागों से संबंधित थी।

राज्य आबकारी विभाग

7.3.12 संगठनात्मक ढ़ांचा

आबकारी आयुक्त विभाग का प्रशासनिक प्रमुख होता है। दो अतिरिक्त आबकारी आयुक्त क्षेत्रीय मुख्यालयों (जयपुर एवं जोधपुर) पर एवं 27 जिला आबकारी अधिकारी 32 जिलों में उसकी सहायता करते हैं। आबकारी अधिकारी भू-राजस्व अधिनियम के तहत राशि वसूली करने के लिए सक्षम हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं जयपुर में वसूली के लम्बित मामलों में क्रमशः जिला आबकारी अधिकारी (अभियोजन) जोधपुर एवं उपायुक्त (अभियोजन) जयपुर वसूली की कार्यवाही करते हैं।

[1] आन्ध्र प्रदेश 67.64 लाख रुपये, बिहार 13.87 लाख रुपये, चण्डीगढ़ 90.74 लाख रुपये, दिल्ली 141.21 लाख रुपये, गुजरात 44.97 लाख रुपये, हरियाणा 28.74 लाख रुपये, हिमाचल प्रदेश 0.88 लाख रुपये, कर्नाटक 0.10 लाख रुपये, केरल 20.76 लाख रुपये, मध्य प्रदेश 49.65 लाख रुपये, महाराष्ट्र 68.24 लाख रुपये, उड़ीसा 3.18 लाख रुपये, पंजाब 216.32 लाख रुपये, तमिलनाडु 2.02 लाख रुपये, उत्तरप्रदेश 90.70 लाख रुपये एवं पश्चिम बंगाल 119.07 लाख रुपये।

7.3.13 बकायाओं की स्थिति

31 मार्च 2002 को गत पांच वर्षों में राज्य में वसूलियों में लंबित आबकारी राजस्व की बकायाओं की स्थिति निम्नानुसार थी:-

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	आरंभिक शेष राशि	जोड़ राशि	कुल योग	वसूली की गई	अंतिम शेष	वसूली का प्रतिशत (कालम 5 से 4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1997-1998	37.60 (535)	6.67 (4)	44.27 (539)	1.48 (69)	42.79 (470)	3.34
1998-1999	42.79 (470)	7.00 (21)	49.79 (491)	1.87 (49)	47.92 (442)	3.76
1999-2000	47.92 (442)	6.64 (6)	54.56 (448)	1.28 (32)	53.28 (416)	2.35
2000-2001	53.28 (416)	228.26 (81)	281.54 (497)	2.57 (52)	278.97 (445)	0.91
2001-2002	278.97 (445)	4.71 (7)	283.68 (452)	65.07 (46)	218.61 (406)	22.94

मामलों की संख्या कोष्ठकों में दर्शायी गयी है

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि 1997-98 और 2001-02 के मध्य की अवधि के दौरान लंबित बकायाओं के 37.60 करोड़ रुपये से 218.61 करोड़ रुपये होने के कारण 481 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1997-98 से 2000-01 के दौरान बकायाओं की वसूली 0.91 प्रतिशत से 3.76 प्रतिशत के मध्य रही।

7.3.14 बकायाओं का कम अंकन

जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा चूककर्ताओं के विरुद्ध कायम की गई मांगों को तुरन्त मांग व संग्रहण पंजिका में प्रविष्ट करना चाहिये तथा आबकारी आयुक्त को बकायाओं की तिमाही विवरणी में सूचित किया जाना चाहिये।

चार जिला आबकारी अधिकारियों के अभिलखों की मापक जांच में 54.37 लाख रुपये की बकायाओं का निम्नानुसार कम अंकन का पता चला:-

- जिला आबकारी अधिकारी अलवर, चित्तौडगढ़ एवं उदयपुर के कार्यालयों के तीन अनुज्ञाधारियों के विरूद्ध 51 लाख रुपये की मांगें राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में सुनवाई के लिये लंबित थीं किन्तु मांग व संग्रहण पंजिका में उक्त मांगों की प्रविष्टि नहीं पायी गई तथा आबकारी आयुक्त को भी सूचित नहीं की गई। इस तरह विभाग द्वारा दर्शायी गई बकायाओं की स्थिति सही नहीं थी।

लेखापरीक्षा में ध्यान दिलाने पर विभाग ने एक मामले में मांग को सम्मिलित कर लिया। विभाग ने अगस्त 2001 में आगे बताया कि एक मामले में अनुज्ञाधारी द्वारा सावधि जमा रसीद प्रस्तुत करने एवं दूसरे मामले के न्यायालय में लंबित होने के कारण राशि प्रविष्ट नहीं की गई थी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि मांग के वसूलनीय होते ही तुरन्त मांग-पंजिका में प्रविष्ट किया जाना आवश्यक था।

- जिला आबकारी कार्यालय, उदयपुर में चूककर्ता के विरूद्ध माह नवम्बर 1997 के लिये बकाया 3.37 लाख रुपये की मांग को मांग पंजिका में सम्मिलित नहीं किया गया। इस प्रकार, जिला आबकारी कार्यालय द्वारा आबकारी आयुक्त को सूचित की गई बकायाओं को इस सीमा तक निषेध किया गया था। लेखापरीक्षा में ध्यान दिलाने पर विभाग ने मांग को पंजिका में सम्मिलित कर लिया।

7.3.15 बकायाओं का अनियमित समायोजन

आबकारी आयुक्त के दिनांक 7 जुलाई 1995 के आदेश विहित करते हैं कि चूककर्ता से लंबित मांगों के संबंध में प्राप्त राशि को पहले जमा तिथि तक उपार्जित ब्याज के विरूद्ध समायोजित किया जायेगा एवं शेष राशि, यदि कोई हो, को मूल राशि में समायोजित की जावेगी।

जिला आबकारी कार्यालय, बांरा और उदयपुर में चूककर्ताओं द्वारा अप्रैल 1997 से फरवरी 1998 के मध्य उनके विरूद्ध बकाया 49.75 लाख रुपये में से 7.25 लाख रुपये जमा कराये गये। जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा यह राशि ब्याज के स्थान पर मांग के विरूद्ध अनियमित रूप से समायोजित कर दी गई। इसके परिणामस्वरूप 7.25 लाख रुपये की मांग का कम अंकन हुआ।

7.3.16 भू-राजस्व अधिनियम के तहत नोटिसों का देरी से/नहीं जारी करना

भू-राजस्व अधिनियम की धारा 229 के अंतर्गत चूककर्ता को एक नोटिस, ऐसे नोटिस के मिलने के 15 दिवसों के अन्दर राशि जमा कराने को, जारी किया जाना चाहिये। चूक के मामले में चूककर्ता की सम्पत्ति कुर्क की जानी चाहिये।

- 8 मामलों में जिनमें 6.63 करोड़ रुपये की वसूली सन्निहित थी, 12 चूककर्ताओं के विरूद्ध बकायाओं की वसूली की कोई कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकी क्योंकि चूककर्ता आवेदन पत्र में लिखे पते पर अथवा हैसियत प्रमाण पत्र में दर्शायी गयी सम्पत्तियों पर उपलब्ध नहीं थे।

- जिला आबकारी कार्यालय, चित्तौड़गढ़ के अभिलेखों की मापक जांच से प्रकट हुआ कि वर्ष 1993-95 के लिये 35.83 लाख रुपये वसूलनीय थे। जिला आबकारी अधिकारी द्वारा वसूलियों के लिए नोटिस जनवरी 1998 में अर्थात 52 महीनों के विलम्ब से जारी किये गये।

7.3.17 विभाग द्वारा बसूली पर स्थगन की अनुचित व्याख्या

नीचे दिए गए मामलों में जिनमें 1.09 करोड़ रुपये की मांग अन्तर्निहित थी, विभाग द्वारा न्यायालय के निर्देशों की अनुचित व्याख्या के कारण चूककर्ताओं के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही नीचे दर्शाये अनुसार रोक दी गईः-

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	राशि	आदेश की दिनांक	अनियमितता की प्रकृति
1.	जिला आबकारी अधिकारी, अलवर	2.27	10 मार्च 1995 सशर्त बढ़ाई गई 19 अप्रैल 1995	न्यायालय के अप्रैल 1995 में स्थगन आदेश के अनुसार चूककर्ता द्वारा एक माह के अन्दर 50 प्रतिशत राशि जमा कराया जाना आवश्यक था किन्तु चूककर्ता मात्र 0.74 लाख रुपये जमा करा सका। मई 1995 में एक माह व्यतीत होने के बाद स्थगन को अनियमित रूप से प्रभावी माना गया क्योंकि अनुज्ञाधारी वांछित राशि जमा कराने में विफल रहा।
2.	जिला आबकारी अधिकारी, अलवर	49.39	16 मार्च 1999	बकाया की वसूली के लिये कृषि भूमि (26 नवम्बर 1994 एवं 1 अगस्त 1995 को कुर्क) की नीलामी पर उच्च न्यायालय द्वारा अप्रैल 1999 तक रोक लगा दी गई। रोक की तिथि निकल जाने के बाद भी नीलामी के लिये कार्यवाही शुरू नहीं करने के कारण अभिलेखों में नहीं पाये गये।
3.	जिला आबकारी अधिकारी, कोटा	57.69	21 जनवरी 1999	जिला आबकारी अधिकारी द्वारा न्यायालय के आदेशों को स्थगनादेश समझने के कारण जमीन की नीलामी की व्यवस्था नहीं की गई जबकि उक्त आदेश वास्तव में स्थगनादेश नहीं थे।
	योग	109.35		

लेखापरीक्षा में इस ओर ध्यान दिलाये जाने पर विभाग ने दो मामलों में तथ्यों को स्वीकार किया तथा वसूली/नीलामी की कार्यवाही शुरू की। शेष मामले में उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2003)।

7.3.18 सम्पत्ति के अनाधिकृत स्थानान्तरण के कारण अवसूली

संविदा करार की शर्तों के अनुसार एक अनुज्ञाधारी को राजस्व प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक हैसियत प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। हैसियत प्रमाणपत्र में उसे वचन देना होगा कि समस्त बकाया का भुगतान होने तक इसमें सूचीबद्ध सम्पत्तियाँ स्थानान्तरित अथवा अन्यथा ऋणग्रस्त नहीं की जायेंगी। ठेकेदार के विरूद्ध बकायाओं के लंबित रहने के बावजूद सम्पत्तियों के हस्तान्तरण के मामले में दस्तावेज के पंजीकरण को निरस्त करने के लिये प्रयास किये जाने चाहिये।

छः जिला आबकारी कार्यालयों[1] के 7 मामलों में अवधि 1997-98 से 2001-02 के दौरान राशि 9.94 करोड़ रुपये की वसूली बकाया थी। इस अवधि के दौरान बकायाओं

[1] बाड़मेर, चुरू, जयपुर, जोधपुर, नागौर एवं सवाईमाधोपुर।

के बाकी रहने पर भी चूककर्ताओं द्वारा सम्पत्तियों को स्थानान्तरित/निस्तारित कर दिया गया था। आबकारी आयुक्त के आदेशों के अनुसरण में दस्तावेजों के पंजीकरण को निरस्त कराने के बाद भी विभाग द्वारा बकायाओं की वसूली के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाये गये।

7.3.19 चूककर्ताओं की सम्पत्तियों को देरी से/नहीं कुर्क करना

भू-राजस्व अधिनियम के तहत यदि चूककर्ता नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर यदि राशि जमा कराने में विफल रहता है तो जिला आबकारी अधिकारी द्वारा उसकी सम्पत्ति को कुर्क किया जा सकता है।

- चार जिला आबकारी कार्यालयों[1] में सम्पत्तियाँ जिनमें 1.50 करोड़ रुपये की बकाया अन्तर्निहित थी, कुर्क नहीं की गई हालांकि कुर्की के नोटिस दिसम्बर 1993 और अगस्त 2001 के मध्य जारी हो गये थे।

- पांच जिला आबकारी कार्यालयों[2] में 6 मामलों में जिनमें 7.19 करोड़ रुपये की मांग अन्तर्निहित थी, अगस्त 1992 से सितम्बर 2001 की अवधि के दौरान सम्पत्तियां कुर्क की जानी थीं किन्तु उक्त सम्पत्तियाँ 6 से 124 माह की देरी से दिसम्बर 1997 और फरवरी 2002 के मध्य कुर्क की गईं।

7.3.20 कुर्कशुदा सम्पत्तियों की नीलामी न किया जाना

सार्वजनिक नीलामी द्वारा कुर्कशुदा सम्पत्तियों के विक्रय की कार्यवाही 30 दिवस के अन्दर या विक्रय की उद्घोषणा में उल्लिखित अवधि के अन्दर की जानी चाहिये। सम्पत्ति की बिक्री के लिए बोलीदाताओं को आकर्षित करने हेतु व्यापक प्रचार किया जाना चाहिये।

आबकारी आयुक्त ने अक्टूबर 1988 में निर्देश जारी किये कि कुर्की के बाद सम्पत्ति को उसके मूल मालिक के कब्जे में नहीं रखा जाये। यदि सम्पत्ति से कोई आय हो रही है तो उसे शासकीय खाते में जमा कराया जाना चाहिये।

दस जिला आबकारी कार्यालयों[3] में 37 चूककर्ताओं की सम्पत्तियाँ जो कि 16.49 करोड़ रुपये की राजकीय बकाया चुकाने में विफल रहे, 1997 और 2002 के मध्य की अवधि के दौरान कुर्क की गई थीं। किन्तु एक से पांच वर्ष की देरी के उपरान्त भी सम्पत्तियों को सार्वजनिक नीलामी द्वारा निस्तारित नहीं किया गया। सम्पत्तियों की नीलामी के प्रयास में स्थानीय/राष्ट्रीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार का अभाव रहा जिसके परिणामस्वरूप नीलामी स्थान पर बोलीदाताओं की अनुपस्थिति रही। कुर्कशुदा सम्पत्तियाँ अभी तक भी चूककर्ताओं के कब्जे में थी जो कि सम्पत्तियों से लाभ उठा रहे थे। सरकार द्वारा सम्पत्तियों का नियंत्रण करने के लिये कोई कदम नहीं उठाये गये।

---

[1] अलवर, झुन्झुनू, सीकर एवं उदयपुर।

[2] अलवर, झालावाड़, नागौर, सवाईमाधोपुर एवं सीकर।

[3] अलवर, बाड़मेर, चुरू, जोधपुर, झालावाड़, कोटा, नागौर, सवाईमाधोपुर, सीकर एवं उदयपुर।

विभाग ने सितम्बर 2002 में बताया कि भू-राजस्व अधिनियम में प्रचार के लिए समाचार पत्रों में नीलामी सूचना के प्रकाशन और कृषि भूमि को ग्रहण करने का कोई प्रावधान नहीं था। भूमि का प्रबन्ध करना व आय अर्जित करना विभाग के लिये व्यवहार में संभव नहीं था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि बोलीदाताओं को आकर्षित करने हेतु समाचार पत्रों के माध्यम से ही व्यापक प्रचार किया जा सकता था और कुर्कशुदा सम्पत्तियों को विभाग के कब्जे में रखने के विभागीय निर्देशों का भी अनुसरण नहीं किया गया था।

7.3.21 अन्य राज्यों को राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जारी करने की सही क्रियाविधि के अनुसरण में विफल रहने के कारण वसूली का अवरुद्ध होना

राजस्व वसूली अधिनियम, 1890 के अन्तर्गत कोई भी राशि ऐसे चूककर्ता के संबंध में जो राज्य से बाहर निवास करता है अथवा सम्पत्ति रखता है, वसूली योग्य होगी। ऐसे मामले जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा उन जिला कलेक्टरों को जहाँ चूककर्ता का व्यवसाय चल रहा था, सूचित किये जाना चाहिये। उक्त की प्राप्ति पर कलेक्टर द्वारा वसूली प्रमाण पत्र दूसरे राज्य के कलेक्टर को जहां कि चूककर्ता की सम्पत्ति है या निवास कर रहा है भेजा जायेगा।

जिला आबकारी अधिकारी, बाड़मेर और नागौर ने 5.63 करोड़ रुपये की राजकीय बकायाओं के राजस्व वसूली प्रमाण पत्र जो कि अगस्त 1998 और अप्रैल 1999 की अवधि से संबंधित थे, अपने कलक्टरों के माध्यम से भेजने की अपेक्षा सीधे ही हरियाणा एवं मध्य प्रदेश के संबंधित कलक्टरों को प्रेषित कर दिये।

7.3.22 अन्य राज्यों में लंबित राजस्व वसूली प्रमाण पत्र प्रकरणों का अनुसरण न करना

चार जिला आबकारी कार्यालयों[1] ने 22 राजस्व वसूली प्रमाणपत्र जिनमें 14.07 करोड़ रुपये अन्तर्निहित थे, अवधि जून 1992 से अक्टूबर 2000 के दौरान कलेक्टरों के माध्यम से दूसरे राज्यों को भिजवाये। चूककर्ताओं के विरूद्ध राशि अभी तक बकाया थी क्योंकि वसूली की सूचना, यदि कोई थी, की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी। दूसरे राज्यों के कलेक्टरों के साथ मामले की प्रगति के लिये कोई प्रयास नहीं किये गये।

7.3.23 स्थगनादेशों का खंडित न होना

तीन जिला आबकारी कार्यालयों[2] में सितम्बर 1992 से नवम्बर 1998 की अवधि के दौरान न्यायालय द्वारा 2.66 करोड़ रुपये की वसूली पर स्थगन प्रदान किया गया। अभी तक भी स्थगनादेश को खंडित कराने के कोई भी प्रयास नहीं किये गये।

7.3.24 हैसियत प्रमाण पत्र की सम्पत्तियों का गलत सत्यापन

प्रत्येक अनुज्ञाधारी को राजस्व प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक हैसियत प्रमाण पत्र, जिसमें उसकी निजी सम्पत्तियों का मूल्य दर्शाया गया हो, जिला आबकारी अधिकारी को

[1] भरतपुर, चित्तौड़गढ़, झुन्झुनू एवं सीकर।

[2] अलवर, चुरू एवं सीकर।

प्रस्तुत करना होगा। आबकारी आयुक्त ने मई 1997 में निर्देश जारी किये कि राजस्व प्राधिकारी द्वारा हैसियत प्रमाण पत्र को संबंधित जिला आबकारी अधिकारी (जिसके क्षेत्राधिकार में अनुज्ञाधारी की सम्पत्ति स्थित है) द्वारा सम्पत्ति के मूल्य के सत्यापन के बाद ही स्वीकार किया जाना चाहिये। आबकारी आयुक्त ने हैसियत प्रमाण पत्र की सम्पत्तियों के मूल्य का गलत सत्यापन करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश जुलाई 1998 एवं नवम्बर 2000 में जारी किये और अनुशासनात्मक कार्यवाही उन मामलों में शुरू होनी थी जहाँ नीलामी में प्राप्त विक्रय राशि हैसियत प्रमाण पत्र में घोषित सम्पत्ति के मूल्य से बहुत कम थी।

- बाड़मेर में एक अनुज्ञाधारी के विरूद्ध अनुज्ञा वर्ष 1997-99 के लिए 89.15 लाख रुपये बकाया थे। अनुज्ञाधारी द्वारा अनुज्ञप्ति आवंटन के साथ 15 लाख रुपये का हैसियत प्रमाण पत्र जो कि राजस्व प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित था प्रस्तुत किया गया। जिला आबकारी अधिकारी द्वारा हैसियत प्रमाण पत्र को, जैसाकि आवश्यक था, सत्यापित नहीं किया गया। तथापि, यह जानकारी में आया कि चूककर्ता द्वारा उक्त सम्पत्ति जनवरी 1996 में अर्थात हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से काफी पहले ही बेची जा चुकी थी। राजस्व प्राधिकारी द्वारा अनियमित हैसियत प्रमाण पत्र जारी करने तथा जिला आबकारी अधिकारी द्वारा इसके असत्यापन के परिणामस्वरूप बकायाओं की अवसूली रही। सम्पत्ति के गलत मूल्यांकन/असत्यापन के लिए अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई जिसके कारण राजस्व की हानि हुई।

- जालौर और सीकर में चूककर्ताओं की सम्पत्तियां जिनमें 2.40 करोड़ रुपये की वसूली अन्तर्निहित थी जुलाई 1999 और अक्टूबर 2002 के मध्य नीलाम की गईं थीं। नीलामी में प्राप्त 9.48 लाख रुपये का विक्रय प्रतिफल, हैसियत प्रमाण पत्र में दर्शाये गये मूल्य 28 लाख रुपये से बहुत कम था जो कि 1997-99 और 1999-2001 के दौरान अनुज्ञप्तियां प्रदान करते समय प्रस्तुत किये गये थे। जिसके परिणामस्वरूप 18.52 लाख रुपये की हानि हुई।

- जालौर में अप्रैल 2000 में अनुज्ञप्ति निरस्त होने के बाद अनुज्ञाधारी के विरूद्ध 18.15 करोड़ रुपये की मांग कायम की गई थी। यद्यपि अनुज्ञाधारी ने संबंधित तहसीलदार से हस्ताक्षरित 4.35 करोड़ रुपये का हैसियत प्रमाण पत्र 25 फरवरी 1999 को प्रस्तुत किया। जिला आबकारी अधिकारी द्वारा हैसियत प्रमाण पत्र में दर्शायी सम्पत्ति के मूल्य का सत्यापन निर्देशों के अनुसरण में नहीं किया गया। तथापि, अधिशाषी अभियंता, पी.डब्ल्यु.डी. (बी एण्ड आर), जालौर द्वारा उक्त सम्पत्ति का मूल्यांकन मात्र 60.81 लाख रुपये का किया गया। हैसियत प्रमाणपत्र में दर्शायी गई सम्पत्ति के मूल्य के सत्यापन नहीं करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। जिसके परिणामस्वरूप 3.74 करोड़ रुपये की हानि हुई।

7.3.25 नीलामी में बेची गई सम्पत्ति की पूर्ण राशि की अवसूली

आबकारी आयुक्त ने 4 सितम्बर 1975 को निर्देश जारी किये कि सम्पत्ति की नीलामी में स्वीकृत बोली की 25 प्रतिशत राशि बोलीदाता द्वारा नीलामी के दिन तुरन्त जमा करायी जायेगी। शेष राशि नीलामी के 15 दिवस के अन्दर जमा करायी जानी थी। इसमें

असफल होने पर जमा करायी गई राशि जब्त की जानी थी तथा पुनः नीलामी में यदि कोई राजस्व हानि होती है तो मूल बोलीदाता से उसकी वसूली की जानी थी।

जिला आबकारी अधिकारी, भरतपुर, नागौर और सीकर के अभिलेखों की मापक जांच से प्रकट हुआ कि सितम्बर 2001 और दिसम्बर 2002 के मध्य 39.60 लाख रुपये में कृषि भूमि की नीलामी की गई। सफल बोलीदाताओं द्वारा इसमें से 15.12 लाख रुपये जमा करा दिये गये थे। बकाया रहे 24.48 लाख रुपये एक से 16 माह के विलम्ब के उपरान्त भी वसूल नहीं किये गये थे (जनवरी 2003)। विभाग द्वारा बोलीदाताओं द्वारा शुरू में जमा कराये गये 15.12 लाख रुपये जब्त नहीं किये गये तथा सम्पत्तियों की पुनः नीलामी नहीं की गई।

7.3.26 वांछित राशि के भुगतान के बिना अपील स्वीकार करना

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के अन्तर्गत संभागीय आयुक्त आबकारी आयुक्त द्वारा पारित किसी भी आदेश को अपील में संशोधित कर सकते हैं। कोई भी अपील तब तक स्वीकार नहीं की जायेगी जब तक कि आदेश जिसके विरूद्ध अपील की जा रही है में मांग की गई राशि के 75 प्रतिशत के भुगतान का संतोषजनक साक्ष्य साथ में न लगायें।

भरतपुर में संभागीय आयुक्त ने 1992 में 3.38 करोड़ रुपये की वसूली पर, चूककर्ता द्वारा दायर एक अपील पर बिना 2.54 करोड़ (अपील की राशि का 75 प्रतिशत) जमा कराये, स्थगन स्वीकृत किया। संभागीय आयुक्त ने हालांकि, 1994 में अपील खारिज कर दी। यदि अधिनियम के प्रावधानों को सख्ती से लागू किया जाता तो 3.38 करोड़ रुपये की कुल राशि में से सरकार 2.54 करोड़ रुपये वसूली कर सकती थी। यद्यपि मांग अभी तक बकाया थी।

मामला सरकार को मई 2003 में प्रतिवेदित किया; जिसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 2003)।

खान एवं भू-विज्ञान विभाग

7.3.27 संगठनात्मक ढाँचा

निदेशक, खान व भू-विज्ञान विभाग, विभागीय प्रमुख हैं तथा इन्हें मुख्यालय उदयपुर पर दो अतिरिक्त निदेशकों द्वारा सहायता दी जाती है। राज्य को तीन अंचलों (जयपुर, जोधपुर और उदयपुर) में विभाजित किया गया है जिनमें से प्रत्येक का प्रमुख अतिरिक्त निदेशक, खान होता है। ये सात अधीक्षण खनि अभियंताओं, 38 खनि अभियंताओं/ सहायक खनि अभियंताओं के द्वारा नियंत्रण करते हैं।

7.3.28 बकायाओं की स्थिति

लंबित बकायाओं की वर्षवार स्थिति एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अंतर्गत 1997-98 से 2001-02 की अवधि में खान एवं भू-विज्ञान विभाग की वसूलनीय बकायाऐं निम्नानुसार थीः-

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष के अन्त में	कुल बकाया	भू-राजस्व अधिनियम के तहत बकाया	गत वर्ष की तुलना में वृद्धि	गत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
1.	2.	3.	4.	5.
1997-98	28.23	10.70	-	-
1998-99	35.50	11.89	1.19	11.09
1999-00	37.70	12.96	1.08	9.02
2000-01	41.78	16.98	4.02	31.02
2001-02	40.76	18.72	1.75	10.29

वर्ष 2001-02 में लंबित बकायाओं में वर्ष 1997-98 से 75 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 2000-01 के दौरान बकायाओं में महत्वपूर्ण वृद्धि एक मामले में बकायाओं के भुगतान नहीं होने पर ब्याज तथा अन्य मामले में नये संयंत्र की स्थापना नहीं किये जाने के कारण शास्ति लगाये जाने के कारण थी।

अभिलेखों की समीक्षा के दौरान पायी गई महत्वपूर्ण कमियाँ/अनियमिततायें अनुवर्ती अनुच्छेदों में सम्मिलित की गई हैं।

7.3.29 चूककर्ताओं के पते अथवा उनकी सम्पत्तियों के विवरण की अनुपलब्धता के कारण बकायाओं का लम्बित रहना

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986, के अन्तर्गत खनन पट्टे/खदान अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र उस सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंता को प्रस्तुत किया जाना चाहिये जहाँ कि प्रार्थी द्वारा अपने स्थायी पते का उल्लेख किया है।

- 7 खनि कार्यालयों[1] के 106 मामलों मे जिनमें 1.48 करोड़ रुपये की राशि अन्तर्निहित थी, के 1997-98 और 2001-02 मध्य वसूली प्रमाण पत्र जारी किये गये थे। तथापि, संबंधित चूककर्ताओं के विरूद्ध आगे की कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकी क्योंकि या तो विभाग द्वारा दिये गये पते अपूर्ण/गलत थे अथवा दिये गए पतों पर चूककर्ता उपलब्ध नहीं थे। विभागीय अधिकारी अनुज्ञप्ति/पट्टे को प्रदान करने से पूर्व अनुज्ञाधारियों द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये पते के पूर्ण विवरण की सत्यता सुनिश्चित करने में भी विफल रहे।

[1] अजमेर (8), बीकानेर (3), बून्दी-I (1), जयपुर (88), राजसमन्द-II (2), सीकर (1) एवं उदयपुर (3)।

- 13 खनि कार्यालयों[1] के 128 मामलों में जिनमें 1.63 करोड़ रुपये की वसूली अन्तर्निहित थी, प्रभावी वसूली के लिए वसूली प्रमाण पत्र, खनन पट्टे/संविदा के खंडित करने पर, संबंधित सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंता द्वारा जारी किये गये थे। तथापि, चूककर्ताओं/जमानतियों के विरूद्ध उनकी सम्पत्तियों के विवरण के अभाव में कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकी। विभाग, नियमों में ऐसा विवरण प्राप्त करने के प्रावधान नहीं होने के तर्क पर, अनुज्ञप्ति/संविदा देने से पूर्व सम्पत्तियों का विवरण प्राप्त करने में विफल रहा।

7.3.30 कुर्कशुदा सम्पत्तियों की नीलामी की अपर्याप्त कार्यवाही

खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत चूककर्ता से वसूल की जाने वाली कोई भी राजकीय बकाया भू राजस्व की बकाया में उसकी सम्पत्तियों पर प्रथम प्रभार होगी। चूक के मामले में उनकी सम्पत्तियां कुर्क की जावे तथा अविलम्ब नीलामी की जानी चाहिये। भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अंतर्गत सार्वजनिक नीलामी द्वारा कुर्क की गई सम्पत्ति के विक्रय की कार्यवाही 30 दिवस के अन्दर अथवा विक्रय उद्घोषणा में उल्लिखित समय/तिथि को की जानी चाहिये जिसके लिये बोलीदाताओं को आकर्षित करने हेतु व्यापक प्रचार किया जाना चाहिये।

12 खनि कार्यालयों[2] के 297 मामलों में जिनमें 3.53 करोड़ रुपये की वसूली अन्तर्निहित थी, विभाग द्वारा अवधि 1997-98 से 2001-02 के दौरान चूककर्ताओं, जो कि बकाया चुकाने में असमर्थ रहे, की सम्पत्तियां कुर्क की गई। तथापि, नीलामी के लिये अपर्याप्त प्रचार के कारण इन्हें नीलाम नहीं किया जा सका। इसके परिणामस्वरूप कोई भी बोलीदाता नीलामी में हिस्सा नहीं ले सका।

7.3.31 जब्त की गई प्रतिभूतियों का नकदीकरण न होना (राट्रीय बचत प्रमाण पत्र)

खनिज रियायत नियम, 1960 और राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के अंतर्गत खान विभाग अनुज्ञाधारी से खनन पट्टे के संबंध में बकायाओं की वसूली को सुरक्षित करने हेतु राट्रीय बचत प्रमाण पत्रों के रूप में प्रतिभूति प्राप्त करेगा। भुगतान में चूक अथवा शर्तों के उल्लंघन/अन्य अनियमितताओं के होने पर प्रतिभूतियां को जब्त करते हुए खनन पट्टे को खंडित कर दिया जाना चाहिये।

6 खनि कार्यालयों[3] से संबंधित 67 मामलों में चूककर्ताओं से प्राप्त 2.07 लाख रुपये की प्रतिभूतियां 1997 से 2001 के दौरान समय समय पर खनन पट्टे खंडित होने पर जब्त की गई थीं। तथापि, इन प्रतिभूतियों का नकदीकरण नहीं हुआ था। प्रतिभूतियों का नकदीकरण न होने के परिणामस्वरूप 2.07 लाख रुपये की अवसूली रही।

---

[1] अजमेर (16), अलवर (13), बीकानेर (6), बून्दी-I (7), बून्दी-II (1), जयपुर (33), जोधपुर (1), करौली (2), राजसमन्द-I (1), राजसमन्द-II (12), सीकर (13), टोंक (5) एवं उदयपुर (18)।

[2] अजमेर (9), अलवर (12), बीकानेर (46), बून्दी-I (12), बून्दी-II (24), जयपुर (47), जोधपुर (24), करौली (45), राजसमन्द-II (24), सीकर (17), टोंक (10) एवं उदयपुर (15)।

[3] बीकानेर (4), राजसमन्द-II (7), उदयपुर (42), बून्दी-II (8), जयपुर (1) एवं टोंक (5)।

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग

7.3.32 संगठनात्मक ढांचा

वित्त विभाग के समग्र प्रशासनिक नियंत्रण में विभाग कार्य सम्पादन करता है। महानिरीक्षक (आई जी) प्रशासनिक मुखिया है। अतिरिक्त महानिरीक्षक (ए आई जी) मुख्यालय पर पदेन मुद्रांक अधीक्षक है और प्रशासनिक और वित्तीय संबंधी दोनो मामलों में सहायता करता है। पूरा राज्य 12 वृत्तों में विभक्त है। इन वृत्तों में 11 उप महानिरीक्षक (डी आई जी) एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक) और एक अतिरिक्त कलक्टर (ए सी) (मुद्रांक) जो 67 उप पंजीयकों (एस आर) और 279 पदेन एस आर को नियंत्रित करते है।

7.3.33 राजस्व की बकाया

31 मार्च 2002 के अन्त तक के विगत 5 वर्षों में वर्ष वार बकाया की स्थिति, वसूली एवं बकाया स्थिति नीचे दी गई:-

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	परिवर्द्धन	योग	वसूल राशि	अवशेष	वसूली का प्रतिशत
1997-1998	15.39	14.17	29.56	11.08	18.48	37
1998-1999	18.48	10.00	28.48	15.83	12.65	56
1999-2000	12.65	12.27	24.92	9.04	15.88	36
2000-2001	15.88	14.64	30.52	9.30	21.22	30
2001-2002	21.22	16.77	37.99	8.17	29.80	22

तालिका के विवरण की विवेचना में पाया गया कि मार्च 2002 के अन्त तक विगत पांच वर्षों में वसूली का प्रतिशत 22 से 56 के मध्य रहा। वर्ष 1997-98 के प्रारंभिक शेष की तुलना मे वर्ष 2001-02 में बकाया की राशि 94 प्रतिशत अधिक विशाल बढ़ोतरी के साथ 29.80 करोड़ रुपये वसूली के लिए बकाया थे। विभाग द्वारा बकाया के अभिलेखों का अवस्थावार संधारण नहीं किया गया।

31 मार्च 2002 को बकाया 29.80 करोड़ रुपये, जिनमें से 4.75 करोड़ रुपये पर विभिन्न न्यायालयों द्वारा स्थगन दिया गया एवं 25.06 करोड़ रुपये डी.आई.जी. एवं एस.आर. के यहाँ विभिन्न स्तर पर वसूली के लिए शेष थे।

7.3.34 कुर्की आदेशों का निष्पादन नहीं किया जाना

भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (भू-राजस्व अधिनियम) में प्रावधान है कि मांग के अनुसार जब चूककर्ता बकाया को जमा नहीं कराता है तो उल्लेखित अवधि में डी.आई.जी. चूककर्ताओं की सम्पत्ति पर निष्पादन हेतु कुर्की आदेश जारी करेगा।

डी.आई.जी. जोधपुर एवं 4 एस.आर.[1] के अभिलेखों की मापक जांच में पाया गया कि 100 मामलों में अन्तर्निहित 27.89 लाख रुपये 31 मार्च 2002 को वसूली के लिए

[1] बस्सी-25 (5.69 लाख रुपये), दूदू-40 (3.34 लाख रुपये), किशनगढ़-रेनवाल-3 (0.24 लाख रुपये), एवं जमवा-रामगढ़-9 (0.58 लाख रुपये)।

लम्बित थे। इनमें से 90 मामलों में अन्तर्निहित 24.21 लाख रुपये चूककर्ताओं पर निष्पादन हेतु अवधि 1997-98 और 2001-02 के मध्य सम्पत्ति को कुर्क करने के लिए आदेश जारी किये गये। लेकिन विभाग द्वारा चूककर्ताओं पर कुर्की आदेशों के निष्पादन की कार्यवाही नहीं की गई। शेष 10 मामलों में डी.आई.जी. कार्यालय में लम्बित के कारण दर्ज नहीं किये गये।

संबंधित एस.आर. द्वारा जनवरी 2003 में सूचित किया कि इन मामलों में समय-समय पर संबंधित भू-राजस्व निरीक्षकों/पटवारियों को कुर्की आदेश चूककर्ताओं को जारी किये जाने के लिए सुपुर्द किये गये, जो जारी/निष्पादन हेतु लम्बित थे। विलम्ब के लिए उत्तरदायी कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की गई।

7.3.35 कुर्क की गई सम्पत्तियों का निस्तारण नहीं किया जाना

भू-राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, विक्रय की उद्घोषणा में उल्लेखित समय/तिथि को या 30 दिवस में कुर्क की गई सम्पत्ति को सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से विक्रय की कार्यवाही की जानी चाहिए।

8 एस.आर. कार्यालयों[1] के अभिलेखों को मापक जांच में पाया गया कि 87 चूककर्ताओं की सम्पत्तियों को जिनमें 19.19 लाख रुपये वसूली योग्य थे, जुलाई 1998 एवं मार्च 2001 के मध्य कुर्क किया गया। 24 से 56 माह व्यतीत होने के पश्चात भी कुर्क की गई सम्पत्ति के निस्तारण के लिए विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। परिणामस्वरूप 19.19 लाख रुपये वसूली न होने से शेष रहे।

7.3.36 सिफारिशें

उपरोक्त टिप्पणियों के आधार पर सरकार को विचार करना चाहिए कि:

- वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने के दृष्टिकोण से प्रभावी नियंत्रण प्रणाली हो एवं लंबित बकाया की स्थिति बनाकर उसकी शीघ्र वसूली होनी चाहिए;
- कुर्क सम्पत्ति को निर्धारित समय में बिक्री करने हेतु पर्याप्त प्रचार द्वारा पर्याप्त कदम उठाने चाहिए।

त्रुटि विभाग के ध्यान में लाई गई एवं सरकार को सूचित किया गया (मई 2003); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए (अगस्त 2003)।

मामला सरकार को सूचित किया गया (मई 2003); उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 2003)।

[1] आमेर-13 (1.74 लाख रुपये), भीलवाड़ा-3 (1.13 लाख रुपये), बिलाड़ा-5 (0.53 लाख रुपये), चौमू-57 (5.39 लाख रुपये), जोधपुर-I-1 (5.03 लाख रुपये), किशनगढ़-रेनवाल-1 (0.13 लाख रुपये), लूणी-6 (3.87 लाख रुपये) एवं टोंक-1 (1.37 लाख रुपये)।

सामान्य प्रशासन विभाग

7.4 सरकारी सम्पत्तियों में काबिज वाणिज्यिक उपक्रमों से किराये की अवसूली

सार्वजनिक निर्माण वित्तीय और लेखे नियमों में विहित है कि जब कोई सरकारी सम्पत्ति किसी व्यक्ति को आवासीय अथवा गैर आवासीय उद्देश्य के लिये दी जाये तो मासिक किराये की वसूली अग्रिम में बाजार दर पर की जाये। यदि पट्टा नियमित रूप से किया जाये तो विभाग प्रमुख द्वारा किराया प्रचलित बाजार दरों पर स्वीकृत किया जाना चाहिये।

सम्पदा निदेशक, राजस्थान, जयपुर किराये के उद्ग्रहण के लिए उत्तरदायी है। अपेक्स समिति की 27 वीं बैठक जो कि दिनांक 22 अक्टूबर 1994 को हुई थी, में लिये गये निर्णयानुसार अर्द्धसरकारी/स्वायत्तशासी निकायों के कब्जे वाले भवनों का किराया उनके कब्जे की दिनांक से लिया जाना चाहिये।

आवासीय आयुक्त, बीकानेर हाऊस, नई दिल्ली के अभिलेखों के अनुसार चार अर्द्धसरकारी/स्वायत्त वाणिज्यिक उपक्रम बीकानेर हाऊस, नई दिल्ली जो कि राजस्थान सरकार की सम्पदा है, में काबिज थे। इसके अलावा यह भी ज्ञात हुआ कि राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड ने भी नई दिल्ली में एक अन्य सरकारी सम्पत्ति को एक एम्पोरियम के लिये कब्जे में किया हुआ था।

आवासीय आयुक्त, नई दिल्ली के अभिलेखों की मापक जांच से पता चला कि वाणिज्यिक निकायों के संबंध में सार्वजनिक निर्माण विभाग (सा.नि.वि.) द्वारा अक्टूबर 1994 में निर्धारित की गई प्रभार्य किराये की दरें उनके द्वारा नियमित रूप से कब्जे की तिथि से नहीं चुकायी जा रही थी। सरकार द्वारा 1997-98 से 2002-03 की अवधि से संबंधित 10.55 करोड़ रुपये जैसा कि नीचे विवरण दिया है, की वसूली के लिये कोई कदम नहीं उठाये गये। इसके अलावा अप्रैल 1964 से मार्च 1997 की अवधि के लिये किराये के 19.88 करोड़ रुपये भी वसूले जाने थे।

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	निगम का नाम	सा.नि.वि. द्वारा निर्धारित किराया (रुपये प्रति माह)	वसूलनीय कुल किराया	चुकाया गया किराया	बकाया किराया
1.	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (रा.रा.प.प.नि.)	6,57,000	4.73	-	4.73
2.	राजस्थान पर्यटन विकास निगम (रा.प.वि.नि.)	7,10,000	5.11	-	5.11
3.	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड (राजसीको)	60,000	0.43	-	0.43
4.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर (बैंक)	15,419	0.11	-	0.11
5.	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और विनियोजन निगम लिमिटेड (रीको)	54,195	0.39	0.22	0.17
	योग				10.55

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि रा.रा.प.प.नि., रा.प.वि.नि., एस.बी.बी.जे. व राजसीको अपने कब्जे की जगह का कोई किराया नहीं चुका रहे थे और राज्य सरकार द्वारा किराया की वसूली के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। यह भी देखा गया कि

सरकार ने किसी भी निगम/निकाय के साथ कोई पट्टा करार निष्पादित नहीं किया था। इस तरह, विभाग के इन निकायों से किराये की वसूली में विफल रहने के परिणामस्वरूप 30.43 करोड़ रुपये के किराये की अवसूली रही।

लेखापरीक्षा में ध्यान दिलाने पर सरकार ने बताया (सितम्बर 2002) कि 5 सितम्बर 2002 को हुई बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुसरण में किराया वसूल करने की कार्यवाही की जायेगी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि किराया सा नि वि के द्वारा निर्धारित दरों पर वसूल किया जाना था।

मामला अप्रैल 2003 में विभाग एवं सरकार के ध्यान में लाया गया, उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुये थे (अगस्त 2003)।

खान एवं पैट्रोलियम विभाग

7.5 पैट्रोलियम अन्वेषण अनुज्ञाशुल्क व बढ़ी हुई राशि की मांग कायम न करना

7.5.1 पैट्रोलियम व प्राकृतिक गैस नियम (पी एन जी नियम), 1959 में प्रावधान है कि अनुज्ञाशुल्क, पट्टा शुल्क, अधिशुल्क, इत्यादि का भुगतान निर्दिष्ट समय के अन्दर किया जाना चाहिये। यदि भुगतान समय के अन्दर नहीं चुकाया गया तो प्रत्येक महीने या महीने के हिस्से के लिए जिसके दौरान भुगतान नहीं चुकाये गए, इन्हें दस प्रतिशत से बढ़ा दिया जाना चाहिये।

जयपुर में यह देखा गया कि एक निगम के पक्ष में खनिज पैट्रोलियम के अन्वेषण और उत्खनन के लिए एक खनन पट्टा अक्टूबर 1997 में जैसलमेर जिले में 24 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 1 मई 1994 से 20 वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत किया गया था। निगम ने अप्रैल 1998 से अक्टूबर 2001 की अवधि के दौरान अधिशुल्क का भुगतान समय पर नहीं किया। विलम्ब की वजह से बकायाओं को दस प्रतिशत से बढ़ाते हुए वसूल करना था जो कि 5.30 लाख रुपये पर संगणित हुए किन्तु वसूल नहीं किये गये।

लेखापरीक्षा में ध्यान दिलाने पर विभाग ने सितम्बर 2002 में निगम से बकाया राशि जमा कराने का कहा।

सरकार, जिसे दिसम्बर 2002 में मामला प्रतिवेदित किया गया, ने मई 2003 में विभाग के उत्तर की पुष्टि की।

7.5.2 पी एन जी नियमों के अनुसार पट्रोलियम अन्वेषण अनुज्ञप्ति (पी ई एल) के लिये वार्षिक अनुज्ञा शुल्क अग्रिम वसूल किया जाना चाहिये।

जयपुर में यह देखा गया कि एक कम्पनी के पक्ष में एक पी ई एल 15 मई 1995 से बाड़मेर व जालौर जिलों में 10558 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में चार वर्ष की अवधि के

लिये जनवरी 1996 में जारी की गई जिसे कि 14 मई 2001 तक बढ़ाया गया। 1997, 1999 और 2000 की 15 मई को देय अनुज्ञा शुल्क के भुगतान में कम्पनी द्वारा क्रमशः 1, 3 व 1 महीने की देरी हुई किन्तु शुल्क में वृद्धि की मांग नहीं की गई। इसके परिणामस्वरूप 21.04 लाख रुपये की बढ़ायी हुई अनुज्ञप्ति शुल्क की अवसूली हुई।

लेखापरीक्षा में ध्यान दिलाये जाने पर विभाग ने जनवरी 2003 में कम्पनी को बकाया राशि जमा कराने को कहा।

मामला सरकार को दिसम्बर 2002 में प्रतिवेदित किया गया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 2003)।

7.5.3 अनुज्ञाधारी कम से कम दो महीने का नोटिस देने पर अनुज्ञप्ति को समाप्त करने या अनुज्ञप्ति द्वारा धारित क्षेत्र के किसी हिस्से को छोड़ने को स्वतंत्र है।

जयपुर में सितम्बर 2002 में यह देखा गया कि एक अनुज्ञाधारी के पास 1 सितम्बर 2001 को पेट्रोलियम अन्वेषण के लिये 11,968 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र था। अनुज्ञाधारी की ओर से 24 सितम्बर 2001 को प्रस्तुत एक आवेदन पर सरकार ने 25 नवम्बर 2001 से 8001 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का अभ्यर्पण जनवरी 2002 में स्वीकृत किया।

चूंकि अनुज्ञाधारी ने 24 सितम्बर 2001 को अभ्यर्पण के लिये आवेदन किया था अत- अवधि भुगतान की अगली तिथि अर्थात 1 अक्टूबर 2001 से दो महीने से कम थी। अनुज्ञाधारी को 11,968 वर्ग किलोमीटर के सम्पूर्ण क्षेत्र के लिये अनुज्ञा शुल्क 71.81 लाख रुपये चुकाना था जिसके विरूद्ध उसके द्वारा 24.03 लाख रुपये चुकाये गये। आगे अनुज्ञाधारी ने 39.86 लाख रुपये बकाया रखते हुए 7.92 लाख रुपये मार्च 2002 में चुकाये। अनुज्ञा शुल्क की समय समय पर बकाया राशि पर 1 अक्टूबर 2001 से 30 सितम्बर 2002 के दौरान 48.59 लाख रुपये बढ़ी हुई राशि संगणित की गई। इस तरह अनुज्ञा शल्क को सम्मिलित करते हुए सितम्बर 2002 तक कुल वसूली योग्य राशि 88.45 लाख रुपये संगणित की गई।

लेखापरीक्षा में ध्यान दिलाये जाने पर विभाग ने जनवरी 2003 में बताया कि मामला मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु दिसम्बर 2002 में सरकार के साथ उठाया जा चुका था।

मामला दिसम्बर 2002 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 2003)।

7.5.4 जयपुर में यह देखा गया कि एक कम्पनी के पक्ष में एक पी ई एल जून 2000 में 1 जनवरी 1997 से 9750 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में चार वर्ष की अवधि के लिये जारी की गयी। कम्पनी ने 3 जून 1999 को 3600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अभ्यर्पण के लिये आवेदन किया जो कि 3 अगस्त 1999 से स्वीकार करने योग्य था।

चतुर्थ वर्ष, अर्थात वर्ष 2000, के लिये अनुज्ञा शुल्क जमा कराते समय कम्पनी ने छोड़े गये क्षेत्र, जिसके लिये अनुज्ञा शुल्क गत वर्ष में चुकाया गया था, के संबंध में 3 अगस्त 1999 से 31 दिसम्बर 1999 की अवधि के लिये 2.96 लाख रुपये का समायोजन

किया। चूंकि अनुज्ञा शुल्क अग्रिम जमा कराया जाना था इसलिये उसमें से बाद में समायोजन करना अनियमित था। अतः जनवरी 2000 से अगस्त 2002 तक के लिये 12.43 लाख रुपये का अनुज्ञा शुल्क वसूलनीय था।

लेखापरीक्षा में ध्यान दिलाये जाने पर विभाग ने जनवरी 2003 में कम्पनी से राशि जमा कराने को कहा आगे की प्रगति प्राप्त नहीं हुई (अगस्त 2003)।

मामला दिसम्बर 2002 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 2003)।

7.5.5 जयपुर में यह देखा गया कि एक निगम ने नवम्बर 1985 में 174.10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में चार वर्षों के लिए पी ई एल के लिये सहायक खनि अभियंता, जैसलमेर को आवेदन किया। निगम ने साथ-साथ ही क्षेत्र में अन्वेषणी कार्य आरम्भ कर दिये। यद्यपि, निदेशक, खान व भू-विज्ञान, उदयपुर ने जुलाई 1987 में स्वीकृति देने के प्रस्ताव सरकार को प्रेषित किये परन्तु उक्त को अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया।

विभाग द्वारा पी ई एल की उक्त अवधि को नियमित करने के प्रस्ताव सितम्बर 1996 में सरकार को प्रेषित किये गये थे किन्तु ये अभी तक सरकार के स्तर पर लंबित थे। 19 नवम्बर 1985 से 15 दिसम्बर 1994 की अवधि के लिये अनुज्ञा शुल्क की राशि 3.73 लाख रुपये संगणित की गई थी जिसके विरूद्ध निगम ने 1.42 लाख रुपये जमा कराये। इस तरह न चुकाई गई राशि 2.30 लाख रुपये पर बढ़ी हुई अनुज्ञाशुल्क की राशि 31 मार्च 2002 को 34.87 लाख रुपये संगणित की गई।

लेखापरीक्षा में यह ध्यान दिलाये जाने पर विभाग ने सितम्बर 2002 में निगम से बढ़ी हुई अनुज्ञा शुल्क की राशि 34.87 लाख रुपये जमा कराने को कहा। तथापि निगम ने 2.28 लाख रुपये का भुगतान किया।

मामला दिसम्बर 2002 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 2003)।

7.6 डी.सी.आर. में अधिक अधिशुल्क/विकास प्रभार की मांग की प्रविष्टि न करना

खान एवं भू विज्ञान विभाग के हैण्ड बुक में विहित है कि अधिशुल्क, पट्टा, अनुज्ञा, संविदा, स्थिर भाटक, ब्याज और शास्ति इत्यादि के संबंध में सभी राजकीय देयताओं की वसूली को सुगम करने के लिये इन्हें डी सी आर में प्रविष्ट किया जाना आवश्यक है। संबंधित सहायक खनि अभियंता/खनि अभियंता डी सी आर की प्रविष्टियों को जांचें तथा जांच कर हस्ताक्षर करें।

जालौर व नागौर में नवम्बर 2002 और जनवरी 2003 में यह देखा गया कि पांच मामलों में 15.53 लाख रुपये के अधिक अधिशुल्क एवं 1.19 करोड़ रुपये के विकास प्रभार की

मांग न तो कायम की गई न ही डी सी आर में प्रविष्ट की गई। इसके परिणामस्वरूप 1.35 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

(लाख रुपयों में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	मामलों की संख्या	कर निर्धारण की अवधि	कर निर्धारण का माह	वसूलनीय राशि	अभ्युक्तियां
1.	नागौर	3	2000-01	अक्टूबर 2001 एवं फरवरी 2002	77.81	मांग न तो कायम की गई न ही डी सी आर में प्रविष्ट की गई।
2.	जालौर	1	19 दिसम्बर 1996 से 31 मार्च 2001	सितम्बर 1999 एवं अक्टूबर 2001	41.37	मांग न तो कायम की गई न ही डी सी आर में प्रविष्ट की गई।
3.	जालौर	1	19 दिसम्बर 1997 से 18 नवम्बर 1999	नवम्बर 2000	15.53	स्थिर भाटक से अधिक अधिशुल्क की मांग डी सी आर में प्रविष्ट नहीं की गई थी।
योग		**5**			**134.71**	

लेखापरीक्षा में ध्यान दिलाये जाने पर विभाग ने जुलाई 2003 में लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया एवं डो सी आर में मांग प्रविष्ट की। अधिक अधिशुल्क की 15.53 लाख रुपये की मांग के बारे में बताया गया कि इसे डी सी आर में उपलब्ध अधिक जमा के विरूद्ध समायोजित कर दिया गया। बकाया मामलों में उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2003)।

सरकार, जिसे फरवरी 2003 एवं मार्च 2003 में मामला प्रतिवेदित किया गया, ने अगस्त 2003 में अधिक अधिशुल्क की मांग डी सी आर में प्रविष्ट न करने के संबंध में विभाग के उत्तर की पुष्टि की। अग्रिम उत्तर प्रतीक्षित था (सितम्बर 2003)।

7.7 खनिज कैडमियम के अनाधिकृत प्रेषण के कारण राजस्व हानि

खनिज रियायत नियम, 1960 प्रावधान करते हैं कि यदि कोई खनिज जो कि पट्टे में विनिर्दिष्ट नहीं है, पट्टे के क्षेत्र में पाया जाता है तो पट्टाधारक द्वारा ऐसे खनिजों को पट्टे में सम्मिलित करने या एक अलग पट्टा प्राप्त करने तक निकाला अथवा निस्तारित नहीं किया जायेगा।

आगे खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 में प्रावधान है कि जब कभी भी कोई व्यक्ति विधि के प्राधिकार के बिना किसी जमीन से कोई खनिज निकालेगा तो सरकार उससे उस निकाले गये खनिज अथवा निस्तारित किये गये खनिज का मूल्य उस अवधि के दौरान जबकि वह जमीन उस व्यक्ति के कब्जे में थी, उस पर किराया, अधिशुल्क अथवा कर जैसा भी मामला हो, के अतिरिक्त वसूल कर सकेगी।

उदयपुर में यह देखा गया कि एक कम्पनी को खनिज लैड, जिंक और सिल्वर के लिए एक खनन पट्टा स्वीकृत था। पट्टाधारक ने जनवरी 2002 से अगस्त 2002 की अवधि के दौरान खनिज कैडमियम के अधिशुल्क के 10.35 लाख रुपये जमा करवाये जो कि खनन पट्टे में सम्मिलित नहीं था। चूंकि पट्टाधारक खनिज कैडमियम को निकालने या

निस्तारित करने के लिये प्राधिकृत नहीं था, उससे उक्त खनिज की कीमत वसूल की जानी चाहिये थी। खनिज कैडमियम की अधिशुल्क दर, के आधार पर कीमत 1.04 करोड़ रुपये संगणित की गई जो कि विभाग द्वारा नहीं वसूली गई।

लेखापरीक्षा में ध्यान दिलाये जाने पर खनि अभियन्ता, उदयपुर ने सितम्बर 2002 में बताया कि खनिज कैडमियम एक उप-उत्पाद है तथा खान से सीधे ही उत्पादित नहीं होता है; और चूंकि खनिज कैडमियम नगण्य मात्रा में उत्पादित होता है, इसे खनन पट्टे में सम्मिलित नहीं किया गया था। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अनाधिकृत रूप से उत्खनित खनिज की कीमत, चुकाये गये अधिशुल्क के अतिरिक्त वसूली योग्य थी।

मामला दिसम्बर 2002 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 2003)।

7.8 खनिज की कीमत की अवसूली

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 के अन्तर्गत राजकीय/स्वायत्तशासी निकायों के संविदा निर्माण कार्यों के लिए 500 टन से अधिक मात्रा के लिये अल्पावधि अनुमति पत्र संबंधित विभाग की अनुशंसा पर प्रदान किया जा सकता है। आगे सरकार ने जून 1985 में स्पष्ट किया कि यदि किसी ठेकेदार द्वारा अल्पावधि अनुमति पत्र प्राप्त किये बिना अथवा अधिशुल्क के भुगतान किये बिना खनिज का उपयोग या खनन किया जाता है तो वह अधिशुल्क की प्रचलित दरों की दस गुणा के बराबर के भुगतान का उत्तरदायी होगा ।

मकराना में यह देखा गया कि एक ठेकेदार ने संविदा निर्माण कार्य "मंगलाना-मकराना-बोरावर और मकराना-बिडियाद सड़कों का सुधार" में प्रयुक्त करने के लिए 2000 एम टी झिकरा और 3000 एम टी बेलास्ट के लिये अल्पावधि अनुमति पत्र के लिये अप्रैल 2001 में आवेदन किया। ठेकेदार द्वारा आवश्यक दस्तावेजों जैसे कि कार्यादेश, 'जो' अनुसूची, क्षेत्र की स्थिति, भूमि का विवरण, इत्यादि की प्रतियां उपलब्ध कराने में विफल रहने के कारण अल्पावधि अनुमति-पत्र जारी नहीं किया जा सका। तथापि, अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, परबतसर के अभिलेखों के अनुसार ठेकेदार द्वारा मार्च 2002 में कार्य पूर्ण किया गया और बेलास्ट पत्थर 15,313.29 घन मीटर, रबिश और ग्रेवल 25,675.50 घन मीटर, ग्रिट 22,473.29 घन मीटर, बजरी 314.75 घन मीटर और पत्थर 584.35 घन मीटर निर्माण कार्य में प्रयुक्त हुआ। इस तरह, खनिज के अनाधिकृत उत्खनन के परिणामस्वरूप खनिज की कीमत 45.10 लाख रुपये जो कि अधिशुल्क का दस गुणा थो, की अवसूली हुई।

लेखापरीक्षा में ध्यान दिलाये जाने पर विभाग ने मई 2003 में बताया कि मांग कायम कर दी गई थी तथा 1.84 लाख रुपये वसूल किये जा चुके थे। अग्रिम उत्तर प्रतीक्षित था।

मामला दिसम्बर 2002 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 2003)।

7.9 अधिशुल्क की कम वसूली

खान मंत्रालय, भारत सरकार ने 12 सितम्बर 2000 को एल डी ग्रेड से भिन्न लाईम स्टोन पर अधिशुल्क की दर 40 रुपये प्रति टन अधिसूचित की।

सचिव, खान विभाग के कार्यालय में यह देखा गया कि खनि अभियंता, अजमेर ने जून और सितम्बर 2001 के मध्य ब्यावर की एक सीमेंट कंपनी को तीन अल्पाविध अनुमति-पत्र उसकी स्वयं के पट्टा क्षेत्र से उत्खनित 'शिष्ट' नामक खनिज की 90,000 टन मात्रा (प्रत्येक अल्पावधि अनुमति पत्र के लिए 30,000 टन) के लिये जारी किये।

निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान विभाग ने जून 2001 में खनि अभियंता, अजमेर को 5 रुपये प्रति टन की अधिशुल्क की दर से अल्पावधि अनुमति पत्र जारी करने का निर्देश दिया। इस प्रकरण में कथित खनिज 'शिष्ट' छोटे टुकड़ों में लाईम स्टोन (सीमेंट ग्रेड) था एवं सीमेंट उत्पादन में प्रयुक्त किया जा रहा था। इसलिये लाइम स्टोन (सीमेंट ग्रेड) पर अधिशुल्क 40 रुपये प्रति टन की दर से वसूल किया जाना चाहिये था। इस प्रकार अधिशुल्क की कम दर पर अल्पावधि अनुमति पत्र जारी करना अनुमत करने के परिणामस्वरूप 31.50 लाख रुपये की कम वसूली हुई।

लेखापरीक्षा में ध्यान दिलाये जाने पर सरकार ने नवम्बर 2002 में निर्धारित दरों पर अधिशुल्क वसूल करने के निदेशक, खान व भू-विज्ञान को निर्देश दिये। आगामी उत्तर प्रतीक्षित था (अगस्त 2003)।

7.10 शास्ति के अनारोपण के कारण राजस्व हानि

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986 में प्रावधान है कि अधिशुल्क/अधिक अधिशुल्क संग्रहण ठेकों के सफल बोलीदाता/निविदादाता उनकी बोली/निविदा स्वीकृति के आदेश की दिनांक के एक महीने की अवधि के अन्दर एक अनुबन्ध निष्पादित करेंगे। यदि अनुदानग्रहीता द्वारा अनुबन्ध के निष्पादन हेतु समय सीमा में वृद्धि के लिए निर्धारित अवधि व्यतीत होने से पूर्व ही आवेदन कर दिया गया हो तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुबन्ध निष्पादन की समय सीमा में वृद्धि विलम्ब के प्रत्येक माह के लिये वार्षिक स्थिर भाटक के नौ प्रतिशत की दर से शास्ति के भुगतान की शर्त पर प्रदान की जा सकती है।

बालेसर में यह देखा गया कि "बालेसर सत्ता" और "कुई जोड़ा" क्षेत्र के लिये अधिक अधिशुल्क संग्रहण का ठेका सीकर की एक पार्टी के पक्ष में 1.49 करोड़ रुपये की

वार्षिक ठेका राशि पर 5 अक्टूबर 1999 को स्वीकृत किया गया था। ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध निष्पादन के लिये एक माह की समय वृद्धि का निवेदन निर्धारित समय में किया गया था। अनुबन्ध 15 नवम्बर 1999 को निष्पादित किया गया जिसे निदेशक, खान व भू-विज्ञान ने 13.44 लाख रुपये की शास्ति आरोपित किये बिना ही दिसम्बर 1999 में अनुमोदित किया।

लेखापरीक्षा में सितम्बर 2002 में ध्यान दिलाये जाने पर विभाग ने अप्रैल 2003 में बताया कि अधिशुल्क संग्रहण ठेके में शास्ति की राशि वसूली योग्य नहीं थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शास्ति अधिशुल्क संग्रहण ठेके पर भी लागू होती है जहां कि संविदा निष्पादन के लिये समय में वृद्धि अनुमत की जाती है।

सरकार, जिसे दिसम्बर 2002 में मामला प्रतिवेदित किया गया था, ने 22 अगस्त 2003 को हुई ऑडिट कमेटी की बैठक में लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया।

7.11 ठेके की राशि में संशोधन नहीं करने के कारण राजस्व की कम वसूली

अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार यदि अधिशुल्क की दर या तुलाई शुल्क में वृद्धि होती है तो ठेकेदार, ऐसी वृद्धि की तिथि से ठेके की शेष अवधि के लिये वृद्धि के अनुपात में ठेके की बढ़ी हुई राशि चुकाने का उत्तरदायी होगा।

रामगंज मंडी में यह देखा गया कि खनिज चूना पत्थर (भवन) व सहयोगी चिनाई पत्थर के लिये अधिक अधिशुल्क और तुलाई शुल्क संग्रहण ठेका 2001-03 की अवधि के लिये 6.72 करोड़ रुपये की वार्षिक ठेका राशि पर मार्च 2001 में स्वीकृत किया गया था। सरकार ने अक्टूबर 2001 में तुलाई की दरें 20 रुपये प्रति वाहन से 30 रुपये प्रति वाहन संशोधित की। किन्तु विभाग द्वारा ठेके की शेष अवधि के लिये वार्षिक ठेका राशि संशोधित नहीं की, परिणामस्वरूप 11.63 लाख रुपये की कम वसूली हुई।

लेखापरीक्षा में सितम्बर 2002 में ध्यान दिलाये जाने पर, विभाग ने दिसम्बर 2002 में बताया कि वार्षिक ठेका राशि संशोधित की जा चुकी थी तथा ठेकेदार को राशि जमा कराने को कहा गया था।

मामला दिसम्बर 2002 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया, उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 2003)।

7.12 खनिज की कीमत की अवसूली के कारण राजस्व हानि

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 1986, में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति स्वीकृत खनन पट्टा/खदान अनुज्ञप्ति/अल्पावधि अनुमति पत्र के निबन्धनों व शर्तों अथवा अन्य किसी अनुमति के सिवाय कोई खनन नहीं करेगा। आगे, जहां इस प्रकार निकाले गये खनिज को पहले ही संप्रेषित अथवा उपयुक्त कर लिया है, प्राधिकारी अधिवासित भूमि पर अथवा उत्खनित खनिज पर प्रभार्य भाटक, अधिशुल्क अथवा कर के साथ खनिज की कीमत वसूल कर सकेगा। कीमत की गणना प्रचलित दरों पर संदेय अधिशुल्क के 10 गुणा के बराबर की जायेगी।

मकराना में लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि 7,713 टन चिनाई पत्थर, 351 टन मार्बल क्रेजी एवं 110 टन मार्बल की पट्टियां (स्लेब्स) दिसम्बर 1998 से नवम्बर 1999 के दौरान 907 वाहनों के द्वारा खदान/खान क्षेत्र से अवैधानिक रूप से निकाले गये थे। इस प्रकार खनिज के अनाधिकृत प्रेषण के फलस्वरूप राशि 6.59 लाख रुपये के राजस्व की हानि हुई।

लेखापरीक्षा में ध्यान दिलाये जाने पर विभाग ने मई 2002 में बताया कि राशि को वसूल करने की कार्यवाही की जा रही थी।

मामला नवम्बर 2002 में सरकार को प्रतिवेदित किया गया; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (अगस्त 2003)।

जयपुर
दिनांक 20 APR 2004

(डी.एस.नेहरा)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा)-II, राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक 28 अप्रेल APR 2004

(विजयेन्द्र नाथ कौल)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट-अ

(सन्दर्भ अनुच्छेद 1.13)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाये गये अनुच्छेद एवं जो 31 अगस्त 2003 को जन लेखा समिति में चर्चा हेतु बकाया थे, की स्थितिः

कर का नाम		1999-00	2000-01	2001-02	योग
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गये अनुच्छेद	14	12	10	36
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	14	12	10	36
मोटर वाहनों पर कर	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गये अनुच्छेद	8	8	7	23
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	-	8	7	15
भू-राजस्व	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गये अनुच्छेद	4	4	1	9
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	4	4	1	9
मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गये अनुच्छेद	3	5	4	12
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	-	5	4	9
राज्य उत्पाद शुल्क	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गये अनुच्छेद	3	7	5	15
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	-	7	5	12
भूमि एवं भवन कर	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गये अनुच्छेद	3	1	4	8
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	-	1	4	5
खनन	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गये अनुच्छेद	1	6	9	16
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	-	-	9	9
अन्य	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गये अनुच्छेद	1	2	5	8
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	-	-	5	5
योग	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाये गये अनुच्छेद	37	45	45	127
	चर्चा हेतु बकाया अनुच्छेद	18	37	45	100

परिशिष्ट-ब

(सन्दर्भ अनुच्छेद 1.13)

विभागों से बकाया क्रियान्विति विषयक प्रतिवेदनों की स्थितिः

क्र. सं.	जन लेखा समिति के प्रतिवेदनों के क्रमांक	विधानसभा में उपस्थापित दिनांक	विभाग का नाम	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष	बकाया क्रियान्विति विषयक प्रतिवेदन
1.	23 वां प्रतिवेदन 1990-91	25.3.91	आबकारी	1984-85 से 1987-88	3
2.	41 वां प्रतिवेदन 1991-92	18.9.91	लॉटरी	1983-84	1
3.	63 वां प्रतिवेदन 1991-92	30.3.92	आबकारी	1976-77 से 1983-84	14
4.	15 वां प्रतिवेदन 1994-95	27.9.94	भू-राजस्व	1976-77	1
5.	75 वां प्रतिवेदन 1996-97	12.7.96	खान	1984-85 से 1989-90	3
6.	102 वां प्रतिवेदन 1997-98	16.3.98	सहकारिता	1984-85	2
7.	119 वां प्रतिवेदन 1998-99	27.7.98	परिवहन	1994-95 से 1995-96	32
8.	31 वां प्रतिवेदन 1999-2000	31.3.2000	खान	1991-92	1
9.	42 वां प्रतिवेदन 1999-2000	31.3.2000	आबकारी	1991-92	1
10.	44 वां प्रतिवेदन 1999-2000	31.3.2000	आबकारी	1993-94	4
11.	134 वां प्रतिवेदन 1997-1998	1.7.2002	खान	1997-98	4
12.	135 वां प्रतिवेदन 1998-99	1.7.2002	खान	1998-99	4
13.	145 वां प्रतिवेदन 1995-96	14.10.2002	आबकारी	1995-96	12
14.	146 वां प्रतिवेदन 1994-95	6.3.2003	बिक्री कर	1994-95	8
15.	147 वां प्रतिवेदन 1995-96	14.10.2002	बिक्री कर	1995-96	6
16.	162 वां प्रतिवेदन 1998-99 एवं 1999-00	16.12.2002	परिवहन	1998-99 एवं 1999-2000	19
17.	174 वां प्रतिवेदन 1996-97	10.02.2003	बिक्री कर	1996-97	11
18.	175 वां प्रतिवेदन 1997-98	6.3.2003	बिक्री कर	1997-98	6
19.	176 वां प्रतिवेदन 1998-1999 एवं 1999-2000	10.2.2003	पंजियन एवं मुद्रांक	1998-99 एवं 1999-2000	17
20.	184 वां प्रतिवेदन 1998-1999	13.2.2003	भूमि एवं भवन कर	1998-1999	5
21.	185 वां प्रतिवेदन 1999-2000	13.2.2003	भूमि एवं भवन कर	1999-2000	9
22.	190 वां प्रतिवेदन 1998-99	3.3.2003	आबकारी	1998-1999	14
23.	191 वां प्रतिवेदन 1999-00	3.3.2003	आबकारी	1999-2000	3
	योग				**180**